खण्ड-253, अंक-9
गुरूवार, 29 माघ, शक संवत् 1886
(18 फरवरी, 1965 ई0)

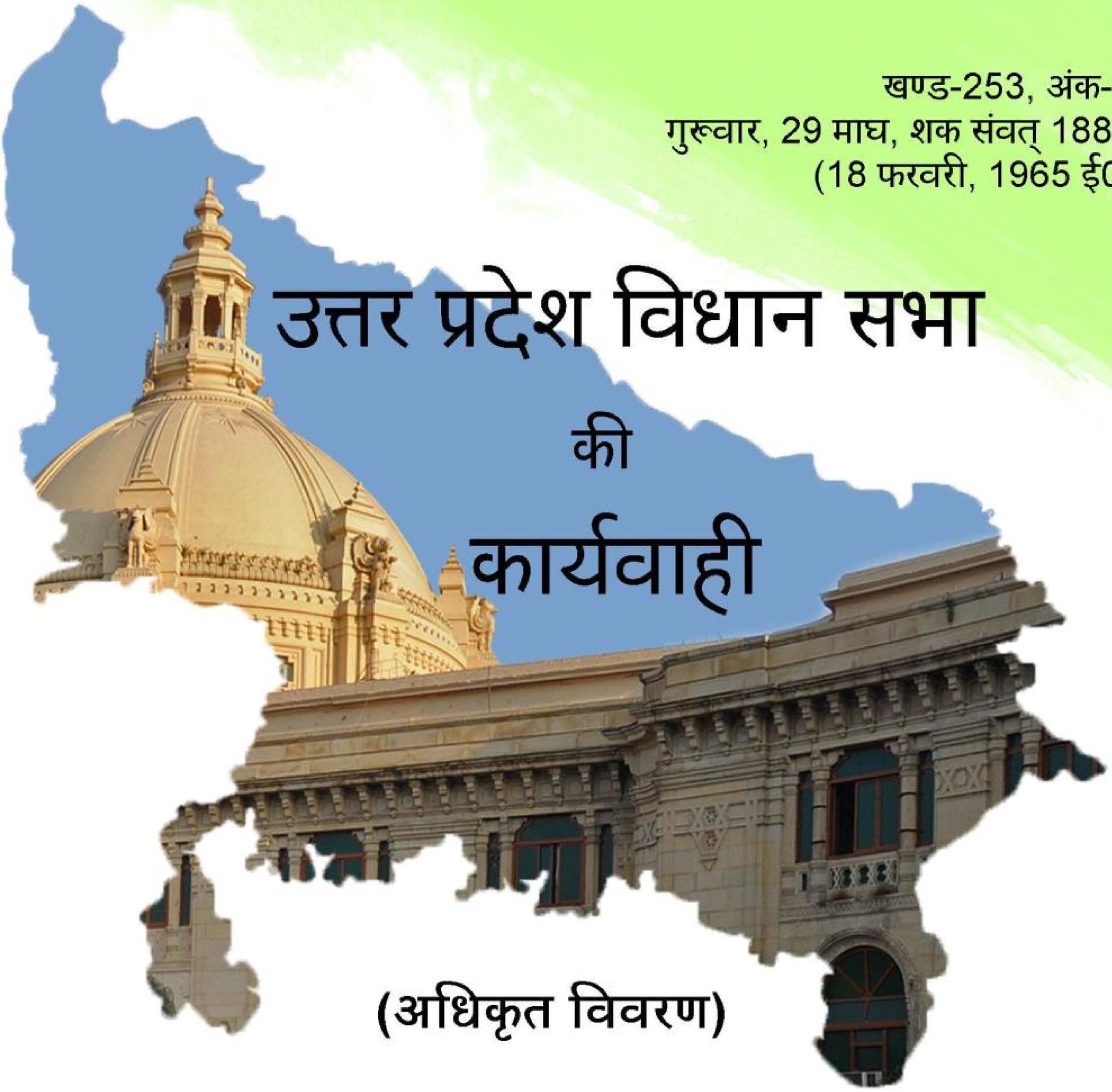

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 253 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	९९५–९९८
प्रश्नोत्तर	९९९–१०३०
प्रश्नों क उत्तर पर आपत्ति	१०३०–१०३१
सदन द्वारा प्रदत्त धन्यवाद के प्रस्ताव के उत्तर में श्री राज्यपाल का पत्र ..	१०३१
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं	१०३१–१०३२
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	१०३२–१०३४
देवरिया जिले के श्री जगदीश तिवारी तथा कुछ अन्य व्यक्तियों की हत्याओं एवं डकैतियों की घटनाओं के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना ..	१०३४
नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी ..	१०३४–१०३५
व्यवस्था का प्रश्न	१०३५
मन्त्रि परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना (सदन द्वारा प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	१०३५–१०४१
राज्य के माध्यमिक तथा अन्य विद्यालयों के अध्यापकों की मांगों के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	१०४१–१०४७
उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के लिए ४ सदस्यों के निर्वाचन के कार्यक्रम की सूचना	१०४८
अंग्रेजी साहित्य वितरण पर आपत्ति	१०४८–१०४९
श्री बृजभूषणशरण द्वारा श्री टम्बेश्वरप्रसाद के विरुद्ध उठाई गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट) ..	१०४९
बजट की कथित गोपनीयता भंग होने के सम्बन्ध में दी गयी सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	१०५०
१९६५–६६ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	१०५१–१०८७
उत्तर प्रदेश गन्ना क्रय-कर (संशोधन) विधेयक, १९६५ (पुरःस्थापित किया गया)	१०८७–१०९०
उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५ (विचारोपरान्त पारित) ..	१०९१–१११
नत्थियां	१११२–११२०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १८ फरवरी, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३२५

अक्षयवरसिंह, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरवरप्रसाद, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नत्थरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री

बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मनसाराम, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री

रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १८ फरवरी, १९६५

तारांकित प्रश्न

गन्ना विकास समिति, बुलन्दशहर द्वारा गन्ने की सप्लाई

*१—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना विकास समिति बुलन्दशहर ने सन् १९६३–६४ में कितने गन्ने की सप्लाई की और कितना लाभ हुआ? यदि कम हुआ, तो क्यों हुआ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

गन्ना विकास समिति, बुलन्दशहर ने वर्ष १९६३–६४ में ११,२४,७३५.९७ क्विंटल गन्ना सप्लाई किया। ३० जून, सन् १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष (१९६३–६४) के लेखे अभी नहीं बने हैं जिसके कारण उक्त वर्ष का वास्तविक लाभ ज्ञात नहीं हो सका।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है इसमें कुछ दाल में काला है?

डाक्टर सीताराम—

इस शब्द का मतलब क्या है?

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

यानी कुछ घपला है?

डाक्टर सीताराम—

जुलाई, सन् ६४ तक बैलेन्सशीट बन जानी चाहिये थी, लेकिन अभी वर्किंग स्टेटमेंट बन रहा है, उसके बाद ही प्राफिट ऐण्ड लास निकाला जायेगा। जहां तक दाल में काला का सवाल है, मैंने केन कमिश्नर से पूछा था, उन्होंने बताया कि इसमें कोई इम्बेजिलमेंट की गुंजायश नहीं है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

इस बैलेन्सशीट के बनने में इतनी देरी क्यों हो रही है?

डाक्टर सीताराम—

मैंने अभी बताया कि वर्किंग स्टेटमेंट बन रहा है। बुलन्दशहर जिले के करीब ३० हजार किसान गन्ने के हैं और उनका अलग-अलग हिसाब-किताब यूनियन रखती है। कोआपरेटिव ऐक्ट के अनुसार आटोनामस बाडी केन यूनियन होती है जिनका संचालन यू० पी० फेडरेशन करती है। इनके ३० हजार के हिसाब-किताब से तात्पर्य यह है कि यह तैयार करना पड़ेगा कि उन्होंने साल भर में कितना रुपया लिया, कितना लौटाया, कितना बाकी है आदि। अब इसमें समय तो लगेगा ही, लेकिन मैंने केन कमिश्नर से कहा है कि इस काम को यथाशीघ्र किया जाय और देरी के लिये जो दोषी हो उसे दण्ड दिया जाय।

बुलन्दशहर में पुलिस क्वार्टर्स के लिये अध्याप्त भूमि

*२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सयाना, जिला बुलन्दशहर में पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर्स बनाये जा रहे हैं जिसके लिये भूमि हस्तगत की जाने वाली है? यदि हां, तो प्रस्तावित भूमि किन लोगों की है?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

जी हां। पुलिस थाना सियाना, जिला बुलन्दशहर के कर्मचारियों के लिये आवास गृह बनाने की योजना है। इस कार्य के लिये अध्यापित की जाने वाली भूमि निम्नलिखित लोगों की है।

(१) सर्वश्री भगवान सहाय पुत्र श्री भूपा।
(२) सूखा।
(३) कन्हैया पुत्र श्री जाहरिया।
(४) असगर पुत्र श्री रमजानी।
(५) मोहम्मद अमीर पुत्र श्री मकबूल।
(६) अब्दुल हमीद पुत्र श्री अल्लाबख्श।
(७) नसरू पुत्र श्री इस्माइल।
(८) श्रीमती बुद्धो विधवा श्री छिद्द।
(९) महरवान पुत्र श्री महमूद।
(१०) श्रीमती रफीकन पत्नी श्री फूल खां।
(११) यासीन पुत्र श्री मोहम्मद शफी।
(१२) मसीता पुत्र श्री सगुआ।
(१३) श्रीमती नजीरन पत्नी श्री अल्लानूर।
(१४) मोहम्मद यासीन पुत्र श्री मोहम्मद इब्राहीम।
(१५) रशीद पुत्र श्री पिरवा।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि वहां पर और दूसरे लोगों के पास जमीन होते हुये भी, गरीब, हरिजन तथा पिछड़े हुये लोगों की ही जमीनें इस काम के लिये ली गयी हैं, यदि हां, तो क्यों?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

दूसरी और कोई जमीन वहां उपलब्ध नहीं थी, ऐसी सरकार के पास सूचना है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मन्त्री जी इसकी पुनः जांच करायेंगे कि दूसरे सम्पन्न लोगों की वहां पर जमीनें हैं जो नहीं ली गयी? वह मेरे क्षेत्र में ही ली गयी है, इसलिये मुझे जानकारी है।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यदि कोई अच्छी जमीन है तो माननीय सदस्य मुझे बता दें, मैं जरूर इसकी जांच करा लूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जिनकी भूमि ली गयी है उनके पास कितनी-कितनी भूमि थी?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

कुल जमीन ०.७५ एकड़ ली जा रही है। किसी के पास १५० गज है, किसी के पास इससे कुछ कम ज्यादा है।

पुलिस चौकी बुगरासी को थाना बनाना

*३—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस चौकी बुगरासी को थाना बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

यह थाना कब तक स्थापित हो जायगा ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

प्रयत्न हो रहा है, जल्दी स्थापित हो जायेगा ।

*४—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

[हटा दिया गया ।]

रानीगंज थाना क्षेत्र में डकैतियां

*५—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १० सितम्बर, १९६४ को गांव मसौली, थाना रानीगंज, जिला प्रतापगढ़ में ५ डकैतियां पड़ीं जिनमें हजारों की लूट हुई और ११ सितम्बर को गांव भीखीपुर (सुखा) उपरोक्त थानान्तर्गत तथा दमदम में भी डकैती पड़ी और डाकुओं ने एक व्यक्ति को गोली से मार दिया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

थाना रानीगंज, जिला प्रतापगढ़ के अन्तर्गत गांव भीखीपुर (सुरवा) में ११ सितम्बर, ६४ को या उसके आसपास डकैती की कोई घटना नहीं हुई।

ग्राम मसौली में १० सितम्बर को नहीं बल्कि २-३ सितम्बर की रात्रि में डाकू एक घर में दरवाजा तोड़कर घुसे। शोरगुल होने पर पड़ोस के ३ व्यक्ति अपने-अपने घरों का दरवाजा खोल कर दौड़े । डाकू उनके घरों में भी घुस पड़े। कुल १५० रु० नकद व ५४१ रु० की कीमत के माल लुटने की रिपोर्ट लिखाई गई। संबंधित मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

ग्राम दमदम में भी ११ सितम्बर ६४ को नहीं बल्कि २-३ सितम्बर की रात्रि में डकैती की एक घटना हुई थी जिसमें डाकुओं ने लूटपाट के अतिरिक्त १ ग्रामीण को गोली से मार दिया। इस का अभियोग पत्र भी न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अब तक इस सम्बन्ध में कितने लोग पकड़े गये हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

दमदम में जो डकैती पड़ी उसमें ५ आदमी गिरफ्तार हुये हैं, पहली डकैती में १ हुआ था।

श्री ऊदल—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को क्या सरकार कुछ सहायता प्रदान करने जा रही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

एक शम्भूदत्त ब्राह्मण की जो मृत्यु हुई है उसकी विधवा को कुछ सहायता देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि डकैतियां तो ५ ही पड़ीं, लेकिन ३ को डकैती न लिख कर दूसरी दफाओं में उसको लिख लिया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, यह जानकारी मुझे नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार आज कल प्रदेश में जो डकैतियां पड़ रही हैं उनमें डकैत लोग हथियारों से लैस रहते हैं जिससे गांव वाले अपनी जान व माल की रक्षा नहीं कर पाते हैं। उन गांव वालों की इन डकैतियों से सुरक्षा के लिये क्या माननीय गृह मंत्री जी हर ग्राम में ग्राम रक्षक दल को दो २ बन्दूकें देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, इस बात में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। अगर वे दरख्वास्त दें तो विचार किया जावेगा। हमें इस बात से खुशी होगी।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक ही थाने के अन्दर पांच-पांच डकैतियां पड़ीं ? यदि हां, तो क्या इसमें पुलिस की लापरवाही नहीं जान पड़ती ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, मैंने पढ़ कर सुना ही दिया है। दो आदमियों ने दरवाजों को खोला चाहे उसे एक डकैती मान लें या दो मान लें।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय गृह मंत्री अपने उत्तर से सम्बन्धित संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि पहिली डकैती में एक मुजरिम गिरफ्तार हुआ और बाकी मुजरिम फरार हैं ? यदि हां, तो यह क्या स्थिति है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

चार मुजरिमों को पहचाना ही नहीं गया।

मैनपुरी जिले में उद्योग विभाग से ऋण

*६—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के उद्योग विभाग से १९६२ से १९६४ ई० तक जिन-जिन को कर्जा दिया गया है उनमें किस-किस ने काम शुरू कर दिया है और किस-किस ने काम शुरू नहीं किया है ?

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

सूचना अभी एकत्रित की जा रही है।

*७–८—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

[हटा दिये गये।]

*९—श्री ऊदल—

[हटा दिया गया ।]

अंधे

*१०—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार के पास उत्तर प्रदेश के अन्धों की कोई सूची है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

समाज कल्याण मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

सरकार के पास ऐसी कोई सूची नहीं है ।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार ऐसे अन्धों की सूची बनाने की कृपा करेगी जिनके भरण पोषण का कोई प्रबंध नहीं है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इस सूची के बनाने के लिए सन् १९६१ के जन-गणना में प्रदेशीय सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की थी परन्तु उसने उसको स्वीकार नहीं किया ।

श्री ऊदल—

जब तक यह सूची नहीं बन जाती है भारत सरकार ने अपनी तरफ से कुछ अन्धों को रेलवे में आने जाने की सुविधा प्रदान कर रखी है । उसी तरह से हमारी प्रदेशीय सरकार को भी चाहिए कि वे प्रदेश के कुछ अन्धों को जिन्हें आने जाने में कठिनाई हो राजकीय रोडवेज द्वारा ऐसी सुविधायें प्रदान करे ।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

ऐसा करना सम्भव नहीं है ।

पुलिस कार्यालय, लखनऊ में एकाउन्टेन्ट

*११—श्री रघुवीर सहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला पुलिस आफिस लखनऊ, में कितने एकाउन्टेंट्स की पोस्ट सैंक्शन्ड हैं और इस समय इस आफिस में कितने एकाउन्टेंट्स कार्य कर रहे हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जिला पुलिस कार्यालय, लखनऊ में केवल एक एकाउन्टेंट का पद है तथा उस पर एक ही एकाउन्टेंट कार्य कर रहा है ।

श्री रघुवीर सहाय कैथवार—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब छोटे-छोटे जिलों में भी एक एकाउन्टेंट और एक असिस्टेंट एकाउन्टेंट रखा हुआ है तो प्रदेश के सबसे बड़े जिले और राजधानी लखनऊ में एक ही एकाउन्टेंट रखने का मूल कारण क्या है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, जो अधिकारी काम लेते हैं उनको तो शिकायत है नहीं ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में तीन एकाउन्टेंट्स की पोस्ट्स सैंक्शन्ड हैं और उन पर तीन कर्मचारी काम कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो इसकी जांच कराकर पुनः रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, मैंने जैसा उत्तर में कहा—एक ही एकाउन्टेंट का पद है और एक ही आदमी उस पर काम कर रहा है । दूसरा कैशियर है, वह कैशियर की जगह पर काम कर रहा है ।

जौनपुर जिले में बी० डी० ओ०, डोभी की जीप से गेहूं की बरामदगी

*१२—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी० डी० ओ० डोभी ब्लाक, जौनपुर की जीप से डी० वाई० एस० पी०, जौनपुर ने कितने मन गेहूं बरामद किया और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उप-पुलिस अधीक्षक, जौनपुर ने बी० डी० ओ० डोभी की जीप से ५ मन ५ सेर गेहूं बरामद किया था । पुलिस द्वारा अभी मामले में जांच हो रही है ।

*१३—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त घटना किस तिथि को और कहां घटी ? इस संबंध में कोई गिरफ्तारी भी हुई है अथवा नहीं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उक्त घटना १४ अक्तूबर, १९६४ को ग्राम चन्दवक में हुई । अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया था जहां से वे जमानत पर छोड़े गए ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या यह सत्य है कि इस मामले की जांच पहले डी० पी० ओ० के द्वारा हो चुकी है ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है और डी० पी० ओ० की जांच के बाद डी० वाई० एस० पी० की जांच किसकी आज्ञा से और क्यों तैनात की गई ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—

उस रोज मैं जौनपुर में था और मुझे यह इत्तला मिली कि डी० पी० ओ० वहां गये थे लेकिन बाजजूद इसके गेहूं बी० डी० ओ० के घर में अब भी रखा हुआ है लिहाजा मैंने डी० वाई० एस० पी० को बुलाकर कहा कि जाओ, उसकी जांच करो और जो उचित कार्यवाही हो वह करो ।

श्री उग्रसेन—

क्या इस बारे में जिलाधीश ने भी कोई रपट भेजी है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जिलाधीश की तो कोई रिपोर्ट है नहीं ।

श्री रघुबीर—

क्या यह गेहूं बीज के लिए था और चूंकि डिबलर द्वारा बोआई होती है तो वह बी० डी० ओ० वगैरह अपने सामने कराते हैं, इसलिए वह अपने साथ लेकर जा रहे थे और गिरफ्तार कर लिये गए ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जहां तक मैं समझता हूं कि उस वक्त गेहूं बोने का समय भी नहीं था और दूसरी बात यह कि वहां से जो लोग आये थे वह यह कह रहे थे कि बी० डी० ओ० साहब यह गेहूं अपने घर भेजना चाहते हैं ।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिसके पास गेहूं निकला वह अभी काम कर रहे हैं या मुअत्तल हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मुअत्तल हैं ।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनको यह सूचना किसने दी कि बी० डी० ओ० अपने घर में गेहूं रखे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मुझको जब यह घटना मालूम हुई तो डी० पी० ओ० को मैंने बुलाया और डी० पी० ओ० से पूछा तो उन्होंने कहा कि हां, मैं गया था, गेहूं उनके घर में है । तो मैंने अपने डी० वाई० एस० पी० को बुलाकर कहा कि जाओ पकड़कर चालान करो ।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जहां के बी० डी० ओ० हैं वहीं श्री रामजतन, अध्यक्ष, जिला परिषद् के भाई ब्लाक प्रमुख हैं ? यदि हां, तो क्या इन दोनों में झगड़ा होने के कारण बी० डी० ओ० को फंसवाया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

इस समय तक मुझे यह नहीं मालूम था, यदि आप हमारा यकीन करें तो ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस घटना की सूचना उन को किसने दी जिसके आधार पर उन्होंने डी० पी० ओ० से बात की ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वहां से कुछ लोग आये थे, रात में जब मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझसे कहा था और सुबह मैंने इसकी जांच कराई ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बी० डी० ओ० को बरखास्त क्यों नहीं किया गया, मुअत्तल ही क्यों किया गया ? वह तो बहुत बड़ी चीज होती है ?

श्री अध्यक्ष—

साबित हो गया तो और कार्यवाही होगी ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस काम में सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए विभाग ने कौन-सी कार्यवाही बी० डी० ओ० साहब के खिलाफ की ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

पुलिस द्वारा कार्यवाही हो रही है । उन्होंने अपना आत्म-समर्पण कोर्ट में किया है ।

फलसुंघा ग्राम में श्री राधेलाल गुप्त की हत्या

*१४—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहगंज (जौनपुर)) के निवासी और लखनऊ षडयन्त्र केस में २१ साल सजा पाये प्रख्यात क्रांतिकारी श्री राधेलाल गुप्त की नृशंस हत्या नैनीताल तराई क्षेत्र स्थित फलसुंघा ग्राम में जहां वह भूमि जोत-बोकर सपरिवार जीवन-यापन कर रहे थे, अथवा रामपुर में कर दी गई और तीन सप्ताह बीत जाने पर भी कोई पुलिस कार्यवाही नहीं की गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक ११ अक्तूबर, १९६४ को प्रातः श्री राधेलाल गुप्त की हत्या की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई तथा रिपोर्ट अंकित होने के बाद तुरंत ही जांच शुरू की गई।

*१५—श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री इस हत्या के संबंध में अब तक प्राप्त सभी विवरण से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १११२ पर)

*१६–१८—[हटा दिये गये]

बाराबंकी जिले में बन्दूक व रिवाल्वर के लाइसेंस

*१९—श्री द्विजेन्द्र नारायण (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में अप्रैल, सन् १९६३ से मार्च, १९६४ तक तथा अप्रैल, सन् १९६४ से नवम्बर, सन् १९६४ तक हर थाने में किन-किन व्यक्तियों को बन्दूक व रिवाल्वर के लाइसेंस दिए गए हैं और उनके पते क्या हैं ?

*२०—क्या उक्त अवधि में ऐसे लोगों को भी लाइसेंस दिये गये हैं जिनके नाम हिस्ट्रीशीट में दर्ज हैं और उनकी हिस्ट्रीशीट अभी नहीं कटी है ?

*२१—मार्च, १९६३ में बन्दूक और रिवाल्वर के लाइसेंसदार बाराबंकी जिले में हर पुलिस स्टेशन के हिसाब से कौन-कौन लोग थे उनके नाम और पता क्या सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ? क्या इन लोगों में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको नैतिक अपराध में सजा मिल चुकी है फिर भी वे लाइसेंसदार हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

*२२–२४—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

[चौथे बुधवार के लिए स्थगित किए गये।]

हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, मिश्रपुर की जांच

*२५—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले की हैंडलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी मिश्रपुर के हिसाब इत्यादि की अनियमितताओं की जो जांच सी० आई० डी० कर रही है वह कब तक मुकम्मल हो जायगी ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

जांच पूरी होने की तिथि के संबंध में इस समय बता सकना कठिन है ।

*२६—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री यह आदेश देंगे कि उल्लिखित जांच को प्राथमिकता दी जाय ताकि गरीब बुनकरों का कार्य फिर से चालू हो सके ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सरकार ने सी० आई० डी० द्वारा जांच शीघ्र पूरी किए जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं ।

सखरुआ निवासी श्री रामकमल रावत का कत्ल

*२७—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के खजनी के सखरुआ ग्रामवासी श्री रामकमल रावत का कत्ल १० नवम्बर, १९६४ को ९ बजे रात में गला दबा कर कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में कितनों का चालान हुआ है ? क्या श्री रावत के वारिसों द्वारा सी० आई० डी० की जांच की मांग की गयी है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

दिनांक ११ नवम्बर, १९६४ के सुबह ६ बजे थाना खजनी पर एक चौकीदार ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि एंग्लो जूनियर हाई स्कूल खजनी के सामने सड़क की बांई पटरी पर श्री रामकमल यादव की लाश पड़ी हुई है ।

मामले में सी० आई० डी० द्वारा जांच हो रही है । अभी किसी व्यक्ति का चालान नहीं हुआ है ।

मृतक के पुत्र ने मामले में सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने के लिए प्रार्थना-पत्र भेजा था ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या मृतक के पुत्र ने जो प्रार्थना-पत्र सी० आई० डी० को भेजा उसमें कुछ के नामजद भी किए थे कि उन पर मेरा शुबहा है ? यदि हां, तो उनका अभी तक चालान क्यों नहीं किया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

नाम दिया था लेकिन उससे चालान नहीं हुआ करता है ।

श्री उग्रसेन—

सी० आई० डी० की जांच सम्भवतः कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह बताना मुश्किल है ।

रुद्रपुर निवासी फेंकू गुप्त का कत्ल

*२८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला के रुद्रपुर थाने के रुद्रपुरवासी फेंकू गुप्त का रुद्रपुर–नगवा सड़क पर सेपरौना सीवान में दिनांक १४ नवम्बर, १९६४ को ७–८ बजे रात में कत्ल कर कुंजी छीन दूकान का ताला खोल सारा माल चुरा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सी० आई० डी० की जांच बैठा कर मुकदमा चलवायेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इस आशय की एक रिपोर्ट १५ नवम्बर, ६४ को थाना रुद्रपुर में दर्ज कराई गई जिसके आधार पर एक मुकदमा कायम हुआ और विवेचना की जा रही है। सी० आई० डी० द्वारा जांच करवाने की अभी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि जिस दिन उस व्यक्ति का कत्ल हुआ उसी दिन रुद्रपुर नगर में आकर ताला खोलकर उसका सारा सामान चुरा लिया गया, तो क्या दोनों मामलों पर कार्यवाही हो रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट में यह बात कही गयी है और सबकी जांच हो रही है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या मंत्री जी थाने के जरिए पूरी विवेचना न होने पर सी० आई० डी० की जांच कमेटी बैठाने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जांच का फल देखने के बाद ही यह निश्चय किया जायगा।

श्री लखीसिंह—

क्या मंत्री जी पढ़ने की कृपा करेंगे कि थाने में रपट क्या है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमान्, दरोगाजी, थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया, निवेदन है कि मेरा घर कस्बा रुद्रपुर में है। अरसा २०–२५ साल से मौजा सिहार चक में घर बनाकर वहीं दूकान करता हूं। मेरे परिवार के सभी लोग वहीं रहते हैं। खाना पीना वहीं खाते हैं। मेरा लड़का फेंकू रोजाना शाम को खाना खाकर कस्बा रुद्रपुर के घर जाने के लिए जाता था, रात में वहीं सोता था, सवेरे घर का ताला बन्द करके सिहार चक अपने दूकान पर चला जाता था।

कल तारीख १४ नवम्बर, १९६४ को शाम को करीब १ घंटा रात गये रोजाना की तरह खाना खाकर सिहार चक के घर से रुद्रपुर के घर में सोने के लिए आया, आज सवेरे जब सिहार चक वापस नहीं गया तो मैं पता लगाने के लिए रुद्रपुर अपने घर पर आया। यहां फेंकू नहीं था। घर का ताला खुला था और घर में से दो बक्सों में रखा हुआ नीचे लिखा सामान मय दोनों बक्सों के गायब था। फेंकू को तलाश किया परन्तु उसका कुछ पता नहीं चला। तलाश करता हुआ सिहार चक वापस जा रहा था, सेमरौना गांव के पश्चिम करीब डेढ़ फर्लांग जहां सड़क पानी से कट कर खरोह हो गई थी वहीं पहुंचने पर देखा कि सड़क पर खून गिरा है। वहां से घसीटने का निशान सड़क में उत्तर खरोह से होकर नरकट के आड़ तक बना है और खून गिरता गया है। नरकट के आड़ में भी काफी खून गिरा पड़ा है। वहीं पर मेरे लड़के का एक जोड़ा जूता काला तथा एक डायरी जिसमें खून लगा है जिसको मेरा लड़का फेंकू अपने पास रखता था और हिसाब-किताब लिखता था, पड़ा हुआ मिला। अपने लड़के की लाश की तलाश किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। मेरा खयाल है कि चोरों ने सिहार चक से आते समय मेरे लड़के को जान से मारकर लाश कहीं छिपा दिया है और उसके पास से कुंजी निकाल कर मेरे रुद्रपुर के घर का ताला खोलकर सामान निकाल लिया है। मेरी रिपोर्ट लिखकर जरूरी कार्यवाही की जाय। सामान जो चोरी गया है। साड़ी नग २.....

श्री अध्यक्ष—

बस, इसकी जरूरत नहीं है।

न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण

*२९—श्री मुहम्मद रफी खां, श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में न्यायांग (Judiciary) को कार्यांग (Executive) से कब तक पूर्णरूप से अलग कर दिया जायगा और अब तक अलग न किये जाने का क्या कारण है ?

विद्युत उप मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

इस प्रदेश में न्यायपालिका (judiciary) को कार्यपालिका (Executive) से अलग करने का प्रस्ताव उसूलन माना गया है। इस पृथक्करण (Separation) को एक योजना के अनुसार धीरे-धीरे कार्यान्वित किया जा रहा है। १९६१ से यह योजना उत्तराखंड और कुमायूं खंडों के जिलों को छोड़कर संपूर्ण प्रदेश में लागू है। यह योजना जुडीशियल अफसरों द्वारा चलाई जा रही है। इन अधिकारियों को हाई कोर्ट के मातहत रखने का प्रश्न—जो आपत्तिकाल (Emergency) घोषित होने के कारण स्थगित था—अब फिर सरकार के विचाराधीन है और इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

*३०—श्री मुहम्मद रफी खां, श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि न्यायांग को कार्यांग से शीघ्र से शीघ्र पृथक करने के लिए क्या केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार को अनुदेश भेजा है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

केंद्रीय सरकार का इस संबंध में कोई अनुदेश तो प्राप्त नहीं हुआ, हां, २९ अक्तूबर, सन् १९६४ को गृहमंत्रालय में केंद्रीय गृह मंत्री तथा प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसमें न्यायांग तथा कार्यांग के पृथक होने के प्रश्न पर भी विचार हुआ था। उक्त मीटिंग की कार्यवाही इस प्रदेशीय सरकार को भी भेजी गई है, जिस पर विचार हो रहा है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि न्यायांग और कार्यांग को पृथक करने में आपत्तिकालीन स्थिति ने क्या दुश्वारियां पैदा कर दी हैं, जब कि हमारे प्रदेश की यह बहुत दिनों की मांग है और कान्स्टीटयूशन में भी है, फिर उसको क्यों लागू नहीं किया गया है और कब तक सरकार इन्तजार करती रहेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रदेश के बहुत से भाग में तो अलग हो गया है लेकिन और सब जगह करने में काफी खर्चे का भी सवाल आ रहा है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि २९ अक्तूबर को होम मिनिस्ट्री, गवर्नमेन्ट आफ इंडिया में जो मीटिंग हुई थी, उसने कौन-कौन से सुझाव दिये जिन पर प्रान्तीय सरकार विचार कर रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उन्होंने यह कहा था कि इसको अलाहिदा कर दिया जाय। हाई कोर्ट के मातहत विंध्याचल से उधर जो कुछ स्टेट्स हैं उनमें अलाहिदा है भी और जिनमें अलाहिदा नहीं है उनमें अलाहिदा करने पर विचार किया जा रहा है। इसमें हमें क्या दिक्कतें होंगी, कितना स्टाफ इसके लिये आवश्यक होगा, उसमें कितना खर्चा होगा इन बातों पर यह सरकार विचार कर रही है ?

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अभी तक सरकार ने जिन स्थानों पर जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग किया है वे लोग डी० एम० या कमिश्नर के मातहत काम कर रहे हैं, तो क्या सरकार उनको डिस्ट्रिक्ट जज के अन्डर में करने पर विचार कर रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ऐसा नहीं है। ए० डी० एम० (जे०) के मातहत जुडीशियल आफिसर्स हैं और वह कमिश्नर के मातहत हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी ए० डी० एम० (जे०) को डिस्ट्रिक्ट जज और जुडीशियल आफिसर्स को हाई कोर्ट के मातहत करने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने कहा कि इस पर सरकार विचार कर रही है। इसमें एक दिक्कत यह है कि इसके लिये स्टाफ की आवश्यकता होगी जिस पर करीब १२ लाख रुपया व्यय होगा। इसके अलावा और भी पहलू हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

माननीय मंत्री जी ने इन दोनों अंगों को अलग करने में सब से बड़ी दिक्कत १२ लाख रुपये के खर्चे की बतायी। इसमें पैसे का प्रश्न नहीं है, यह एक बहुत ही मौलिक और सिद्धान्त का सवाल है और इसी चीज को देखते हुए इनको अलाहिदा करने के बारे में सर्वसम्मति से तय किया गया और कुछ प्रदेशों ने इसको अलग करके हाई कोर्ट के मातहत भी कर दिया है, फिर हमारी सरकार क्यों नहीं करती ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने बताया कि सब स्टेट्स में अलग नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है। जहां नहीं है वहां पर अलग करने पर विचार किया जा रहा है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कब तक यह विचार समाप्त हो जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस विषय में विचार हो रहा है, कब तक समाप्त हो जायगा इसके बारे में निश्चित नहीं बताया जा सकता।

संयुक्त जांच समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन

*३१—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पटेल जांच आयोग ने प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिये जो सैम्पुल सर्वे किया था वह किन-किन जिलों में लागू हुआ और उस पर कुल कितना रुपया किस-किस जिले में खर्च करने का प्राविधान है और कब तक ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

संयुक्त जांच समिति की संस्तुतियां देवरिया, आजमगढ़ जौनपुर तथा गाजीपुर जिलों में लागू की गई हैं। १९६४–६५ में योजनागत परिव्यय के अतिरिक्त उक्त चार जिलों के लिये क्रमशः रु० १४८.९४९ लाख, रु० ९२.३२४ लाख, रु० ८६.०१७ लाख तथा ८७.४५८

लाख के अतिरिक्त परिव्यय की स्वीकृति दी गई है। भविष्य के वर्षों में भी धन की उपलब्धि के अनुसार परिव्यय रखे जायेंगे।

*३२—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पटेल जांच आयोग की सिफारिशें गोरखपुर में लागू न करने का क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

धन की कमी के कारण संयुक्त जांच समिति की सभी सिफारिशों को गोरखपुर में नहीं लागू किया जा सका यद्यपि निजी लघु सिंचाई कार्यों के लिये जो विशेष सुविधायें देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर तथा गाजीपुर में दी गई हैं उन्हें गोरखपुर के दो ब्लाकों में लागू कर दिया गया है।

*३३—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में अन्य पूर्वी जिलों में सेम्पुल सर्वे के लिये चुने गये जिलों में आबादी का घनत्व, निर्धनता, बाढ़, प्रति व्यक्ति आय आदि मामलों में क्या भिन्नता है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

निर्धनता तथा प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े जिलेवार नहीं एकत्र किये जाते। प्रदेश के पूर्वी जिलों में आबादी का घनत्व तथा पिछले तीन वर्षों में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रफल संलग्न तालिका में दिखाया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १११३ पर)

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, सरकार ने यह कहा कि इस समय सिंचाई कार्यक्रम के सिलसिले में गोरखपुर जिले के दो ब्लाक शामिल किये गये हैं, तो इन दोनों ब्लाक्स या अन्य ब्लाकों में जो अन्य सिफारिशें हैं, जैसे बाढ़ को रोकना, या ट्यूबवेल्स लगाना, या सड़कें बनाना, पूरे जिले में क्यों नहीं लागू की गयी हैं, क्या इसको माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जब ज्वाइन्ट स्टडी टीम का निर्माण हुआ तो उसकी जो रिपोर्ट आयी उसमें जो कुछ उन्होंने कहा है उसे सरकार ने कई बार इस सदन में कहा है कि ४ जिले जो सैम्पुल सर्वे के लिये छांटे गये हैं। जैसे ही साधन जुट जायेंगे उनको और जिलों में भी लागू किया जायगा। सबसे बड़ी समस्या रिसोर्सेज की है। सरकार को कोई खुशी नहीं है कि अगर रिसोर्सेज हो जाय तो भी लागू न करे। इन चार जिलों के लिये जो सुझाव दिये गये हैं उसके अनुसार २९ करोड़ से ४० करोड़ यानी १०.४९ करोड़ रु० अतिरिक्त खर्च करने का कार्यक्रम तीसरी योजना के अन्तर्गत है। इसमें गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने करीब ९ करोड़ रुपये की मदद की है। चौथी योजना में राज्य सरकार का आदेश है कि सारे जिलाधीश पटेल स्टडी टीम की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए ही, उसी के अनुसार अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना बनावें। गोरखपुर के दोनों ब्लाक तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ले ही लिये गये हैं लेकिन जहां तक और सिफारिशों के कार्यक्रम के संचालन का प्रश्न है, वे चौथी योजना में सारे सूबे में अपने आप लागू हो जायेंगी।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि यह संयुक्त स्टडी टीम जो मुकर्रर हुई उसके बाद इस आदरणीय सदन में तथा बाहर भी सरकार ने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि स्टडी टीम द्वारा सेम्पिल सर्वे की जो सिफारिशें होंगी वे समान रूप वे प्रदेश के पूर्वी जिलों में लागू होंगी ? इस संबंध में मैंने भी एक पत्र मंत्री जी को लिखा था। यह बिलकुल स्पष्ट आश्वासन इस आदरणीय सदन में प्रदेशीय सरकार ने दिया, तो फिर सरकार उस आश्वासन की पूर्ति क्यों नहीं कर रही है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

सरकार ने इस तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया था कि उसकी सिफारिशें समान रूप से सब जिलों में लागू होंगी। सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि सैम्पिल सर्वे की सिफारिशें उन चार जिलों में तो लागू होंगी ही और जैसे-जैसे धन हमें मिलता जायगा, वैसे-वैसे उनको पिछड़े हुए जिलों में जो पहाड़ी क्षेत्र के, बुन्देलखण्ड के तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, इनको लागू कर देंगे।

श्री कृष्णानन्दराय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पटेल संयुक्त समिति ने जो इन जिलों का दौरा किया और उसने सैम्पिल सर्वे के साथ जो सिफारिशें की हैं क्या सरकार ने उनकी जांच की कि यदि उन सब को लागू किया जाय तो कितने करोड़ रुपए का व्यय होगा ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

यह तो मैंने पहले ही कह दिया कि २९.९५ करोड़ का प्राविधान था और जब उन्होंने तीसरी प्लान में और बढ़ाने की बात की तो १० करोड़ ४९ लाख और बढ़ाकर सिफारिश की जिसको सरकार करने जा रही है।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी पूर्वी जिलों की आबादी के घनत्व की तालिका के अनुसार बतायेंगे कि वहां सबसे अधिक आबादी का क्षेत्र कौन सा है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

वह इस वक्त तो मेरे पास नहीं है लेकिन संभवतः वाराणसी ही है।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले में इस आयोग की संस्तुति कार्यान्वित की जा रही है लेकिन वहां भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोई कार्य इस संस्तुति के अनुसार नहीं हो रहा है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

ऐसा अगर माननीय सदस्य बतायेंगे तो सरकार देखेगी।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

हमारे यहां गोरखपुर सब वे अधिक बाढ़ ग्रस्त जिला है तो जिस तरह से सरकार ने इन जिलों में योजना लागू की है वैसे ही वहां बाढ़ नियंत्रण और कटाव से बचने के लिये सरकार कोई विशेष व्यवस्था करने की बात सोचेगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इस पर भी हम अलग से विचार कर ही रहे हैं।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पटेल कमेटी की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसमें इन चार जिलों में और साथ ही साथ आसपास के जिलों में बाढ़ और कटाव को रोकने के लिये योजना में कितने रुपये का प्राविधान है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इस काम के लिये अलग से तो प्राविधान बताना कठिन है लेकिन आप कहें तो मैं १० करोड़ ४९ लाख का ब्रेक अप बता दूं। ट्रान्सपोर्ट व कम्युनिकेशन के हेड में १ करोड़ २२ लाख, सोशल सुरक्षा में १ करोड़ १८ लाख, इर्रीगेशन एण्ड पावर में २ करोड़ —

श्री अध्यक्ष—

वह तो सब छपी हुई चीज है, उसको आप वहां देख लें।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस तरह से प्रदेश में शहर विकसित हो रहे हैं और देहाती इलाके अविकसित हैं उसी तरह से पटेल आयोग के भी जो विकसित इलाके हैं वहां योजना लागू हो रही है, और जो अविकसित इलाके हैं और बाढ़ आदि के पिछड़े क्षेत्र हैं वहां वह लागू नहीं हो रही है, तो उनमें लागू करने के संबंध में मंत्री जी का क्या विचार है?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

वह तो इन चारों जिलों में सामान्य रूप से लागू होगी।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, यह सारे पूर्वी जिलों में पटेल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का प्रश्न है, माननीय मुख्य मंत्री ने भी कई बार आश्वासन दिया था, मंत्री जी का कहना है कि केन्द्रीय सरकार रुपया नहीं दे रही है। तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि केन्द्रीय सरकार के ऊपर एक डेप्यूटेशन लेकर जायं, जिसमें विधान सभा और विधान परिषद् के माननीय सदस्य हों और चाहें तो अपोजिशन के लोग भी हों और वे प्रधान मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष, श्री अशोक मेहता जी से मिलने की कृपा करें और उनसे कहें कि सारे पूर्वी जिलों के ऊपर इन्हें लागू किया जाय ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, वे तो ८.९ करोड़ रुपया दे रहे हैं। मेरे विचार में भारत सरकार के पास कोई प्रतिनिधि भेजने की आवश्यकता नहीं है। चौथी योजना जो बन रही है उसमें भारत सरकार की स्टेटिस्टिक्स के आधार पर योजना बनायी जा रही है। यह तो भारत सरकार और प्रदेशीय सरकार के बीच का हिसाब है। प्रतिनिधित्व करने की जरूरत नहीं है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

श्रीमन्, सच तो यह है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में शहरी इलाके और उनके आसपास के इलाके तो इन पंचवर्षीय योजनाओं में विकसित हो रहे हैं पर उत्तर प्रदेश के देहाती क्षेत्र पिछड़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से इन पूर्वी जिलों में भी जो पटेल आयोग के विकसित इलाके हैं, उनमें तो विकास हो रहा है पर जो बाढ़ के इलाके हैं और पिछड़े इलाके हैं, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। तो क्या सरकार सारे पिछड़े इलाकों में विकास कार्य करने की कोशिश करेगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, माननीय सदस्य का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष से है। देवरिया भी तो कोई बड़ा शहर नहीं है। सारे देवरिया में भी तो २८-२९ ब्लाक्स होंगे। उन सब ब्लाकों में समान रूप से यह योजना लागू होगी।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि चौथी पंचवर्षीय योजना में सभी योजनाओं में बुन्देलखण्ड और पहाड़ी इलाकों को, सब को शामिल किया जायगा तो पटेल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिये और जो सिफारिशें की हैं, उन चार जिलों के लिये, उनका मूल्यांकन करने के लिये कि वह काम चौथी पंच वर्षीय योजना में पूरा हो जायगा या हो रहा है, उन सब उद्देश्यों को देखने के लिये कोई समिति, जिसमें इस सदन के माननीय सदस्य हों और दूसरे टेक्निकल या अर्थशास्त्री हों, बनाने को तैयार है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, यह तो आगामी प्रश्न है। सरकार आगे निर्धारित करेगी कि क्या करना है।

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न कुछ और है। आपने कहा कि आयोग की जो रिपोर्ट है उसकी सिफारिशें बुन्देलखण्ड और पिछड़े पहाड़ी इलाकों में तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में लागू होंगी। उनका कहना है कि पूर्वी जिलों में जिसके लिये विशेष रूप से यह आयोग नियुक्त हुआ था, जो योजना है उनको पूरा कराने का प्रयत्न करेंगे और उसको देखने के लिये कोई समिति बनायेंगे ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

पूर्वी जिलों के ४ जिलों में अभी से कार्यक्रम शुरू है। इसके अलावा जो पिछड़े हुए जिले हैं, चौथी योजना में इसी रिकमेन्डेशन के आधार पर सरकार के आदेश हैं कि काम हो।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

श्रीमन्, पटेल आयोग के सदस्य यह चाहते थे कि इन ४ जिलों में यह कार्य एक्सैलेरेट किया जाय लेकिन इधर के माननीय सदस्यों का अनुभव है कि उस तत्परता से काम नहीं किया जा रहा है जिसकी अपेक्षा की गयी थी। तो क्या माननीय मंत्री जी इन अधिकारियों को फिर से आदेश देंगे कि पटेल आयोग की सिफारिशों के अनुसार तत्परता से कार्य करें ताकि यह जिले विकसित हो सकें और पश्चिमी जिलों के बराबर हो सकें ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

यह बात सच है कि पिछले वित्तीय वर्ष में पटेल आयोग की सिफारिश के अनुसार जो धन की स्वीकृति हुई थी वह देर से मिली। सरकार की पूरी कोशिश है और हिदायतें भी संबंधित अधिकारियों को जारी कर दी गयी हैं कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी किया जाय और पूर्ण आशा है कि निर्धारित योजना के अन्तर्गत वे अपने लक्ष्य से आगे हो जायंगे।

श्री झारखण्डेराय—

क्या यह बात सच है कि पटेल आयोग के अन्तर्गत जो धनराशि इन ४ जिलों के विकास के लिये विशेष रूप से दी गयी थी उसमें इस साल कुछ धनराशि भारत सरकार ने नहीं दी है और उसे प्रान्तीय सरकार को ही देना पड़ रहा है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

यह तो हिसाब-किताब की बात है। इसका पता नहीं है कि कौन देता है और कौन लेता है लेकिन वह रुपया है और वह कार्यक्रम बड़ी तेजी से चलेगा।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पटेल आयोग की सिफारिशों के अनुसार गोरखपुर और देवरिया के बार्डर पर देवरिया जिले में ३५-४० मील लम्बा बांध राप्ती के किनारे बनने जा रहा है जिससे गोरखपुर पर बुरा असर पड़ेगा ? यदि हां, तो इस बुरे प्रभाव को सरकार रोकने के लिये कौन से कदम उठाने जा रही है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी कि क्या असर पड़ेगा ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

क्या अध्यक्ष महोदय पटेल आयोग पर एक दिन बहस करने के लिये इजाजत दे सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

बजट के जमाने में भी आप इस पर बहस कर सकते हैं । अगर आप तब भी संतुष्ट नहीं हुए तो आप यह प्रस्ताव रख सकते हैं ।

फतेहपुर जिले में 'दरियाव सिंह की गाढ़ी' तथा 'बावनी इमली' का ऐतिहासिक महत्व

*३४—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर में टाउन एरिया खागा में "दरियाव सिंह की गढ़ी" तथा खुजहा के पास 'बावनी इमली' जिले के एतिहासिक महत्व के स्थान हैं ? यदि हां, तो उनके पीछे क्या इतिहास है तथा क्या सरकार इनको प्रोटेक्टेड स्थान (protected monument) घोषित करने तथा उनके संरक्षण हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

डाक्टर सीताराम—

टाउन एरिया खागा में दरियाव सिंह की गढ़ी के ऐतिहासिक महत्व के स्थान होने के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं । जहां तक बावनी इमली का प्रश्न है, यह ऐतिहासिक महत्व रखती है, यह कहा जाता है कि श्री जोधा सिंह अटैया, निवासी ग्राम रसूलपुर, परगना बिन्दकी को जिन्होंने १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भाग लिया था मय उनके ५१ अन्य साथियों के इसी वृक्ष में लटका कर फांसी दी गई थी । इसी कारण इसको बावनी इमली कहते हैं । उपरोक्त दोनों स्थान विशेष ऐतिहासिक महत्व के नहीं हैं अतएव ये दोनों स्थान अभी तक राज्य सरकार के संरक्षण में नहीं लिये गए हैं ।

श्री रक्षपालसिंह—

'फ्रीडम स्ट्रगिल इन उत्तर प्रदेश' यह पुस्तिका सूचना विभाग द्वारा छपाई गयी है उसमें ऐतिहासिक महत्व के ८ फोटो दिये गये हैं, उनमें से दरियाव सिंह की गढ़ी का फोटो पृष्ठ ७४२ पर है, तो उसे देखते हुए क्या माननीय मंत्री फिर से जांच करायेंगे ?

डाक्टर सीताराम —

जैसा माननीय सदस्य ने बताया है, मैं उसकी जांच करा लूंगा ।

श्री रक्षपालसिंह—

श्रीमन्, बहुत से ऐसे स्थानों को सरकार ने प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया है, उनमें से कुछ के रख रखाव का भी प्रबन्ध वह करती है, तो क्या सरकार इन स्थानों को भी प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेअर करने की कृपा करेगी जिससे इनका रख-रखाव होता रहे ?

डाक्टर सीताराम—

जांच करके यदि आवश्यक हुआ तो कर दिया जायगा ।

*३५—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—

[चौथे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*३६—श्री सुखलाल—

[हटा दिया गया ।]

खैराबाद का कथित हरिजन विद्यालय

*३७—श्री उग्रसेन—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन कल्याण परिषद् द्वारा संचालित खैराबाद, जिला सीतापुर में जो विद्यालय चल रहा है उसकी गत छः महीने में प्रगति क्या है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

खैराबाद, जिला सीतापुर में हरिजन कल्याण विभाग के अनुदान से कोई विद्यालय नहीं चल रहा है ।

*३८—श्री उग्रसेन—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि उस विभाग द्वारा कितना अनुदान १९६३–६४ और १९६४–६५ के लिये मिला है ?

*३९—श्री उग्रसेन—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बोर्ड के अध्यक्ष ने गत सप्ताह उत्तर विद्यालय के सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा है कि उक्त विद्यालय तोड़ दिया गया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि खैराबाद जिला सीतापुर में जो विद्यालय चल रहा है उसे केन्द्रीय सरकार ने अनुदान दिया है जिसकी एक कमेटी है और जिस की अध्यक्ष बेगम अली जहीर हैं, वही इसका इंतजाम कर रही हैं ? यदि हां, तो कहां तक नियंत्रण है और उसकी क्या प्रगति है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

प्रदेश में एक सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड हैं जिसकी प्रेसीडेंट बेगम अलीजहीर हैं, उससे संबंधित कोई सहायता मिली होगी । हमारे विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वह विद्यालय बन्द न होने पाये, चलता रहे ? श्रीमन्, मेरी सूचना है कि वह बन्द कर दिया गया है । क्या ? इसकी जांच करा के मंत्री जी उचित सहायता करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इसकी जांच करा ली जायगी ।

सचिवालय में मुख्य सचिव की शाखा में हरिजन अधिकारी

*४०—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सिविल सेक्रेटेरियट लखनऊ के चीफ सेक्रेटरी ब्रांच में असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंटों एवं सुपरिन्टेंडेंटों सहित कितने अधिकारी हरिजन हैं और वे किन-किन पदों पर नियुक्त हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मुख्य सचिव की शाखा में एक ही हरिजन अधिकारी हैं । वे निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश तथा उप सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के अपने पद के कार्यों के अतिरिक्त मुख्य सचिव शाखा में उप सचिव के पद पर नियुक्त हैं ।

सचिवालय के शिक्षा विभाग में पुराने अधिकारी

*४१—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सिविल सेक्रेटेरियट लखनऊ के शिक्षा विभाग में किन-किन अधिकारियों को किन विशेष योग्यता एवं प्रशासकीय कारणवश पांच वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर नियुक्त कर रक्खा गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उत्तर प्रदेश सचिवालय के शिक्षा विभाग में केवल श्री कैलाश नारायण मालवीय ही ऐसे अधिकारी हैं जो पांच वर्षों से अधिक समय से उप-सचिव के पद पर नियुक्त हैं । श्री मालवीय के कार्य का संबंध शिक्षा संबंधी अति महत्वपूर्ण एवं जटिल अधिनियमों एवं योजनाओं से है । उनके स्थानान्तरण से कार्य की प्रगति में भारी बाधा होती, अतः कार्यहित में उन्हें उक्त पद पर इतने समय तक रहने दिया गया है ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

प्रश्न संख्या ४० के उत्तर के संबंध में क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य सचिव शाखा में कुल कितने सहायक अवीक्षक, अवीक्षक अधिकारी हैं और जब हरिजनों का १८ परसेंट कोटा मुकर्रर है तो केवल एक ही हरिजन को उस ब्रांच में रखने का क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जो १८ परसेंट का कोटा रखा गया है, वह उन लोगों के लिये है, जिनका रिक्रूटमेंट डाइरेक्ट किया जाता है या कम्पटीटिव एग्जामिनेशन के थ्रू आते हैं, यहां पर ऐसी बात नहीं, इसलिये इसका प्रश्न नहीं उठता ।

योजना आयोग के अन्तर्गत मूल्यांकन यूनिट

*४२—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि योजना आयोग के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में योजना के प्रत्येक वर्ष में प्रगति की जांच के लिये कोई मूल्यांकन यूनिट की स्थापना की गई है ? यदि हां, तो क्या उसने किसी वर्ष का मूल्यांकन किया है ?

नोट :—तारांकित प्रश्न ४१ के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं । वर्ष १९६५–६६ से एक मूल्यांकन यूनिट की स्थापना करने का निश्चय किया गया है । अतः अभी किसी वर्ष का मूल्यांकन किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*४३—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तृतीय योजना में कितना व्यय सार्वजनिक क्षेत्र में करने का लक्ष्य अन्तिम रूप से निश्चित किया गया था और उसमें अब तक कितने व्यय की लक्ष्य पूर्ति हो चुकी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य तथा केन्द्र दोनों की योजनायें शामिल हैं । केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत होने वाले व्यय का ब्योरा प्राप्त नहीं है ।

उत्तर प्रदेश की तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग ५०२ करोड़ रुपये के व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । प्रथम तीन वर्षों में लगभग २४४.५ करोड़ रुपये व्यय हो चुका है । चालू वर्ष के लिये १२२.५ करोड़ रुपये के व्यय का प्राविधान (provision) है तथा इस राशि से अधिक व्यय होने का अनुमान है ।

सरधना थाना में डाक्टर सूरजकुमार की हत्या की जांच

*४४—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर जिले के खतौली नामक स्थान में नहर पर दिनांक २ मई, १९६४ को कोई मरडर हुआ था ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा सरकार द्वारा अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां ! मृतक के भाई श्री मानिक चन्द ने दिनांक ४–५–६४ को प्रातः ८ बजकर ३५ मिनट पर थाने पर इस प्रकार की सूचना दी कि दिनांक २–५–६४ को शाम के करीब ६ बजे एक अनजान व्यक्ति मृत डाक्टर सूरज कुमार की दूकान पर पहुंचा और उनसे सलावा ग्राम, थाना सरधना, जिला मेरठ अपने बीमार बच्चे को देखने को कहा। डाक्टर और वह अनजान व्यक्ति ग्राम सलावा की ओर गये तब से डाक्टर लौटे नहीं। इस सूचना पर खतौली पुलिस ने जांच की । जांच से सलावा पावर हाउस पर तैनात मनोहर लाल मेहतर से एक घड़ी, एक फाउनटेन पेन और जूते, जो डाक्टर सूरज कुमार के थे, प्राप्त हुए । उसने बताया कि जाल में एक लाश फंस गई थी जिसको उसने नहर में आगे फेंक दिया ।

*४५—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या गृह मंत्री बतलायेंगे कि उक्त हत्याकांड के संबंध में उन्हें ६–७ जुलाई, १९६४ को श्रीमती स्नेहलता, खतौली, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा कोई ज्ञापन मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां । श्रीमती स्नेहलता का पत्र शासन को प्राप्त हुआ था । इस समय मामले में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच हो रही है ।

सहारनपुर में कंजड़ों की पुनर्वास व्यवस्था

*४६—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या समाज कल्याण मंत्री को मोहल्ला किशनपुरा, सहारनपुर में नदी किनारे बसे हुए कंजड़ों तथा छाज वालों की तरफ से १० दिसम्बर, १९६४ का प्रार्थना-पत्र मिला है जिसमें उनके रहने की जमीन से उन्हें हटाने की कार्यवाही के विरुद्ध शिकायत की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन लोगों की Co-operative Housing Society का तुरन्त Registration करा के उन्हें अपने मकान स्वयं बनाने के लिये सहायता देने के आदेश देगी ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां । नगरपालिका, सहारनपुर इनके बसाने हेतु भूमि एक्वायर कर रही है । भूमि एक्वायर हो जाने के बाद उस भूमि पर इन्हीं लोगों के लिये गन्दी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत मकान बनाये जायेंगे । सरकार ने नगरपालिका की इस योजना पर १ लाख रुपया स्वीकार किया है । इसलिये किसी हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन कराने या उन्हें स्वयं मकान बनाने के लिये सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रोजेक्ट उद्योग योजना

*४७—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि प्रदेश में किन-किन जिलों की क्षेत्र समितियों में प्रोजेक्ट उद्योग की योजना चल रही है और इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक विकास के लिये क्या विशेष सुविधायें दी जाती हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह योजना इलाहाबाद, सहारनपुर, झांसी, अल्मोड़ा तथा गाजीपुर जिलों की क्षेत्र समितियों में चल रही है ।

इसके अन्तर्गत मिलने वाली विशेष सुविधाओं का ब्योरा संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १११४ पर)

रिपब्लिक होटल, लखनऊ में केरल वासी 'ज्वाय' की गिरफ्तारी

*४८—श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर अथवा अक्तूबर, १९६४ में लखनऊ के किसी होटल में 'ज्वाय' नामक कोई विदेशी जासूस पकड़ा गया ? यदि हां, तो (अ) उसका पूरा परिचय क्या है ? (ब) गिरफ्तारी के समय क्या-क्या सामान बरामद हुआ ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

२७ अक्टूबर, १९६४ को स्थानीय रिपब्लिक होटल में "ज्वाय" नामक एक व्यक्ति आर्म्स ऐक्ट की धारा २५ के अन्तर्गत पकड़ा गया । किन्तु जांच के फलस्वरूप कोई ऐसा तथ्य न प्राप्त हो सका जिससे यह धारणा बनाई जा सके कि यह व्यक्ति जासूसी कार्य में संलग्न था ।

(अ) उक्त व्यक्ति का पूरा नाम थाई पेराम्बिल जोजेफ कुरियन वरगीज उर्फ ज्वाय बरगीज है । यह केरल राज्य का निवासी है । यह हिन्दुस्तानी ईसाई है तथा इसके पिता का नाम श्री टी० पिलो वर्गीज है । ज्वाय पहले वायुसेना में स्थल क्रेफ्ट्समैन था और वाराणसी की एक नर्स से, जो इसकी दूर की संबंधी भी है, प्रेम हो जाने के कारण तथा नौकरी से छुट्टी न मिल सकने के कारण ८ मार्च, १९६३ को नौकरी से भाग खड़ा हुआ । उसके बयान के

अनुसार वायु सेना से वह भगोड़ा (Deserted) घोषित हो चुका है। इस बारे में संबंधित फौज के अधिकारियों को आवश्यक सूचना भेज दी गई है।

(ब) गिरफ्तारी के समय बरामद होने वाले सामान में पहिनने ओढ़ने के कपड़े, बर्तन, प्रसाधन के सामान के अतिरिक्त ११ कारतूस, रेडियो संबंधी दो किताबें, तथा एक फाइल जिसमें उसके निजी पत्र एवं अन्य कागजात थे और दवाइयों की शीशियां तथा एक निजी डायरी थी।

फरीदपुर गन्ना सोसाइटी से नलकूप अनुदान

*४९—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६२–६३ में जिला बरेली के फरीदपुर गन्ना सोसाइटी के कितने काश्तकारों को नलकूप बनाने का अनुदान दिया गया और किनको नहीं दिया गया और क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

वर्ष १९६२–६३ में फरीदपुर गन्ना सोसाइटी के किसी भी कृषक को नलकूप अनुदान नहीं दिया गया क्योंकि जिन कृषकों के नलकूप वर्ष के अन्दर पूरे हो गये थे, उनके अनुदान संबंधी कागजात त्रुटिपूर्ण थे और अनुदान स्वीकृति से पूर्व उनकी आवश्यक जांच अपेक्षित थी। वह जांच अब पूरी हो गई है।

नारायण डिग्री कालेज, शिकोहाबाद में छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता

*५०—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १४ जनवरी, १९६४ के आसपास नारायण डिग्री कालेज, शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी में हरिजन छात्रों को मिलने वाली राजकीय सहायता में कालिज अधिकारियों द्वारा बरती गई अनियमितताओं के संबंध में श्री नेत्रपाल व्यास, शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी का कोई शिकायती पत्र मिला ? यदि हां, तो उस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। जांच कराने से ज्ञात हुआ कि प्रधानाचार्य, नारायण डिग्री कालेज, शिकोहाबाद के विरुद्ध गबन या धन के दुरुपयोग का कोई केस नहीं बनता। फिर भी छात्रवृत्ति वितरण में कुछ अनियमितायें की गई हैं, जिनपर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

सिकन्दराराव थाने में अपराध

*५१—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिकन्दराराव पुलिस स्टेशन, जिला अलीगढ़ के अन्तर्गत सन् १९६३–६४ में कितने कत्ल, कितनी चोरियां तथा कितनी डकैतियां हुयीं तथा इनमें कितने व्यक्तियों का चालान हुआ और कितने मुकदमे पुलिस द्वारा चलाये गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वांछित सूचना वित्तीय वर्षानुसार तो नहीं अपितु कैलेंडर वर्ष १९६३ और ६४ में जितने कत्ल, जितनी चोरियां और डकैतियां हुईं और अन्य वांछित सूचना संलग्न तालिका में अलग-अलग दे दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १११५ पर)

*५२—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार को मालूम है कि इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू चुन्ना फरार है और वह अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

चुन्ना डाकू सिकन्दराव इलाके का नहीं है । वह मौजा अडैपुरा, थाना मारहरा, जिला एटा का रहने वाला है जो कि काफी अर्से से फरार है । यथेष्ट प्रयत्न के बाद भी उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है ।

मुरादाबाद जिले में अपराध

*५३—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में दिनांक १ जनवरी, १९६४ के बाद किन-किन जगहों पर फिरकेवाराना झगड़े हुये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिला मुरादाबाद में दिनांक १-१-६४ के उपरांत कोई साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं हुआ ।

*५४—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मंत्री यह बतायेंगे कि मुरादाबाद जिले में पहली जनवरी, सन् १९६४ से ३१ दिसम्बर, १९६४ तक कितने कत्ल, डकैती, चोरी और फौजदारी की वारदातें हुयीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस अवधि में जिला मुरादाबाद में ८६ कत्ल, ५७ डकैती, १,२३७ चोरी तथा १७६ फौजदारी की घटनायें हुईं ।

जगतपुर थाने में राहजनी

*५५—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत जुलाई सन् १९६४ से दिसम्बर, सन १९६४ तक थाना जगतपुर, डलमऊ कोतवाली और ऊंचहा में कितनी राहजनी दर्ज की गई है और इन जुर्मों में कितने-कितने व्यक्तियों का चालान किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस अवधि में थाना जगतपुर में राहजनी की केवल ३ रिपोर्ट दर्ज कराई गई हैं । इन मामलों में किसी भी व्यक्ति का चालान नहीं किया गया । थाना डलमऊ और कोतवाली में राहजनी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई । ऊंचहा नाम का कोई थाना इस जिले में नहीं है परन्तु ऊंचाहार रेलवे स्टेशन के निकट मुस्तफाबाद थाना है जहां राहजनी की कोई रिपोर्ट इस अवधि में दर्ज नहीं कराई गई ।

इलाहाबाद कचेहरी का हत्या-काण्ड

*५६—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद की कचेहरी में दिनांक १२ दिसम्बर, १९६४ को दो आदमियों को जिसमें एक पुलिस कांस्टेबिल तथा दूसरा सेशन कोर्ट का मुलजिम था गोली से मार डाला गया ? यदि हां, तो यह घटना क्या थी तथा उसमें अब तक कितने आदमी पकड़े गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां, दिनांक १२-१२-६४ को इलाहाबाद कचेहरी के हाते में एक पुलिस हेड कांस्टेबिल तथा एक सेशन कोर्ट के मुलजिम को गोली से मार डाला गया। घटना का विवरण संलग्न है। अब तक ८ अभियुक्त पकड़े गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १११६ पर)

मुबारकपुर थाना क्षेत्र से भग्गन का साइकिल सम्बन्धी मुकदमा

*५७--श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कोढ़वा, बाबू थाना मुबारकपुर, जिला आजमगढ़ के भग्गन, पुत्र रघुवर की साइकिल नं० २०४१० तथा ७१ रुपये नकद थानाध्यक्ष मुबारकपुर ने दिनांक २१ नवम्बर, १९६३ को जबरदस्ती ले लिया? यदि हां, तो क्यों? क्या यह सही है कि भग्गन ने दिनांक ८ दिसम्बर, सन् १९६४ को हाकिम परगना मुहम्मदाबाद गोहना तथा इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारियों को आवेदन-पत्र दिया है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री हरगोविन्दसिंह--

श्री अब्दुल जैस ग्राम असाउर ने अपनी साइकिल चोरी जाने की एफ रिपोर्ट २८-८-६३ को थाना मुबारकपुर को दर्ज कराई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित उक्त साइकिल की हुलिया श्री भग्गन की साइकिल से मिलने के सन्देह में पुलिस ने उसे २१-११-६३ को नहीं बल्कि २५-१०-६३ को श्री भग्गन के कब्जे से आजमगढ़ अस्पताल के सामने बरामद की। श्री भग्गन के खिलाफ मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है। थानाध्यक्ष मुबारकपुर द्वारा ७१ रु० लेने की बात सही नहीं पाई गई।

श्री भग्गन का उक्त आशय का ८-१२-६४ का नहीं बल्कि ७-१०-६४ का एक आवेदन-पत्र पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को प्राप्त हुआ था जिस पर जांच की गई और उन्हें सूचित कर दिया गया कि उनका साइकिल संबंधी मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

झांसी से कोष्ठी बिरादरी सम्बन्धी पत्र

*५८--श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सत्य है कि झांसी मुहल्ला कुष्टयाना, अन्दर सैयर गेट, काली बाड़ी रोड, झांसी द्वारा सरकार को माह नवम्बर, १९६४ में इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया गया है कि कोष्ठी बिरादरी के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाय? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर सीताराम--

जी हां। उक्त प्रार्थना-पत्र पर निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण एवं जिलाधीश की रिपोर्ट मांगी गई है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायगी।

बिजनौर मालखाने में जनता से प्राप्त अस्त्र

*५९--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

विधान सभा के ३ सितम्बर, १९६४ के लिये निर्धारित प्रश्नकर्त्ता एवं श्रीराम द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर से सम्बन्धित क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो नीलाम रद्द किया गया उसमें कौन-कौन असलहा किस-किस व्यक्ति को कितने-कितने रुपये में दिये गये थे?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १११७ पर)

चकबन्दी आयुक्त

*६०—श्री शिवनार्थासिंह (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान चकबन्दी आयुक्त और संयुक्त चकबन्दी आयुक्त कितने दिनों से लखनऊ में हैं और उन्हें ३ साल अधिक होने पर भी वहां से स्थानान्तरित क्यों नहीं किया जाता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्री केहर सिंह, चकबन्दी आयुक्त, लखनऊ में ५ अक्तूबर, १९५७ से हैं और श्री दशरथसिंह संयुक्त चकबन्दी आयुक्त, ८ जून, १९५७ से हैं । सरकार के ऐसे कोई आदेश नहीं हैं कि एक अफसर को एक शहर में तीन वर्ष से अधिक भिन्न-भिन्न पदों पर न रखा जाय ।

महोबा में हवालातियों की भूख-हड़ताल

*६१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक १५ दिसम्बर, १९६४ को महोबा, जिला हमीरपुर के अन्तर्गत पुलिस थाने में ४० कैदियों ने भूख-हड़ताल की थी जिसके फलस्वरूप हमीरपुर के उच्च अधिकारियों ने महोबा पहुंच कर उस मामले की जांच का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो यह भूख-हड़ताल कैदियों ने किसके विरुद्ध की थी और क्या कारण थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक १५ दिसम्बर, १९६४ को नहीं बल्कि ११ दिसम्बर, १९६४ को महोबा लाक-अप के अभियुक्तों ने अपना दोपहर का खाना नहीं लिया था । इसका कारण यह था कि भुना हुआ चना जो उनको प्रातः जलपान में दिया जाता था कुछ घुना हुआ था । अभियुक्तों को किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत नहीं थी ।

कानपुर जिले में हरिजन छात्रावास अनुदान

*६२—श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ से सन् १९६२ तक किन-किन स्थानों पर कितना-कितना धन कब-कब हरिजन छात्रावास निर्माण हेतु जिला व शहर कानपुर में विभाग की ओर से दिया गया ?

डाक्टर सीताराम—

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की ओर से सन् १९५६–५७ व १९५८–५९ में जे० पी० आर० एन० अमर इंटर कालेज, जाजमऊ, कानपुर को छात्रावास निर्माण हेतु ३,००० रुपये व १,७०० रुपये दिये गये । सन् १९६१-६२ में ग्राम उद्योग इंटर कालेज पुखरायां को ८,००० रुपये तथा अकबरपुर हायर सेकेंडरी स्कूल, अकबरपुर को ८,००० रुपये दिये गये ।

*६३—श्री ज्वालाप्रसाद—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ से १९६२ तक जिला व शहर कानपुर में किन-किन स्थानों के लिये हरिजन छात्रावास को रख-रखाव, अनुदान विभाग की ओर से दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम—

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की ओर से निम्नलिखित छात्रावासों को रख-रखाव सम्बन्धी अनुदान उनके सामने लिखे वर्षों में दिये गये—

छात्रावासों के नाम व पता	वर्ष जिसमें अनुदान दिया गया
१—हरिजन छात्रावास, पुखरायां, कानपुर	.. १९५६-५७ ।
२—जगजीवनराम छात्रावास, बुद्धपुरी, कानपुर	.. १९५६-५७ से १९६०-६१ तक ।
३—हरिजन छात्रावास, कर्नलगंज, कानपुर	.. १९५६-५७ से १९६०-६१ तक ।

*६४—श्री ज्वालाप्रसाद—

उक्त छात्रावासों में से किन-किन छात्रावासों को रख-रखाव अनुदान अभी भी दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो यह अनुदान कब से और क्यों देना बन्द किया गया, इस का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा की जायगी ?

डाक्टर सीताराम—

इस समय किसी भी छात्रावास को कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है । इन छात्रावासों को अनुदान उनके सामने लिखित वर्षों से बन्द किया गया है । बन्द किये जाने का विस्तृत विवरण भी साथ में दिया गया है—

छात्रावास का नाम	विस्तृत विवरण एवं वर्ष जिससे अनुदान बन्द किया गया
१—हरिजन छात्रावास, पुखरायां, कानपुर ।	इस छात्रावास के प्रबन्धक संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे थे । छात्रावास की व्यवस्था दिन प्रति दिन गिरती जा रही थी, अतएव जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर के माध्यम से इसका अनुदान सन् १९५७-५८ से बन्द कर दिया गया । तत्पश्चात् जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर की आख्यानुसार विभाग की ओर से कोई भी अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया ।
२—जगजीवनराम छात्रावास, बुधपुरी, कानपुर ।	इस छात्रावास के प्रबंधक ने स्वयं अपने पत्र दिनांक ३१ मार्च, १९६० के द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर के माध्यम से यह सूचित किया कि वह अप्रैल, सन् १९६० से छात्रावास नहीं रख सकेगा । अतएव अप्रैल, १९६० से इस छात्रावास का अनुदान भी बन्द कर दिया गया ।
३—हरिजन छात्रावास, कर्नलगंज, कानपुर ।	इस छात्रावास का प्रबन्ध संतोषजनक नहीं था अतएव जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर की आख्यानुसार इसका अनुदान ३० जून, १९६१ के उपरान्त बन्द कर दिया गया ।

शैलमारी आश्रम में कथित श्री सुभाषचन्द्र बोस

*६५—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश में 'महाभारत' और 'नेता जी गजट' नाम के कोई समाचार पत्र मार्च, १९६४ के बाद वितरित हो रहे हैं जिसमें नेता जी सुभाषचन्द्र बोस के जिन्दा रहने और शैलमारी आश्रम में होने की बात लिखी जाती है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गोरखपुर जिले में हरिजन गृह-निर्माण अनुदान

*६६—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में हरिजनों के मकान बनाने हेतु जो रुपया गत वर्ष भेजा गया था उसमें से कुल कितना खर्च हुआ तथा कितना खर्च होना बाकी है और क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

गोरखपुर जिले को गत वर्ष हरिजनों के मकान बनाने हेतु ७,२५० रु० दिया गया था उसमें से ५,००० रुपया व्यय हुआ था तथा २,२५० रुपया अवशेष है । धन के अवशेष का कारण यह है कि इन अनुदानों को क्षेत्रीय समिति के वैयक्तिक लेखे में वर्ष के अन्त में स्थानान्तरित किया गया ।

*६७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[हटा दिया गया ।]

*६८-६९—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

[तीसरे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ५८-५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

श्री बी० पी० शर्मा, ए० डी० एम० आर० ए०, कानपुर के विरुद्ध जांच

*७०—श्री शिवनार्थसिंह (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ए० डी० एम० आर०ए०, कानपुर, श्री बी० पी० शर्मा के विरुद्ध उनसे कोई प्रतिनिधि मंडल अगस्त, १९६४ के उत्तरार्ध में श्री उग्रसेन, सदस्य, विधान सभा के नेतृत्व में मिला था और उसने पुखरायां तहसील भवन के सामने उपर्युक्त ए० डी० एम० आर० ए० श्री शर्मा की कार में अवैध शक्कर बरामद होने के फलस्वरूप उचित जांच एवं कार्यवाही करने का आग्रह किया था ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह याद नहीं है कि कोई ऐसा प्रतिनिधि मंडल मिला था ।

*७१—श्री शिवनार्थसिंह—

क्या उपर्युक्त प्रश्न के संदर्भ में मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि क्या उपर्युक्त मामले में जांच कराई गई ? यदि हां, तो उसमें आरोपकर्त्ता को बुलाया गया था या नहीं ? उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई तथा उस जांच की रिपोर्ट क्या है ? यदि जांच नहीं कराई गई तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य श्री राजवंत सिंह से एस०एस०पी० कानपुर ने भेंट कर ली थी अतः आरोपकर्त्ता को बुलाने का प्रश्न नहीं उठा। जांच एस० एस० पी० कानपुर द्वारा कराई गई थी और आरोप निराधार पाये गये।

*७२—श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

[चौथे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

उद्योग उपनिदेशालय

*७३—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि यह देखते हुये कि प्रदेश में औद्योगिक कच्चे माल की अत्यन्त कमी है एक उच्च-स्तरीय समिति प्रदेश में इसके वितरण करने की नीति स्थिर करने के लिये स्थापित करेंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सरकार का कोई उच्च-स्तरीय समिति प्रदेश में औद्योगिक इस कच्चे माल के वितरण की नीति स्थिर करने के लिये स्थापित करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

*७४—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रीय उद्योग उप-निदेशालय (Directorate) खोले गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में और क्षेत्रीय उप-निदेशकों के कार्य क्या हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रदेश के ६ भागों में उद्योग उप-निदेशालय खोले गये हैं जो निम्नवत् हैं—

(१) बरेली (उत्तरी क्षेत्र)
(२) इलाहाबाद (दक्षिणी क्षेत्र)
(३) वाराणसी (पूर्वी क्षेत्र)
(४) मेरठ (पश्चिमी क्षेत्र)
(५) लखनऊ (मध्य क्षेत्र)
(६) आजमगढ़

प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रीय अधिकारियों का मुख्य कार्य अपने क्षेत्र के अन्तर्गत जिलों में विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कार्य-कलाप एवं प्रोग्राम को कार्यान्वित एवं उत्थान करना, उन्हें नियंत्रित रखना तथा उन पर देखरेख रखना है। इन अधिकारियों का यह भी कार्य है कि वह अपने कार्य क्षेत्र के अन्दर औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर औद्योगीकरण के लिये उद्योगों को स्थापित करने के इच्छुक एवं उपयुक्त लोगों को तलाश कर उन्हें योजना तैयार करने तथा औद्योगिक इकाइयां खड़ी करने में सहायता दें।

सरकार ने विभिन्न क्षेत्रीय अधिकारियों से अपने क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में सम्पर्क स्थापित रखना भी इनके कार्य कलापों में आता है

न्यायालयों में कार्य भाषा

*७५—श्री कृष्णानन्द राय तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि २६ जनवरी से प्रदेश के प्रशासन का काम हिन्दी में किये जाने की जो घोषणा उन्होंने की है उसमें उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों के कार्य भी सम्मिलित हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं ।

इलाहाबाद में श्री शंकरसिंह, ए० डी० एम०, की पुनर्नियुक्ति

*७६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि इलाहाबाद के श्री शंकरसिंह ए० डी० एम० (जे०) की नौकरी की अवधि कब समाप्त हुई तथा उनको कितने बार पुनः नौकरी (इक्सटेन्शन) दी गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उनकी नौकरी की अवधि १ नवम्बर, १९६३ को समाप्त हो गई थी। उनको उसी तिथि से प्रथम एक वर्ष के लिये पुर्नानियुक्त किया गया, तत्पश्चात् ६ माह के लिये और वृद्धि दी गई ।

*७७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के ए० डी० एम० (जे०) के विरुद्ध इलाहाबाद के जिलाधीश के पास बहुत-सी शिकायतें भ्रष्टाचार की आई हैं ? यदि हां, तो वह शिकायतें क्या हैं तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

केवल एक शिकायत बेल बान्ड्स की परीक्षा के बारे में थी जो जिलाधीश द्वारा जांच करने पर निराधार पाई गई, और शासन तक यह मामला नहीं आया ।

*७८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या यह सही है कि ए० डी० एम० (जे०) के इक्सटेंशन देने का विरोध जिलाधीश, इलाहाबाद तथा चीफ सेक्रेटरी ने किया था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह बताना उचित न होगा।

सिकन्दराबाद तहसील में अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*७९—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार कृपया जानकारी करके बतायेगी कि जिला अधिकारियों द्वारा ग्राम बादलपुर, सादोपुर, धूम व डेरी मच्छा, तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में किसानों की जो जमीन एक्वायर की जा रही है वह किस प्रयोजन के लिए ली जा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ग्राम बादलपुर, सादोंपुर, धूम व डेरी मच्छा, तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में किसानों की भूमि केंद्रीय सरकार द्वारा रक्षा कार्यों के लिए एक्वायर (Acquire) की जा रही है ।

*८०—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार उक्त किसानों को अन्यत्र काश्त के लिए भूमि दिलाने और अन्तरकालीन मुआवजा दिलाने की तुरन्त व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इन ग्रामों के आसपास कोई देने योग्य भूमि नहीं है जो किसानों को बदले में दी जा सके । किसानों को अन्तरकालीन प्रतिकर दिया जायगा ।

अतारांकित प्रश्न

अथर्टन वेस्ट ऐण्ड कम्पनी लि०, कानपुर

१—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया कानपुर स्थित अथर्टन वेस्ट एण्ड कंपनी लि० के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि (अ) सरकार द्वारा उसे वित्तीय वर्ष १९६०–६१ से अब तक कितने धन की ग्रांट दी गई ? (ब) सरकार द्वारा ग्रांट दिये जाने के बाद से अब तक प्रतिवर्ष कितना-कितना लाभ अथवा हानि कंपनी को हुई ? (स) कंपनी के अधिकृत कंट्रोलर तथा जनरल मैनेजर के ऊपर (वेतन, मकान भत्ते आदि) सरकार का तथा कंपनी का कितना धन प्रतिमास औसतन व्यय होता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(अ) वित्तीय वर्ष १९६०–६१ से अब तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अथर्टन वेस्ट एण्ड कंपनी लि० कानपुर को कोई गारंटी नहीं दी गई। उक्त कंपनी को सुचारुरूप से चलाने के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था हेतु, उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त १९५९ में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया लि०, कानपुर को ८० लाख रुपये की गारन्टी दी थी कंपनी ने लगभग २ मास पूर्व आवश्यक धन की प्राप्ति के लिए पंजाब नेशनल बैंक से प्रबंध कर लिया है। इसके पश्चात् सरकार द्वारा दी गई उक्त गारंटी भी ९ दिसम्बर, १९६४ को समाप्त हो चुकी है और अब उस तिथि से कारखाने को चलाने में राज्य सरकार का आर्थिक हित किसी भी प्रकार से निहित नहीं है।

(ब) कंपनी के लाभ का ब्योरा इस प्रकार है :—

वर्ष	(लाभ रुपयों में) ह्रास और विकास की छूट के लिए बिना किसी प्राविधान के
	रु०
१९६०	९,८४,६२६
१९६१	१२,७२,४५८
१९६२	६,८२,९१८
१९६३	६,९२,७१६
१९६४	१४,००,०००
	अनुमानित :

(स) कंपनी के अधिकृत कंट्रोलर जिसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार ने इन्डस्ट्रीज (डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, १९५१ के अधीन किया है तथा जनरल मैनेजर के ऊपर राज्य सरकार का को : धन व्यय नहीं होता है। उनके वेतन भत्ते मकान के किराए पर कंपनी के व्यय का ब्योरा इस प्रकार है :

	वेतन	भत्ता	प्रतिमास औसतन व्यय रुपयों में किराया भवन ..	योग
अधिकृत कंट्रोलर ..	१,७५०	७२	..	१,८२२
जनरल मैनेजर ..	२,६३४	१५८		२,७९२
कुल योग ..	४,३८४	२३०		४,६१४

फतेहपुर में न्यायालय भवन

२—श्री श्रीपनारायणसिंह—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चूंकि वर्तमान पुलिस दफ्तर की बिल्डिंग के पास से कलेक्टरी कचेहरी की बिल्डिंग जो नई जगह पुलिस कप्तान फतेहपुर महोदय के निवास-स्थान के पास बन रही है काफी दूर होने जा रही है इसलिए क्या वे पब्लिक प्रोजिक्यूटिरों व पुलिस के गवाहों को उक्त कचहरी की बिल्डिंग के पास ही रहने, ठहरने व पुलिस कागजात लाने व देखने की सहूलियत देने के लिए उक्त नई कलेक्टरी की कचेहरी की बिल्डिंग के पास ही नया पुलिस दफ्तर बनवाने की कृपा करेंगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

कथित परिस्थिति में ही सरकार ने आदेश दिए हैं कि पब्लिक प्राजिक्यूटरों का कार्यालय कचेहरी की नई इमारत में ही बनाया जाय। पुलिस दफ्तर की नई इमारत १९५९ में बनी है। अतः नई कलेक्ट्री कचेहरी की इमारत के पास नया पुलिस दफ्तर बनवाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

चीनी मिलें

३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में इस समय कितने कुल चीनी बनाने की मिलें हैं तथा उसमें से कितनी मिलें चालू हैं और कितनी मिलें बन्द है तथा बन्द होने के कारण क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रदेश में कुल ७१ चीनी मिलें हैं और इस समय सभी मिलें चालू हैं। कोई भी मिल बन्द नहीं है।

४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में गन्ना पेरने वाली चीनी मिलों का कितना उत्पादन १९६२–६३ में हुआ था तथा कितना १९६३–६४ में होने की संभावना है और अब तक कितना उत्पादन १९६३–६४ में हो चुका है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वर्ष १९६२–६३ तथा १९६३–६४ में प्रदेश में चीनी का उत्पादन क्रमशः ८.४७ तथा ११.०६ लाख मैट्रिक टन था।

तृतीय पंचवर्षीय योजना व्यय

५—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अग्रेण वर्ष में प्रदेश में योजना पर कितना रुपया व्यय हुआ है और व्यय करने का कितना लक्ष्य था तथा योजना के अंतिम वर्ष में व्यय करने का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रदेश के तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ७२.१७ करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था और ७०.१२ करोड़ रुपये व्यय हुआ।

वार्षिक योजना १९६५–६६ के लिए बजट में १४१ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। अतिरिक्त संसाधन (Addl. resources) के मिलने पर योजना पर व्यय १५५ करोड़ रुपये तक बढ़ाये जाने की संभावना है।

सिकन्दराराव में रिक्शा तांगा चलाने की मुनादी

६—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २९ नवम्बर, १९६४ को सिकन्दराराव, जिला अलीगढ़ में पुलिस इंस्पेक्टर श्री बढ़ गोत्री ने सारे तांगे, इक्के तथा रिक्शे वालों को चलने से रोक दिया था और उस दिन कोई भी तांगा, इक्का और रिक्शा सिकन्दराराव से बाहर तथा सिकन्दराराव में नहीं मिल रहा था ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया और उन गरीब तांगा, इक्का तथा रिक्शा वालों को एक दिन की आय की हानि हुई उसकी किसकी जिम्मेदारी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

२९ नवम्बर, १९६४ को सिकन्दराराव नगर पालिका का चुनाव था। यह ज्ञात होने पर कि उम्मीदवारों ने हजारों रिक्शे इत्यादि जिनके पास नगर पालिका सिकन्दराराव का ल इसेंस नहीं है, वोटरों की सवारी में देने के लिए बाहर से मंगाये हैं जनता को मुनादी द्वारा सूचित किया गया कि कानून के विरुद्ध कोई भी रिक्शा, इक्का व तांगा नगर में नहीं चलेगा। किसी भी रिक्शे, इक्के व तांगे को जिसके पास नगर पालिका सिकन्दराराव का लाइसेंस था, चलने के लिए नहीं रोका गया। आय की हानि की जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं उठता।

७—श्री नेकराम शर्मा—

क्या यह सही है कि सिकन्दराराव के पुलिस इंस्पेक्टर श्री बढ़ गोत्री ने ही पूरा दिन नगर टाउन एरिया के चेयरमैन श्री सियाराम शर्मा जी से गाली-गलौज की और जेल भेजने की धमकी दी क्योंकि यह इंसपेक्टर साहब दूसरे व्यक्ति का चुनाव में समर्थन कर रहे थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं। इस आरोप में कोई सत्यता नहीं है।

८—श्री नेकराम शर्मा—

क्या यह सही है कि इसी पुलिस इंस्पेक्टर ने नगरपालिका के सदस्य, श्री रणवीर को सिकन्दराराव के बाजार में पिटवाया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं, पुलिस इंसपेक्टर के विरुद्ध यह आरोप सत्य नहीं पाया गया।

प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

प्रश्नों के संबंध में श्रीमन् मेरा एक निवेदन है। प्रश्न ३३ के संबंध में तालिका दी गई है। मैंने प्रश्नकर्त्ता के पास जाकर देखा कि तालिका उनके पास है, जिसमें सब जिलेवार आबादी का घनत्व, निर्धनता, बाढ़ आदि के बारे में जानकारी दी हुई है। किन्तु मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के उत्तर के समय कहा कि तालिका उनके पास नहीं है। इसलिए आपको अध्यक्ष महोदय यह ध्यान देना चाहिए क्योंकि प्रश्नों के उत्तर आपके पास भी रहते हैं। मंत्री महोदय के पास सूचना होते हुए भी, उसे नहीं बताते हैं और उसे छिपाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

अगर प्रश्न में लिखा था, आबादी और क्या-क्या, जिसको मांगा गया था उन्होंने उसका उत्तर दे दिया तो बात खत्म हो गई।

श्री रघुनाथसिंह—

उन्होंने कहा था तालिका संलग्न है किन्तु घनत्व का विवरण मेरे द्वारा मांगने पर और वह हमारे पास कहा की सूचना नहीं है यदि सूचना न थी तो उन्होंने सूचना कैसे दे दी ?

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको कैसे समझाऊं ? उत्तर तो हो गया है, अब खत्म कीजिए ।

सदन द्वारा प्रदत्त धन्यवाद के प्रस्ताव के उत्तर में श्री राज्यपाल का पत्र

श्री अध्यक्ष—

राज्यपाल महोदय का एक पत्र मुख्य मंत्री जी के पास आया है, जिसे उन्होंने मेरे पास भेज दिया है । मैं आपको पढ़कर सुना दूं, इसमें लिखा है—

"मुख्य मंत्री महोदय,

आपका पत्र दिनांक ११ फरवरी, १९६५, जिसके द्वारा विधान सभा के संकल्प की सूचना दी गयी थी, के लिए धन्यवाद । इस संबंध में सदन के माननीय सदस्यों और विशेषतया अध्यक्ष महोदय और नेता सदन को धन्यवाद देने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं मिलते हैं । मेरा निवेदन है कि विधान सभा के माननीय सदस्यों को मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद कह दें । यह कहना अनावश्यक है कि राज्य के प्रमुख की प्रतिष्ठा उनकी अपनी ही प्रतिष्ठा है ।"

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, एक निवेदन यह है कि मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह पत्र महामहिम राज्यपाल महोदय का हिन्दी में या अंग्रेजी में यहां आया है और आप उसका अनुवाद यहां पढ़कर सुना रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

पत्र हिन्दी ही में है—माननीय राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर भी हिन्दी में हैं, यह बहुत संतोष की बात है ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब विशेषाधिकार की अवहेलना की कई सूचनायें मेरे पास आई हैं । तो आदरणीय सदन के समक्ष एक रूलिंग मैं रख दूं ताकि इस संबंध में भविष्य में गलती न हो । पहले भी मैं आदरणीय सदन का ध्यान इस पर आकर्षित कर चुका हूं और अब फिर करना चाहता हूं कि पृष्ठ ३४३ अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों के संकलन १९५२ से १९६२ तक में यह निर्णय हुआ है कि विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न शीघ्रातिशीघ्र उठाया जाय । विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की मौखिक सूचना तत्काल होने के बाद भी उसकी लिखित सूचना घटना के दूसरे दिन अध्यक्ष के पास अवश्य आ जानी चाहिए—

"श्री लक्ष्मी रमन आचार्य जी ने श्री गोविंदसिंह विष्ट के भाषण देते रहने के बारे में एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का नोटिस दिया था परसों और यह आज ११ बजे के बाद मेरे पास भेजा है । तो बहुत देर हो गई है, इसके लिए । वह तत्काल ही दूसरे रोज आना चाहिए था, लेकिन दो रोज तक वे रास्ता देखते रहे । मैं अब इसको बहुत देर हो जाने की वजह से स्वीकार नहीं करता हूं । इसका कोई कारण नहीं है कि कल आपने क्यों नहीं दिया ।"

जितनी सूचनाएं मेरे पास आई हैं, बिलम्ब से आई हैं, विलम्ब होने के कारण मैंने एक भी नहीं स्वीकार किया है, सिवाय एक मा० लखपतिराम शर्मा के जिस पर मैं

[श्री अध्यक्ष]

बाद में निर्णय दूंगा। अब यद्यपि देर से आने के कारण व निर्णय विरुद्ध हुआ है--उसके बाजजूद मैं इन सारी सूचनाओं को सम्बद्ध मंत्रियों के पास भेज दूंगा, इस वास्ते कि अगर गलत सूचनाएं माननीय सदस्यों को उत्तर में मिली हैं, तो मैं उसे बहुत ही गम्भीर मामला समझता हूं। मैं चाहूंगा कि अगर मंत्री महोदय ने अपने रिकार्ड के अनुरूप बयान दिया है, तो उनका कर्त्तव्य यह है कि माननीय सदस्यों ने जो उसके विपरीत बातें कही हैं, उनकी जांच करायें और जांच कराके मुझे सूचित करें कि जो सूचना उन्होंने पहले दी थी वह सही थी या गलत थी। अगर गलत थी तो उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

मैंने एक सूचना माननीय राममूर्ति जी को भेजी थी। राममूर्ति जी ने यह बताया कि श्री रतीपाल जी द्वारा जो प्रश्न १० फरवरी, १९६५ को विधान सभा में पूछा गया था, उसका उत्तर जिला नियोजन अधिकारी, रायबरेली की सूचना के आधार पर दिया था। जिला नियोजन अधिकारी ने यह सूचित किया था कि ११ व्यक्तियों को पंपिंग सेट के हेतु तकावी दी गई थी और उनमें से ६ व्यक्तियों ने अपने कार्य को पूरा कर लिया। श्री आनन्द कुमार निवासी पूरबगांव के कार्य को भी पूर्ण दिखाया गया था और ३०० रु० उनसे वसूल होना दिखाया था, इसी आधार पर यह उत्तर सदन में दिया गया था। जिला नियोजन अधिकारी, रायबरेली को एक पत्र १५ फरवरी, १९६५ को भेजा गया है, जिसमें उन्हें इस बात के लिए निदेश दिया गया है कि वह सूचना की पुनः जांच करे और यदि यह सूचना गलत है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जैसे ही सही रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी सदन के सम्मुख रखी जायगी। इसमें जिस व्यक्ति की गलती होगी उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

हम चाहेंगे कि अन्य मंत्री भी इसी पद्धति का अनुकरण करेंगे।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

जो सूचनायें आपने नहीं लीं हैं, उनको पढ़कर कृपा करके सुना दीजिए।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १६ तारीख को मैं इस सदन के समक्ष आया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को ऐसा मालूम होता है कि जैसे मैं मौके पर मौजूद था।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

अध्यक्ष जी, पढ़कर सुनाने का तो नियम है, सुना दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

नहीं। नियम नहीं है, उसमें यह है कि मैं स्वीकार करूं या न स्वीकार करूं। मैंने कोई स्वीकार नहीं किया।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

अब मेरे पास कार्य स्थगन प्रस्ताव कई एक आये हैं। इस विषय में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। कुंवर श्रीपालसिंह ने लिखकर दिया है कि "केन्द्र द्वारा राज्य भाषा पद से हिन्दी के स्थान एवं पद परिवर्तन के संकेत से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में घोर असन्तोष एवं उत्तेजना व्याप्त हो गयी है। केन्द्रीय नेता वर्ग द्वारा अपने विनिश्चय में परिवर्तन करने देने की सूचना एवं मुख्य मंत्री द्वारा अपने निर्णय पर आडिग रहने की घोषणा न किये जाने से प्रदेश की जनता में यह विश्वास हो गया है कि प्रदेश का नेतृत्व

भी अपने निश्चय को बदल रहा है। मुख्य मंत्री द्वारा अभी तक कोई घोषणा न किये जाने से पूरे प्रदेश में सरकार के प्रति अविश्वास एवं रोष व्याप्त है।"

इस संबंध में मैं सिर्फ आपसे यह निवेदन करना चाहता था कि घोषणा की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। वह तो कानून है और कानून की दृष्टि से या संविधान की विधि की दृष्टि से सन् ६५ के पश्चात् शब्द "इंगलिश" अनुच्छेद से निकल गया है। अब हिन्दी या रीजनल (क्षेत्रीय) भाषा ही रहेगी।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, अभी अखबारों में यह प्रचार हुआ है कि केन्द्रीय सरकार में पं० जवाहरलाल नेहरू के कुछ आश्वासन थे, उन आश्वासनों को पूरा करने के संबंध में मुख्य मंत्रियों की राय लेकर तब वहां केन्द्र में कोई अधिनियम बनेगा या पहले अधिनियम में कोई संशोधन होगा ?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने इस सदन में कहा है कि जिस विषय को मैं स्वीकृत नहीं करता उस पर बहस की आज्ञा नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस पर बहस करा रहे हैं और यदि यह होगा तो फिर सदस्य बोलना आरम्भ करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, वह कुछ बोल नहीं रहे हैं उस विषय पर, वह तो स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—

हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि जब मुख्य मंत्री जी वहां कान्फ्रेंस में जायं तो उसमें जो कुछ भी अपने प्रदेश के संबंध में राय दें तो वह पहले इस सदन की राय ले करके जायं। आपकी तरफ से कोई चीज न हो जाय जिसे यहां की जनता बिलकुल नहीं चाहती।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न जैसा मैंने कहा, अंग्रेजी का प्रश्न उठता नहीं है। इस विषय में संविधान का आदेश है और उसे हमें पालन करना है और उसके अनुरूप हम चल रहे हैं। यहां पर भाषा विधेयक प्रस्तुत हुआ और वह सदन के आदेश से समाप्त कर दिया गया। तो अब वह प्रश्न नहीं उठता। अंग्रेजी में हम काम कैसे करेंगे ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, हमने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था कि उत्तर प्रदेश नागरिक जो तामिलनाड और आन्ध्र में दूकानें खोले हुए थे उनकी दूकानों को फूंक दिया गया है या उनको मार डाला गया है हिन्दी विरोधी आन्दोलन के सिलसिले में और इस तरह पर वे सब २६ जनवरी के पश्चात् राष्ट्रभाषा के मामले को लेकर राष्ट्र के साथ द्रोह कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रश्न को महत्वपूर्ण मानकर उसको किसी रूप में लाने की इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठ जावें। उसका प्रश्न नहीं उठता। भाषा के बारे में आपने देखा कि माननीय उग्रसेन एक बात कह रहे हैं और माननीय श्रीपालसिंह जी ने एक बात कही है। हमारे सामने एक प्रश्न उपस्थित हो जाता है। अखबारों में कुछ बात छप गयी इसलिये उस संबंध में तो मैंने मुनासिब समझा कि माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं। जिसको मैं समझता हूं कि महत्व का प्रश्न है और पब्लिक काफी इंटेरेस्टेड है या उनको दिलचस्पी है तो मैं उसे पढ़ देता हूं। यह तो नहीं हो सकता कि मैं सभी कामरोको प्रस्तावों को देखने लगूं।

[श्री अध्यक्ष]

माननीय उग्रसेन जी का ऐसा कथन है कि उत्तर प्रदेश के निवासी जो मद्रास या दक्षिण में रह रहे हैं उन पर उनके कहने के मुताबिक ज्यादतियां हुई हैं, वे मारे गये हैं, लूटे गये हैं। वे हमारे प्रदेश के रहने वाले हैं। हमारे देश में मद्रास भी है, हमारे देश में उत्तर प्रदेश भी है। हर एक भारतीय है चाहे वे यहां के निवासी हों चाहें कहीं के। यहां के मूल निवासी वहां की सरकार से चाराजोई कर सकते हैं यदि उन पर कोई हमला हुआ है।

देवरिया जिले के श्री जगदीश तिवारी तथा कुछ अन्य व्यक्तियों की हत्याओं एवं डकैतियों की घटनाओं के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने एक सूचना केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार की है। वह माननीय उग्रसेन जी की है, जो इस प्रकार है—

"दिनांक ९ फरवरी, की रात में ग्राम हरैया, थाना खुखुन्द, जिला देवरिया के श्री जगदीश तिवारी की हत्या कर दी गयी। ग्राम कुयी वंर, थाना लार में एक व्यक्ति की हत्या दिन दहाड़े कर दी गयी। १० फरवरी को दर्द गोलिया थाना गौरी बाजार में एक ६० वर्षीय व्यक्ति को रात को सोते समय भाले से मारकर हत्या कर दी गयी। ७ फरवरी को साढे १२ बजे रात में ग्राम देवकली के श्री रामसिंहासन भगत थाना खुखुन्द के घर में भीषण डकैती पड़ी और डाकुओं ने गोलियां चलाईं। इस प्रकार गत सप्ताह में देवरिया जनपद में डकैती, चोरी और कत्ल की घटनाओं की बाढ़ सी आ गयी है जिससे जन जीवन दूभर हो गया है। जिला प्रशासन ध्यान आकृष्ट करने पर भी कुछ नहीं करता।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय गृह मंत्री जी से स्पष्टीकरण की मांग करता हूं।"

माननीय गृह मंत्री जी इस पर कब वक्तव्य देंगे ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

कम से कम एक हफ्ता तो चाहिये ही।

श्री अध्यक्ष—

तो आगामी बृहस्पतिवार को यह वक्तव्य होगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मेरा भी एक नियम ५२ में प्रस्ताव है। स्वशासन और जलकल विभाग के कर्मचारी संघ के मंत्री शेरसिंह जी नेगी आज कई दिन से मोती झील के प्रवेश द्वार पर अनशन कर रहे हैं .....

श्री अध्यक्ष—

अब उसके ऊपर बात नहीं होगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मेरा एक प्रस्ताव है। वह बड़ा महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री मिश्र जी ने हमारी पुलिस के ऊपर आक्षेप लगाया है कि हमारी पुलिस डकैतों में शामिल है।

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के ऊपर तफसील के साथ में प्रत्येक सूचना पर आदेश लिख देता हूं। आप उसको देख लें।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

कार्यवाही के लिये आप भेज दें। उत्तर प्रदेश की पुलिस को वहां वालों ने चार्ज किया है कि वह डकैती में शामिल थे।

श्री अध्यक्ष—

आप उन सूचनाओं को जाकर देख सकते हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री चन्द्रबलासिंह (जिला देवरिया)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार की अवहेलना के ऊपर आपने अभी प्रश्नों को स्थगित किया है। उसके सिलसिले में नियम ६७ में यह लिखा हुआ है कि "किन्तु जब अध्यक्ष ने नियम ६४ के अन्तर्गत सम्मति देने से इन्कार कर दिया हो या उनकी राय हो कि चर्चा के लिये प्रस्थापित विषय नियमानुकूल नहीं है तो वे शिकायत को सदन में पढ़कर सुना सकेंगे और कह सकेंगे कि वे सम्मति देने से इन्कार करते हैं।" तो इसके लिये मैंने कहा कि कृपया उनको पढ़ दीजिये। तो अब उसको कृपया पढ़ दीजिये कि क्या सवाल था।

श्री अध्यक्ष—

अगर मैं आवश्यक समझूंगा तो पढ़ूंगा और आवश्यक नहीं समझूंगा तो नहीं पढ़ूंगा।

मन्त्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास आज माननीय टम्बेश्वरप्रसाद, माननीय रक्षपालसिंह और माननीय रामचरण शाह का अविश्वास का प्रस्ताव आया है कि मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं—

"यह सदन वर्तमान मंत्रि परिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है।" इस संबंध में मैं नियम २७४ की ओर आवरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा जिसमें लिखा है कि "मंत्रि परिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्मति से निम्नलिखित निर्बन्धनों के साथ किया जा सकेगा —

(क) प्रस्ताव करने की अनुज्ञा प्रश्नों के अनन्तर तथा दिन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मांगी जायगी।

(ख) अनुज्ञा मांगने वाले सदस्य को उस दिन का उपवेशन आरम्भ होने से पूर्व सचिव को उस प्रस्ताव को, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता है, एक लिखित सूचना देनी होगी।"

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, हमने भी एक प्रस्ताव इसी संबंध में दिया है जो आप मंगलवार को लेंगे। आपने कहा था कि वह मंगलवार को लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

आप ठीक कहते हैं। आपने कहा था कि आप चाहते है कि वह मंगलवार को लिया जाय। तो मंगलवार को लेने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह तो इसी समय माननीय टम्बेश्वर-प्रसाद जी की तरफ से आया है। मैं इस पर आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। ऐसा प्रस्ताव उस दिन दिया जायगा कि जिस दिन माननीय सदस्य उसको उठाना चाहते हैं। तो उन्होंने आज दिया है और इसी समय वह इसको उठाना चाहते हैं तो उठायें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

जब मैंने इस प्रस्ताव को दिया तो उस समय कहा था कि मैं इसको सभी विरोधी दल के सदस्यों के साथ मंगलवार को ही उठाना चाहता हूं। जो सुविधा आप और लोगों को देते हैं वह हमें भी मिलनी चाहिये। यही हम भी आप से चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय टम्बेश्वरप्रसाद ने यह प्रस्ताव मेरे सामने रखा और मुझसे यह प्रार्थना की कि यह मंगल को लिया जाय तो मैंने आपसे कहा कि मंगल को लेने का क्या सवाल है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैंने निवेदन किया था कि जब और विरोधी दलों को यह सहूलियत मिल सकती है तो मेरी समझ में नहीं आया कि मेरे ऊपर ही इस तरह की कृपा क्यों की जा रही है और मैं ही उससे क्यों वंचित हूं। आज विरोधी दल के नेता सदन में नहीं हैं ....

श्री अध्यक्ष—

या तो आप इसे वापस लें या फिर प्रेस करें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैं टम्बेश्वरप्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि वे इसको वापस ले लें, मंगल को साथ चढ़ कर मार करेंगे।

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

साधारणतया जब बजट अधिवेशन हो रहा हो और अभी राज्यपाल महोदय के अभि-भाषण पर सदन ने धन्यवाद का प्रस्ताव स्वीकार किया हो तो वह एक प्रकार से सरकार में विश्वास का प्रस्ताव स्वीकार हो ही गया है। इसके अतिरिक्त २२ तारीख से अनुदान पास होंगे। इसलिये विरोधी दल को अनेक अवसर प्राप्त हो सकते हैं कि जब हो सके वे सरकार को हटा दें। लेकिन जब विरोधी दल पूरी तरह से तैयार है कि अविश्वास का प्रस्ताव लाया ह ी जाय तो हम भी चाहते हैं कि हमको जल्द से जल्द मुक्ति मिले और वे अविश्वास का प्र स्ताव पेश करें और इसलिये अनुरोध है कि आज ही उसको लाया जाय और यह आज ही पेश किया जाय।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

अविश्वास का प्रस्ताव पेश हो चुका है और इसलिये अब उस पर वोटिंग करा ली जाय।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय बनारसीदास जी खुद ही इस बात को महसूस करते हैं कि उनको जल्द से जल्द मुक्ति मिलनी चाहिये। मैं यह कह रहा था कि अविश्वास का प्रस्ताव एक और है जिसे विरोधी दल के नेताओं ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संयुक्त रूप से दिया था। वह प्रस्ताव आप के विचाराधीन था और कल सदन में उस संबंध में चर्चा उठी थी और उस पर आपने कहा था कि अगर लोग चाहते हैं तो उसे आना चाहिये। उसके बाद हम लोग आपके कक्ष मे आपसे मिले थे और यह निवेदन किया था कि कई विरोधी दल के नेतागण, जिन्होंने वह प्रस्ताव दिया था यहां मौजूद नहीं हैं और आवश्यक कार्य-क्रम से बाहर चले गये हैं इसलिये उचित होगा कि चूंकि उनके ही हस्ताक्षर उस पर हैं और कोई दिन निर्धारित नहीं था इसलिये इस विशेष परिस्थिति में हमने आपसे यह आग्रह किया था कि आप इसके लिये मंगलवार का दिन निर्धारित करें। आपने समझा कि यह महत्व का प्रस्ताव है इसलिये मेहरबानी करके उस प्रार्थना को स्वीकार किया था कि यह मंगल को सदन की अनुमति के लिये प्रस्तुत किया जायगा। अब एक दूसरा अविश्वास का प्रस्ताव यहां आ गया है। नियमों के अनुसार वह प्रस्ताव आज प्रश्नों के तत्काल बाद और सदन का दूसरा काम शुरू होने के पहले पेश होना चाहिये। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय टम्बेश्वर-प्रसाद जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इसको वापस ले लें और मंगलवार को इसे पेश कर के संयुक्त रूप से इसको लिया जाय।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

श्रीमन्, आज है उस में एक अजीब सिलसिला है कि सरकारी पक्ष चाहता है कि अविश्वास का प्रस्ताव पेश हो और विरोधी दल चाहता है कि वह पेश न हो। यह भी एक अजीब तमाशा है। मुझे एक और परेशानी है जिसकी ओर चन्द्र जोत जी ने भी इशारा किया। शोचनीय स्थिति यह है कि अविश्वास के प्रस्ताव पर भी वे लोग एक मत नहीं हैं!

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

इस उपदेश या प्रवचन की जरूरत नहीं है। यह सुनने के लिये हम लोग यहां नहीं बैठे हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या नवलकिशोर जी व्यवस्था के किसी प्रश्न के संबंध में बोल रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री नवलकिशोर—

एक दलील यह दी गयी और टम्बेश्वरप्रसाद जी ने कहा कि नेता विरोधी दल नहीं हैं इसलिये इसे न लिया जाय। आप तो चीफ व्हिप हैं, यदि वह आज नहीं थे तो आपने यह प्रस्ताव पेश क्यों कर दिया? उनके आने पर पेश करते।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैंने उसके साथ चिट्ठी भेजी थी जिसको अध्यक्ष महोदय ने पढ़ा नहीं, केवल प्रस्ताव पढ़ दिया।

श्री अध्यक्ष—

चिट्ठी कोई नहीं है। आपने जबानी कहा था .....

श्री नवलकिशोर—

यह तो टम्बेश्वरप्रसाद जी से गलती हो गयी। इसे वह मानें तो ठीक, नहीं तो इसे पेश कर दीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

वह प्रस्ताव सदन की अनुज्ञा से ही वापस होना चाहिये। अब वह सदन में पेश हो चुका है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, बनारसीदास जी ने कहा कि सरकारी पक्ष तैयार है अविश्वास के प्रस्ताव के लिये और यह भी कहा कि हम जल्दी छुट्टी पाना चाहते हैं तो मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि अगर उनको यह पता लग जाय कि वे अवि वास के प्रस्ताव द्वारा वास्तव में छुट्टी पा जायेंगे तो ऐसी बात न कहते। उनको अच्छी तरह से पता है कि वे आज छुट्टी नहीं पा सकते। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अविश्वास के प्रस्ताव के लिये मंगलवार का दिन निर्धारित किया गया था इस बात को समझ कर सारे नेता विरोधी दल बाहर चले गये जो। टम्बेश्वरप्रसाद जी ने प्रस्ताव पेश किया है उसके लिये आप उनसे पूछ लें कि वह वापस ले रहे हैं या नहीं, फिर कोई निर्णय दें।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं नियम २७४ से के दूसरे खंड की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें है कि "यदि अध्यक्ष की राय हो कि प्रस्ताव नियमानुकूल है तो वे प्रस्ताव को सदन को पढ़ कर सुनायेंगे और उन सदस्यों से जो अनुज्ञा दिये जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों पर खड़े होने की प्रार्थना करेंगे,' श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि आपने इस प्रस्ताव को नियमानुकूल समझा और इस सदन में प्रस्ताव पढ़ कर सुना दिया। अब इस प्रक्रिया नियमावली के अनुसार आप माननीय सदस्यों से प्रार्थना करें कि जो इसके पक्ष में हैं वे खड़े हो जायं। इसे वापस लेने की स्थिति अब नहीं है, क्योंकि यह प्रस्ताव अब सदन की सामग्री है और सदन की संपत्ति हो जाने के कारण जब तक सदन अनुज्ञा न दे यह वापस नहीं हो सकता। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप यह प्रार्थना करें कि जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हो वे खड़े हो जायं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा निवेदन यह है कि अगर आप समस्त विरोधी दलों के सदस्यों को समय दे सकते हैं, और मुझे नहीं दे सकते, तो मैं मजबूर हूं कि मैं अपने प्रस्ताव को प्रेस न करूं, मैं उसे प्रेस नहीं करता, आप उसे मंगलवार को ले लें. . . . (व्यवधान) मैं आज उसे वापस लेता हूं, मंगलवार को फिर दे दूंगा. . . . .

(व्यवधान)

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

मान्यवर, यह प्रस्ताव आपके सामने आ गया है और उस पर यहां चर्चा भी हो गयी है। अब तो आप नियमों के अनुसार, जैसा अभी कहा गया है, आगे की कार्यवाही करें। वापस लेने का इसमें कोई प्रश्न नहीं है, उस पर राय ले लें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

जब मैं कहता हूं कि मैं प्रस्ताव प्रेस नहीं करना चाहता तो आप उस पर राय क्यों ले रहे हैं . . . . .

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

अभी माननीय कल्पनाथसिंह जी ने जो बात कही वह आपने सुनी। उन्होंने यह कहा है कि नियम २७४ (२) इस प्रकार है "यदि अध्यक्ष की राय हो कि प्रस्ताव नियमानुकूल है तो वे प्रस्ताव को सदन को पढ़कर सुनायेंगे और उन सदस्यों में जो अनुज्ञा दिये जाने के पक्ष में हो, अपने स्थानों पर खड़े होने की प्रार्थना करेंगे ....आदि आदि" अतः अब इस नियम के मातहत मेरे सामने एक मात्र रास्ता यही है कि मैं यह प्रार्थना करूं कि जो भी माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों तो वे खड़े हो जायं.....

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं उसे प्रेस करना ही नहीं चाहता आज.....

(व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

जब हम सदस्यों ने यह प्रस्ताव दिया था तो आपने यह कहा था कि आप उसे मंगलवार को लेंगे। माननीय नवलकिशोर जी ने भी जैसा कहा है, यदि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि अनजाने में गलती हो गयी है तो वे उसे वापस लें ले। माननीय सदस्य वापस लेने को तैयार हैं, तो उसके लिये आपको इज्जाजत दे देना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय नेकराम जी ने जो जल्दबाजी की, उसका फायदा उधर वालों ने उठा लिया.....

(व्यवधान)

कोई भी प्रस्ताव वापस तो लिया जा सकता है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पूर्व भी एक अविश्वास का प्रस्ताव आया था, दूसरा आया ९ तारीख को। ११ तारीख को समिति में केवल अनौपचारिक रूप से जानने के लिये मैंने माननीय सदस्यों का मत जानना चाहा था। उस समय मैंने उनका मत जानने के लिये उनके सामने इस प्रश्न को रखा। उस समय वहां पर यह स्पष्ट सेन्स था कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, इस वास्ते कि महामान्य राज्यपाल का अभी अभिभाषण हो चुका है। मैंने यह समझकर कि यह विषय समाप्त हो गया, इसको डाले रखा। अब कल माननीय नेकराम जी ने यह प्रश्न फिर उठाया। कल उठाने का मतलब यह हुआ कि माननीय विरोधी दल इसको उठाना चाहते हैं। सायंकाल को जब आप लोग आये और यह कहा कि हम चाहते हैं कि मंगलवार को रखा जाय, मैंने कहा अच्छी बात है। साथ ही मैंने यह भी कहा, माननीय चन्द्रजीत यादव जी से कि अगर अपोजीशन चाहता है तो वह उसे किसी भी समय ला सकता है, किन्तु अगर कोई किसी वजह से उसे प्रेस करेगा तो वह पहले भी आ सकता है, आप अपने मित्रों को सचेत कर दीजियेगा। मैंने उनको कल शाम को ही इसके लिये सूचित कर दिया था। अब चूंकि यह प्रस्ताव आ गया है, इसलिये उसे रखना मेरे लिये आवश्यक हो गया है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, प्रक्रिया नियमावली के नियम १०० के अनुसार कोई प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन इस प्रस्ताव को वापस लेने की अनुज्ञा दें। आप इस पर मत ले लें।

श्री अध्यक्ष—

नियम २७४ की रचना जिन शब्दों में है उससे ऐसा मालूम होता है कि वह नियम किसी अन्य नियम के अधीन नहीं है । इसलिये और कोई नियम इसमें लागू नहीं होता । यह स्वतंत्र नियम बना है । अतः जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपा कर अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो जायं ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान नियम २७४(१) के उपखंड (ख) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें लिखा है—

"अनुज्ञा मांगने वाले सदस्य को उस दिन का उपवेशन आरम्भ होने से पूर्व सचिव को उस प्रस्ताव की, जिसे, वह प्रस्तुत करना चाहता है, एक लिखित सूचना देनी होगी ।"

तो अध्यक्ष महोदय, माननीय टम्बेश्वरप्रसाद और उनके सहयोगियों ने जो प्रस्ताव जिस समय प्रस्तुत किया है उस समय उन्होंने लिखित पत्र भी दे दिया था, ऐसा वे स्वयं भी कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मुझे नहीं दिया, चन्द्रजीत जी, यह गलत है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—

श्रीमन्, मैं इस सदन की परम्परा की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर कोई माननीय सदस्य कोई बात कह देता है तो प्राइमाफेसी उसकी बात मानी जाती रही है ।

श्री अध्यक्ष—

मुझे मान लेना है, आप कह दें और अपनी जानकारी के विरुद्ध में मान लूं—यह सब कैसे हो सकता है ?

श्री चन्द्रजीत यादव—

श्रीमन्, माननीय टम्बेश्वर जी तो अब भी यह कह रहे हैं कि आपके कार्यालय में वह पत्र पड़ा हुआ है । अगर उन्होंने जबानी भी आग्रह किया था तो वह आज प्रस्तुत नहीं करना चाहिये । जिस वक्त तक वे प्रस्तुत नहीं करना चाहें तब तक आप नियम २७४ (१) (ख) के अनुसार सदन की अनुज्ञा नहीं मांग सकते ।

अनेक सदस्य—

श्रीमान्, मेरी भी एक व्यवस्था है ।

श्री अध्यक्ष—

एक व्यवस्था के बीच में दूसरी व्यवस्था नहीं उठती । आप सब बैठिये ।

जो माननीय चन्द्रजीत यादव कह रहे हैं वे आप सब अच्छी तरह समझ लें । उनका मतलब यह है कि ऐसा प्रस्ताव उसी दिन प्रस्तुत किया जावेगा जिस दिन माननीय सदस्य उसको उठाना चाहते हों बिना लिहाज इसके कि वह मुझे कब दिया गया । मैं यह नहीं स्वीकार करता यह नहीं हो सकता कि आज सूचना दी जावे कि वह १५ दिन के बाद उठे । वह उपवेशन के जिस दिन

चाहें उसी दिन दें । पांच दिन के बाद करना था तो पांच दिन के बाद सूचना देते । इस खंड (ख) का मतलब यह नहीं है कि जिस दिन चाहें दे दें । अब जो इसके पक्ष में हों, वे कृपया खड़े हो जायं ।

(शोर)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैंने पत्र दिया है । आप गलत कह रहे हैं ।

(शोर)

आप उस कुर्सी पर बैठकर बेईमानी कर रहे हैं ।

(अत्यधिक शोर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय टम्बेश्वरप्रसाद, आप सदन छोड़ें । (शोर)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैंने सदन छोड़ दिया । (अत्यधिक शोर)

(श्री टम्बेश्वर प्रसाद तथा जनसंघ दल के सदस्य सदन छोड़कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष—

क्योंकि कोई खड़ा नहीं होता, इसलिये यह प्रस्ताव गिर गया ।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय टम्बेश्वरप्रसाद जब यहां से जा रहे थे उसके पहले उन्होंने एक असंसदीय शब्द आपके लिये कहा था । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह विशेषाधिकार की अवहेलना है और उसकी नोटिस देता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं कार्यवाही देख लूंगा ।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मंगलवार को जो अविश्वास प्रस्ताव और पार्टियों ने दिया है उसको तो लेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता हूं कि क्या प्रभाव इसका उस पर पड़ेगा ।

राज्य के माध्यमिक तथा अन्य विद्यालयों के अध्यापकों की मांगों के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

अध्यक्ष महोदय, सर्वश्री दौलतलाल, रियासत हुसैन, झारखंडेराय तथा बालोजी अग्रवाल द्वारा विधान सभा नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए इस बात का उल्लेख किय है कि १४ फरवरी १९६५ को उत्तर प्रदेश के सारे जनपद के मुख्य केन्द्रों पर तथा लखनऊ नगर में माध्यमिक विद्या-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कैलाशप्रकाश]

लयों के अध्यापकों द्वारा अपनी मांगों के संबंध में एक विराट प्रदर्शन हुआ है जिसमें उन्होंने प्रस्ताव पास करके निकट भविष्य में होने वाली हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षाओं का बहिष्कार करने के निश्चय किया है जिससे विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। परीक्षाओं के बहिष्कार से राज्य में बोर्ड की उक्त परीक्षाओं का होना असंभव हो जायगा और इससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो जायगा। इस कारण सभी विद्यार्थियों तथा अभिभावकों में असन्तोष व्याप्त है। सदन में इस पर विचार होना चाहिये।

२—मुझे इस बात का दुख है कि उत्तर प्रदेश के अध्यापक समाज ने जिसका कि मैं बहुत आदर करता हूं, प्रदर्शन की प्रणाली अपनाई है और १४ तारीख को बोर्ड की परीक्षाओं के बहिष्कार के निर्णय लिया है। मुझे प्रतीत होता है कि आर्थिक क्षेत्र की मान्यता शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण करती जा रही है। आर्थिक क्षेत्र का कार्य-कलाप और व्यवहार शिक्षा क्षेत्र के कार्य-कलाप से यदि सर्वथा विपरीत नहीं, तो बहुत भिन्न है। आर्थिक क्षेत्र की पारस्परिक विरोध और संघर्ष की भावनायें यदि शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश कर जायंगी तो वास्तविक शिक्षा का कार्य दोषपूर्ण होने लगेगा। शिक्षक समुदाय के व्यवहार एवं कार्य प्रणाली से विद्यार्थी प्रभावित होते हैं और उनमें अनुशासन की भावना पर असर पड़ता है। शिक्षक व्यक्ति का निर्माता है और व्यक्ति समाज को बनाता है। अतः शिक्षकों का उत्तरदायित्व बहुत से है क्योंकि आज का नवयुवक जो कल का नागरिक है उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होना चाहिये। बात को नजर-अन्दाज कर पिछले कुछ दिनों से माध्यमिक शिक्षक संघ ने जो नीति अपनाई है वह उचित नहीं कही जा सकती।

३—अध्यापकों की मांगों का जहां तक प्रश्न है, शासन देश की स्वतंत्रता के उपरांत उनकी दशा सुधारने में प्रयत्नशील रहा है। शासन का दृष्टिकोण बराबर यही रहा है कि अध्यापक वर्ग की आर्थिक दशा सुधारी जाय, उनका समाज में सम्मान हो, उनकी सेवायें सुरक्षित हों तथा अवकाशोपरांत उन्हें पारिवारिक चिन्ता न रहे। इसी दृष्टि से समय-समय पर राज्य सरकार यथाशक्ति उनकी दशा सुधारने के लिये कदम उठाती रही है। साथ ही साथ मैं यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अध्यापकों की आर्थिक, सामाजिक तथा सेवा संबंधी स्थिति को सुधारना सदा हमारी नीति रही है और रहेगी। पिछले सात आठ वर्षों में इस दिशा में ठोस कार्य भी किया गया है।

४—१९४७ के पूर्व माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों के लिये वेतन-क्रम निर्धारित नहीं थे। १९४७ में प्रथम बार निश्चित वेतनक्रम (मेन्डेटरी पे स्केल) अनिवार्य रूप से लागू किया गया। १२ वर्ष बाद १९५९ में इन वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण किया गया और वे बढ़ाकर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन क्रमों के अत्यधिक समीप लाये गये। १९५९ के नवीन वेतनक्रमों को जारी करने में शासन को ६० लाख रुपये अतिरिक्त व्यय प्रथम वर्ष में करना पड़ा और यह धनराशि प्रतिवर्ष बढ़ती ही जाती है। १९६१ के पूर्व केवल ७० रुपये के मासिक वेतन पाने वाले अध्यापकों को १० रुपये मासिक मंहगाई भत्ता दिया जाता था जिसमें ५ रुपये महंगाई फीस द्वारा प्राप्त होता था और ५ रुपये सरकारी अनुदान द्वारा। १९६१ से इसके अतिरिक्त ४ रुपये मासिक मंहगाई १०० रुपये वेतन पाने वाले तक को और दी गयी। जुलाई, १९६२ से ३५० रुपये मासिक वेतन पाने वाले समस्त अध्यापकों, लिपिकों, चपरासियों आदि का महंगाई भत्ता २० रुपये मासिक कर दिया गया। इसका कुछ भाग तो विद्यार्थियों से ली जाने वाली महंगाई फीस से दिया जाता है और शेष अनुदान के द्वारा १९६२-६३ में शासन ने लगभग २२, ८०,००० रुपये और १९६३ ६४ में लगभग ३५,७,४००० रुपये महंगाई भत्ते के रूप में अध्यापकों को दिये। अनुमान है कि १९६४–६५ में महंगाई अनुदान बढ़ कर ४९ लाख रुपया हो जायगा। यह अक्सर कहा जाता है कि शासन अध्यापकों के मंहगाई भत्ते पर कोई व्यय नहीं करता बल्कि उल्टा महंगाई फीस से, जो विद्यार्थियों से ली जाती है, बचत करता है, यह बात बिलकुल निराधार एवं तथ्यहीन है। १९६५–६६ के बजट को प्रस्तुत करते हुए अभी कुछ दिन पहले घोषणा की गयी है कि डिग्री कालेजों के समस्त अध्यापकों को तथा अन्य कर्मचारियों को जिनका वेतन

३५० रुपया मासिक तक है, तथा माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों को भी २० रुपये मासिक महंगाई भत्ता दिया जायगा। साथ ही साथ यह भी घोषणा हुई है कि प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों को ५ रुपये मासिक वृद्धि की गयी है। आपको स्मरण होगा कि लाभत्रयी योजना (ट्रिपिल बेनीफिट स्कीम) भी अध्यापकों के लाभ के लिये अक्टूबर, १९६४ से लागू की जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत, जीवन बीमा, तद्धा पेंशन जिसमें पारिवारिक पेंशन भी सम्मिलित है, की सुविधायें प्रदान की गयी हैं। अध्यापकों की सेवा सुरक्षा के संबंध में इस प्रदेश नें भारत में सबसे पहले कदम उठाया था। १९५८ में माध्यमिक शिक्षा संशोधन अधिनियम (इंटरमीडिएट एजूकेशन अमेंडमेंट ऐक्ट) पास किया गया। अध्यापकों की नियुक्ति, उनके दण्ड विधान आदि के स्पष्ट नियम, अपील तथा अवकाश प्राप्ति के नियम इत्यादि भी बनाये गये। बिना विभागीय अधिकारियों की पूर्व अनुमति के अब अध्यापकों की सेवा समाप्त नहीं की जा सकती। इस वर्ष से अध्यापकों को अकाल मृत्यु होने पर ६ महीने का वेतन ग्रेचइटी के रूप में दिये जाने का भी प्रबन्ध किया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में ही राज्य सरकार को अध्यापकों को सुविधायें प्रदान करने के लिये निम्नांकित अतिरिक्त प्राविधान करने पड़े हैं :—

	रुपये	
१—१९६२ में २० रुपये मासिक महंगाई भत्ता देने पर	२२,८०,०००	प्रथम वर्ष
	४९,००,०००	प्रस्तुत वर्ष
२—ट्रिपिल बैनीफिट स्कीम पर	१८,७२,०००	
३—टीचर्स ग्रेच्यूटी फंड (अकाल मृत्यु के लिये) ..	२२,००,०००	
४—१९६५-६६ के आय व्ययक में नया महंगाई भत्ता देने पर	१,३५,००,०००	

इससे यह स्पष्ट हो जायगा कि राज्य सरकार अध्यापकों की दशा सुधारने और उन्हें सेवा सुरक्षा प्रदान करने के प्रति सदा जागरूक रही है और अपने साधन की सीमा के अनुसार इस दिशा में कदम उठाती रही है।

५—अध्यापकों की मांग बराबर आती रहती हैं और शासन इन पर बराबर सहानुभूतिपूर्वक विचार करता है। मांगों का निचोड़ केवल एक ही रहता है कि उनके वेतन और महंगाई में वृद्धि की जाय। शासन के पास अन्य राजकीय अथवा अर्द्धराजकीय कर्मचारियों की मांगें भी आती रहती हैं। इन मांगों को केवल उसी हद तक पूरा किया जा सकता है जिस हद तक प्रदेश की जनता से टैक्स अथवा अन्य किसी रूप से सरकारी खजाने में रुपया एकत्र किया जा सके। अपना प्रदेश दुर्भाग्य से गरीब है क्योंकि इसकी आय सीमित है। फलस्वरूप सरकारी कोष में राजस्व आय कम होती है, जिससे समस्त मांगों को पूरा करना संभव नहीं हो पाता है।

६—समान कार्य के लिये समान वेतन के आधार पर अराजकीय स्कूलों के अध्यापकों की यह मांग रहती है कि उनके वेतन और भत्ते राजकीय शिक्षकों के वेतन और भत्ते के बराबर कर दिये जायं। यहां यह व्यक्त कर देना उचित होगा कि जहां एक ओर अराजकीय शिक्षकों के वेतनक्रम और भत्ते में कमी है तो दूसरी ओर उनको कुछ सुविधायें अधिक हैं जो राजकीय अध्यापकों को प्राप्त नहीं है। जैसे राज्य के अध्यापकों का स्थानान्तरण राज्य में कहीं भी हो सकता है जब कि अराजकीय अध्यापकों का स्थानान्तरण बिना उनकी इच्छा के नहीं होता। राजकीय अध्यापकों पर गवर्नमेंट सर्वेन्ट कन्डक्ट रूल्स के सभी प्रतिबन्ध लागू होते हैं जबकि गैर सरकारी अध्यापकों पर यह पाबन्दी नहीं है। गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के अवकाश प्राप्त करने की आयु सामान्यतः ६० वर्ष है और साधारणतः यदि वह अच्छा काम करने वाला है तो २, ३ वर्ष और मिल जाते हैं, जबकि सरकारी अध्यापक अब ५८ वर्ष की आयु तक यदि उसका

[श्री कैलाशप्रकाश]

कार्य लगातार अच्छा हो तो जा सकता है । उसे सेवा विस्तरण नहीं मिलता । सरकारी अध्यापक को राजनैतिक चुनाव में भाग लेने की आज्ञा नहीं है जबकि गैर सरकारी संस्था के अध्यापकों पर इस प्रकार का कोई कड़ा प्रतिबन्ध नहीं है शासन का यह दृष्टिकोण होते हुए भी मुझे यह खेद और दुख है कि १४ फरवरी को इस रूप में प्रदर्शन किया गया और अध्यापकों ने प्रस्ताव द्वारा यह निर्णय लिया कि वह होने वाली परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे । परीक्षा का वह समय है जब विद्यार्थी अपने पूरे साल की मेहनत का फल प्राप्त करने की आशा करता है । विद्यार्थियों का भविष्य इन परीक्षाओं पर आश्रित रहता है । इस जमाने में अन्य क्षेत्रों के विद्यालयों की प्रवेश परीक्षायें होती हैं और इन परीक्षा फलों के आधार पर आगामी शिक्षा वर्ष में, जो प्रायः जून–जुलाई में आरम्भ होती है, विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं । अतः समय से परीक्षा न होने से विद्यार्थियों को बहुत बड़ी हानि होने की आशंका है । विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुये शिक्षकों ने यह उचित समझा कि इस अवसर का लाभ उठायें । यह अत्यन्त खेदजनक है । मैं अब भी यही आशा करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि परीक्षाओं को बहिष्कार का निर्णय शिक्षक समुदाय, विद्यार्थी के हित प्रदेश तथा प्रदेश की मौजूदा स्थिति को देखते हुये, बदल देंगे और परीक्षा लेने के कार्य में सहयोग देंगे । माननीय सदस्यों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में उनके इस विचार को कि परीक्षाओं के बहिष्कार से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकारमय हो जायगा, दृष्टि में रखते हुये मैं यह निवेदन करना उचित समझता हूं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि परीक्षायें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियत समय पर करायी जायेगीं । परीक्षाओं के सम्पन्न कराने की तैयारी जारी है । इसके लिये विद्यार्थियों को निश्चित होकर अपनी परीक्षा के लिये तैयारी करते रहना चाहिये और अभिभावकों को भी चिन्ता और परेशानी नहीं रहनी चाहिये । विद्यार्थी हमारे देश की निधि हैं, अतः शासन पूरा प्रयास करेगा कि विद्यार्थियों की परीक्षा संपन्न होने में कोई बाधा उत्पन्न न हो । मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस सदन और माननीय सदस्यों के द्वारा विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं प्रबन्धकों से इस कार्य में सहयोग देने की अपील करता हूं और शिक्षकों से परीक्षा बहिष्कार के अपने निर्णय को वापस लेने का अनुरोध करता हूं ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या वित मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अध्यापकों का जो प्रस्ताव उस दिन पास हुआ, उसकी प्रतिलिपि उनको अभी तक मिली है या नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष महोदय ने एक पत्र द्वारा मुझे उसकी एक प्रति भेजी है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो शिक्षक संघ की कार्यकारिणी है उससे या उनके नेताओं को बुला कर इस संबंध में उनसे बातचीत करने के लिये आप तयार हैं जिससे कोई मामला सुलझ सके और उनकी भी समस्या हल हो सके ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मैंने तो अपने वक्तव्य में ही एकबार नहीं बल्कि दो बार इस बात का निवेदन किया है । और जैसा कि मैंने कहा–अध्यापकों के लिये मुझे बहुत आदर है और मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों पर भी उनके व्यवहार का प्रभाव पड़ सकता है । किन्तु यह बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मांगें तो उतनी ही स्वीकार की जा सकती हैं जितनी कि हम पूरी कर सकते हैं ।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी उन अध्यापकों को शीघ्र बुला कर उनसे पुनः कोई वार्ता करने को तैयार हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

बुलाने का प्रश्न नहीं उठता है । पत्र के साथ उस प्रस्ताव की नकल मेरे पास आयी, तो उनके पत्र का उत्तर भी मैंने दे दिया है और उसमें भी इस तरह की बातें हैं जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा ।

श्री रियायत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में २ बातें कहीं, एक तो यह कि उन्होंने उनको पिछले सालों में क्या क्या दिया है और दूसरे यह कि परीक्षायें जरूर होंगी, मेरा कहना यह है कि उनके केवल यह कह देने से ही जनता में सन्तोष न होगा । अब २० दिन इस नोटिस के बाद में परीक्षा के रह गये हैं तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या-क्या प्रबन्ध मंत्री जी करने जा रहे हैं जिससे मालूम हो जाय कि वह प्रबन्ध सन्तोषजनक है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मैंने सदन के समक्ष यह निवेदन रखा है कि परीक्षायें होंगी और उनका प्रबन्ध भी समुचित रूप से किया जायगा ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि शासन तो सुव्यवस्थित होता है, परीक्षायें हो जायेंगी, वह शक्तिशाली होता है, सब किया जा सकता है, लेकिन केवल परीक्षाओं के कर लेने से अध्यापकों और शासन के बीच जो खाई पड़ेगी उससे शिक्षण पर बुरा असर पड़ेगा तो इस असन्तोष को मिटाने के लिये बड़े होने के नाते पुनः विचार करेंगे कि इस मंहगाई के जमाने में उनको अधिक से अधिक कुछ देकर अपने और अध्यापकों के बीच की इस खींचातानी को मिटायेंगे ताकि शिक्षण का कार्य ठीक से चल सके ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मैं तो निवेदन कर चुका हूं कि अध्यापकों और शासन के या अध्यापकों और विद्यार्थियों के या नागरिकों और शासन के बीच की किसी भी खींचातानी को सरकार अच्छा नहीं समझती और मैं अभी अपने वक्तव्य में स्पष्ट कह चुका हूं और मैं अध्यापकों का आदर भी करता हूं । जैसा मैंने सदन में बतलाया था कि शासन की हैसियत तो एक बिचौलिये जैसी है, जितना धन शासन को उपलब्ध होता है उतना ही वह जनकल्याण में लगा सकता है । इन दोनों चीजों का विचार करके सरकार मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करती रहती है और जहां तक उनको वह पूरा कर सकती है पूरा करती रहती है । इन तमाम बातों को देखते हुये यदि उन्होंने यह कदम उठाया है और निर्णय लिया है तो मैं कह ही क्या सकता हूं, लेकिन इस रूप से उनकी मांगे स्वीकार हो जांय, यह मेरे बस की बात नहीं है ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

छात्रों और अध्यापकों के बड़े नाजुक सम्बन्ध होते हैं और अध्यापकों ने इस सरकार को सहयोग देने की बात नहीं रखी है ऐसी स्थिति में यदि छात्रों में कोई विप्लव खड़ा होता है, जिसकी की संभावना है तो उस हालत में सरकार क्या प्रबन्ध करेंगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

माननीय सदस्य भी चाहेंगे कि परीक्षा हो और उनका सहयोग रहेगा तो ऐसी कोई आवश्यकता न होगी ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

माननीय मंत्री जी ने सन् १९४७ से अब तक शिक्षकों के प्रति जो कुछ किया गया है उनके वेतन भत्ते आदि के लिये, उसका विवरण दिया और उसके बावजूद शिक्षकों ने यह कदम उठाया जिससे असन्तोष है और उन्होंने अपनी मांगे सरकार के सामने रखी हैं। इन सब बातों के होते हुये भी जो मांगे उन्होंने रखी हैं उनमें से किनको सरकार और मंत्री जी उचित समझते हैं, या सब को अनुचित समझते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

अपने सीमित धन के होते हुये जितनी मांगों को पूरा कर सकते थे उनको पूरा किया है। आगे जो मांगे आता रहती हैं उन पर भी विचार होता रहता है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि जो मांगे उनके सामने प्रस्तुत हैं फिलहाल उनको तो मंजूर नहीं करेंगे, लेकिन उन पर विचार करेंगे। यदि यह सही है तो मेरे खयाल में मंत्री जी इस आश्वासन को देते हुये अध्यापकों से अपील करें कि वे अपने आन्दोलन को समाप्त कर दें।

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, जो पूरी करनी थी, वह कर चुका हूं। इस संबंध में एक निवेदन में यह कर दूं कि यह सब बातें मैं अध्यापकों से उसी प्रदर्शन में, जो वहां पर जमाव हुआ था, कही थीं और जो माननीय सदस्यों के सामने कहा था, वह भी कहा था। अतः इससे अधिक मुझे कुछ कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राजकीय कर्मचारियों और राजकीय अधिकारियों के वेतन-क्रमों और मंहगाई भत्तों में वृद्धि होती चली जा रही है और वे सब उससे लाभान्वित हो रहे हैं परन्तु इन अध्यापकों के, जो माध्यमिक तथा अन्य विद्यालयों के हैं, वेतन सीमिति है। तो इन दोनों में अर्थात् सरकारी अध्यापकों और प्राइवेट अध्यापकों में यह खाई चौड़ी होती जा रही है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे कोई ठोस प्रबन्ध करेंगे कि जिससे दिनोंदिन चौड़ी होती हुई खाई कम हो सके ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जैसा मैंने निवेदन किया जैसे प्रदेश की स्थिति होती है वैसे ही वेतन बढ़ता है। दूसरे राजकीय और अराजकीय विद्यालयों की सर्विसेज में अन्तर है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि राजकीय और अराजकीय विद्यालयों में अध्यापकों की सर्विसेज में अन्तर है। राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों पर काफी प्रतिबन्ध है और अराजकीय विद्यालयों के अध्यापकों पर नहीं, तो क्या माननीय मंत्री जी यह करने की कृपा करेंगे कि जो सर्विसेज के बहुत सारे प्रतिबन्ध राजकीय अध्यापकों पर लागू हैं, वे अराजकीय अध्यापकों पर भी लागू करेंगे जिससे उनके वेतन में असमानता न रहे।

श्री कैलाशप्रकाश—

इस समय, मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा था कि कुछ मांगे उनको प्राप्त हो गयी हैं तो वे कौन-कौन-सी मांगे हैं और उनमें से कितनी मांगों को माननीय मंत्री जी मानने के लिये तैयार हैं, एक या दो ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, जाब्ते में एक पत्र प्राप्त हुआ है, वह तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मांगे कुछ नयी नहीं हैं। सिर्फ यही आया करता है कि वेतनक्रम बढ़ा दिया जाय, मंहगाई भत्ता बढ़ा दिया जाय। ५० रुपये तुरन्त बढ़ा दिये जायं। उन चीजों को हम स्वीकार नहीं करते।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी को विदित होगा कि इस बढ़ती हुई मंहगाई में अध्यापकों ने किस प्रकार से शांतिपूर्वक और अनुशासित ढंग से अपनी बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट से भी मुझे आभास हुआ है कि जब कि सरकार कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को बढ़ाने के लिये विचार कर रही है तो ऐसी दशा में जब कि इतनी मंहगाई बढ़ी हुई है और उनमें असंतोष है तो पत्र-व्यवहार के जरिये नहीं बल्कि आमने सामने बैठकर बहुत-सी बातों पर निर्णय होना मुमकिन है अतएव क्या माननीय मंत्री उनके प्रतिनिधि मंडल से विचार-विनिमय करने के लिये तैयार हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जो भी अध्यापक वर्ग मिलना चाहें उनका स्वागत है।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

सरकार ने बजट प्रस्तुत करते समय साढ़े १२, १० और ५ रुपये की वृद्धि मंहगाई भत्ते में की है उसमें माध्यमिक शिक्षक नहीं आते हैं तो ऐसे समय में जब कि सरकार यह मानती है कि करीब-करीब ९२ प्रतिशत मंहगाई बढ़ गयी है और १० रुपये की अन्तरिम सहायता मंहगाई भत्ते के रूप में सरकार ने दी है तो उसी सिद्धान्त के अन्तर्गत क्या सरकार माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिये भी १० रुपया मंहगाई भत्ता बढ़ाने के लिये तैयार है ताकि उनकी जो पेरिटी की पुरानी मांग है वह भी पूरी हो सके ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह तो माननीय सदस्या का सुझाव है। मैं तो निवेदन कर चुका हूं कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स और उनमें पेरिटी को मानने में अभी हम असमर्थ हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

इस बात को देखते हुये कि २० रुपये मंहगाई भत्ता जिस समय दिया जा रहा था उसको बढ़ाने के साथ संरक्षकों पर ८ आने के बजाय १ रुपये मंहगाई फीस कर दी गयी और इस प्रकार सारा रुपया संरक्षकों की जेब से निकाल लिया और सरकार स्वयं कुछ वहन नहीं कर रही है तो क्या सरकार ३० रुपये मंहगाई भत्ता बराबर करने की कोशिश करेगी।

श्री कैलाशप्रकाश—

जेब से तो सरकार निकालती ही है चाहे अभिभावक हों, संरक्षक हों अथवा नागरिक, लेकिन यह भ्रम स्पष्ट हो जाना चाहिये कि मंहगाई भत्ते से जो फीस आती है वह पूरी नहीं पड़ती है और इस साल ६५-६६ के बजट में भी राज्य सरकार के कोष से ४९ लाख रुपया उस भत्ते की पूर्ति के लिये दिया गया है। तो यह बात सही नहीं है कि सारा भार अभिभावकों पर ही पड़ता है वैसे अगर सरकार को कुछ देना होता है तो भी वह भार नागरिकों पर ही पड़ता है।

उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के लिये ४ सदस्यों के निर्वाचन के कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के लिये ४ सदस्यों के निर्वाचन के लिये यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया है--

१--नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि और समय	१२ मार्च, १९६५ को सायंकाल ५ बजे तक।
२--नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय।	१३ मार्च, १९६५ को १२ बजे (सचिव विधान सभा के कमरे में)
३--नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि तथा समय	२४ मार्च, १९६५ को सायंकाल ५ बजे तक।
४--निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो विधान भवन के कमरा नं० ५० में।	२ अप्रैल, १९६५ को १२ बजे से ४ बजे तक होगा।

निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा।

अंग्रेजी साहित्य वितरण पर आपत्ति

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने आज ही बताया जिसको सुनकर बड़ा हर्ष हुआ कि २६ जनवरी से हिन्दी राज्य भाषा के रूप में इस्तेमाल की जायगी और श्रीमन्, हमारे यहां राज्य भाषा अधिनियम, १९५१ का है, उसमें दर्ज है कि सब कामों के लिये हिन्दी प्रयुक्त होगी, सरकारी कामों के लिये और विधान सभा के कामों के लिये भी। मैं पहले दो तीन मर्तबा प्रश्न उठा चुका हूं। कल हम लोगों के कमरे में ये सब किताबें दी गईं। ये सब अंग्रेजी में छपी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब चीजें अभी भी अंग्रेजी में जारी हैं। आप इसके सम्बन्ध में अपनी निश्चित व्यवस्था दें क्योंकि यह बात कट जाती है कि राज्यपाल महोदय ने कर दिया और उन्होंने छपा लिया होगा। यह तो आपके यहां छपी हुई हैं। आप आश्वासन दें कि आगे यह बात नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष--

इसे मैं देख लूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, सदस्यों की सूची और पते भी अंग्रेजी में छपे हैं और बहुत से माननीय सदस्य अंग्रेजी नहीं जानते हैं।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो पुस्तकें हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, आपके निश्चय के पूर्व छपी हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं देख लूंगा। अगर गलती हुई है तो मैं कार्यवाही करूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, दूसरा निवेदन यह है कि कल मैंने एक पत्र आपके कार्यालय में भेजा था जिसमें प्रार्थना की गई थी कि कृपया बता दें कि हम लोगों को पार्टीवाइज कितना-कितना समय दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

आप स्वयं आये थे।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, आपके पी० ए० को दिया था।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं। मैं देख लूंगा।

श्री बृजभूषण शरण द्वारा श्री टम्बेश्वरप्रसाद के विरुद्ध उठाई गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय बजभूषणशरण जी ने सूचना दी है कि माननीय टम्बेश्वरप्रसाद जी ने अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुये कहा कि "आप बेईमानी कर रहे हैं"। यह विशेषाधिकार की अवहेलना है। मैंने तुरन्त माननीय अध्यक्ष को इसकी सूचना दे दी कि मैं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाता हूं। इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

यह घटना सदन में हुई है लेकिन मैंने यह उचित समझा कि माननीय सदस्य को भी अवसर मिले इसलिए इसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, बाकायदा पत्र द्वारा लिखित माननीय टम्बेश्वरप्रसाद को सूचना देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

सदन के समक्ष कोई बात हुई है तो यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, आपको उस समय जानकारी हुई जब माननीय सदस्य ने आपको लिख कर दिया।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा।

श्री उग्रसेन—

माननीय सदस्य ने जब याद दिलाई तो उस पर आप कार्यवाही कर रहे हैं। वह लिखकर दें तब विचार होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा।

बजट की कथित गोपनीयता भंग होने के सम्बन्ध में दी गयी सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्रीपालसिंह जी ने मुझे एक सूचना बजट की गोपनीयता भंग होने के बारे में दी है। वह इस प्रकार से है "सदन में अभी बजट साहित्य एवं वित्त मंत्री का भाषण चपरासियों द्वारा लाया ही जा रहा था। तभी कम्युनिस्ट दल के नेता डाक्टर अहमद-संसोपा तथा अन्य दलों के नेताओं से घूम-घूम कर कुछ बातें बताते तथा नोट कराते देखे गये। यदि यह माना जावे कि संयोगवश पहले ही झटके में पृ० १३ ही खुल गया तो सभी सदन को त्याग करने वाले नेताओं का वही पृष्ठ खुल गया ऐसा संयोग से होना असंभव है।

अतः यह स्पष्ट है कि बजट की गोपनीयता भंग हुई है। जो कि अत्यन्त गम्भीर बात है तथा जो इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है कि सरकारी कार्यालयों में भी कम्युनिस्ट ब्लडहाउन्ड प्रवेश पा चुके हैं जो अत्यन्त भयावह है।"

इस सम्बन्ध में मैंने अन्वेषण किया, अन्वेषण का परिणाम यह निकला कि केवल यह एक आंशका मात्र है। कोई इस बात का हमें पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि गोपनीयता भंग हुई इस वास्ते कि साहित्य बांटने में १०–५ मिनट लग जाते हैं जिसके पास पुस्तिका पहुंच गई, संभव है उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया हो। विशेष रूप से कहा जाता है कि माननीय श्री कुंवर श्रीपालसिंह स्वयं कह रहे हैं कि श्री जेड० ए० अहमद ने संसोपा के सदस्यों से कुछ कहा। इसके माने यह है कि संसोपा के सदस्य नहीं जानते थे और डाक्टर अहमद द्वारा उन्हें सदन में मालूम हुआ। इसलिये केवल शंका हो सकती है। मेरे मन में इसमें कोई गोपनीयता भंग नहीं हुई है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, सबसे बड़ी शंका यह है कि श्री जेड० ए० अहमद को ही क्यों मालूम हुआ। इसका मतलब यह है कि सरकार के विभागों में कुछ कम्युनिस्ट लोग घुसे पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, नहीं, मैं इसकी आज्ञा नहीं देता। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्री बनारसीदास जी से पूछ लिया जाये कि कुछ कम्युनिस्ट सरकार में हैं या नहीं ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

माननीय वित्त मंत्री का जो बजट भाषण था....

श्री अध्यक्ष—

अब मैंने इस विषय को समाप्त कर दिया, अब आप कृपया बैठें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

इस विषय पर संसोपा का नाम लिया गया है, इसलिये मेरे लिये आवश्यक हो गया है कि इस सम्बन्ध में मैं स्थिति को स्पष्ट कर दूं।

१९६५–६६ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में कई दिनों से आज वर्ष १९६५–६६ के बजट पर वाद-विवाद हो रहा है। इसमें जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आजादी को मिले हुए आज १७ साल हो गये हैं और सरकार ने देश और प्रदेश को बढ़ाने के लिये करोड़ों रुपये व्यय किये और व्यवस्था की है कि हम करोड़ों रुपया व्यय कर के देश में खुशहाली लावेंगे और जो देश में जो बड़ी आर्थिक और सामाजिक विषमता है, उसे दूर करेंगे। श्रीमन्, आप देखें हमारी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है, उसमें ५०२–२५ करोड़ रुपये की योजना स्वीकार हुई है, अब तक इस योजना के अन्तर्गत २४४.४९ करोड़ रुपया व्यय हुआ है। श्रीमन्, आप देखें कि इतना पैसा इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में व्यय होने तथा प्रथम और द्वितीय योजनायें समाप्त होने के बाद भी आज हमारे देश और प्रदेश की क्या स्थिति है? सारे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इस बात का बराबर प्रयास करते हैं हमारे प्रदेश में सिंचाई के साधन जुटाये जायं जिससे कृषि का उत्पादन बढ़ सके। देश में उद्योग धंधे बढ़ें, लेकिन करोड़ों रुपया व्यय करने के बावजूद भी आज प्रदेश उसी स्थिति में है, जैसा कि वह १५ साल पहले था। श्रीमन्, आप देखें कि सिंचाई के लिये जो व्यवस्था १९५०–५१ में थी उस हिसाब से १९५०–५१ में २९.८ प्रतिशत थी, १९५५–५६ में २९.४ थी और १९६०–६१ में २९.५ तथा १९६३–६४ में गत वर्ष से केवल १.८ की वृद्धि हुई। अब आप देखें कि आज भी सिंचाई के बारे में प्रदेश की हालत बिलकुल वही है, जो ४ साल पहले थी। श्रीमन्, कृषि के उत्पादन बढ़ाने के लिए जहां पर अन्य साधन इसके लिए जुटाए जा रहे हैं, वहां पर सिंचाई के साधन जुटाने की अत्यन्त आवश्यकता है। इस समय सिंचाई के लिये जितने साधन हैं इससे ज्यादा साधन जब उपलब्ध होंगे तभी हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता है जो हमारा लक्ष्य था, उसे हम नहीं पूरा कर पाये। मौजूदा सिंचाई के साधनों के उपलब्ध होने के साथ-साथ किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि किसानों को हम अधिक से अधिक और क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं, आज जो साधन उपलब्ध है उसके अलावा भी हमें खाद, बीज यंत्र जैसे साधन उपलब्ध कराने होंगे जिससे हमारा उत्पादन बढ़ सकें। आप देखें श्रीमन्, इन १७ सालों में कृषि योग्य भूमि में से लगभग ८ प्रतिशत ही सिंचाई की व्यवस्था हो पाई। सिंचाई के लिये १३ प्रतिशत खेतों को पानी मिलता है, प्रदेश में ४२ लाख भूमि फसल ऐसी है जो पानी के न मिलने के कारण खराब हो जाती है। हमें इस ४२ लाख एकड़ भूमि को जिसमें कि फसल बोई जाती है और इसे पानी नहीं मिल पाता है पानी की व्यवस्था करनी होगी। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि नहरों पर ही हम खेतों को छोड़ दें, और फसल का इस तरह से नुकसान होता रहे यह हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। इसके लिए हमें किसानों को उनके सिंचाई के जरूरत के अनुसार कुएं बनाने के लिए अनुदान और लोन बड़े पैमाने पर देने की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही साथ सिंचाई के लिये कुएं से पानी निकालने के लिए रहट लगाने के लिए हमें खासतौर से ध्यान देना चाहिए। मैंने देखा कि जिन जगहों पर रहट की व्यवस्था है और सिंचाई के कुएं बनाए गये हैं, वहां कृषि उत्पादन बढ़ा है।

श्रीमन्, इसी सिलसिले में बाराबंकी जिले के संबंध में एक बात बता देना चाहता हूं कि गोमती नदी, बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ से होती हुई निकली है, इसके पानी का उपयोग हम सिंचाई के लिए कर सकते हैं। इसके सम्बन्ध में मैंने माननीया मुख्य मंत्री जी को एक पत्र २–३–४ महीने पूर्व लिखा था, इस नदी से पानी निकालने के लिए हैदरगढ़ तहसील में एक पम्प कैनाल की व्यवस्था की जाय जिससे खेतों को पानी मिल सके। यदि इस नदी से पम्प कैनाल बनाकर शारदा नहर, लखनऊ डिवीजन की हैदरगढ़ माइनर शाखा से लिंक कर दिया जाय तो उससे बाराबंकी, सुलतानपुर, रायबरेली तथा प्रतापगढ़ आदि जिलों की हजारों

[श्री रामकिशोर त्रिपाठी]

एकड़ भूमि की सिंचाई आसानी से हो सकती है। इन स्थानों की फसलें सिंचाई के अभाव में काफी मात्रा में सूख जाती हैं।

श्रीमन्, आज देश में खाद्यान्न का अभाव है, इसके सम्बन्ध में सरकार बराबर घोषणा करती रही है कि इस कमी को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या हम इसे ठीक करने के लिये प्रयास कर रहे हैं? किन्तु आज हम देखते हैं कि चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी, कहीं कोई भी व्यक्ति इस बात से संतुष्ट नहीं है कि जितना खाने के लिये उसको मिलना चाहिये वह उसे मिल रहा है। इसलिये कभी आप बड़े किसानों को दोषी ठहराते हैं और कभी बड़े बड़े बिजनेसमैन को इसके लिये दोषी ठहराते हैं। किन्तु आज तक सरकार इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है कि आखिर यह कमी क्यों है। उसका एक कारण यह है कि सरकार का माइन्ड इस मामले में क्लियर नहीं है। उसे अपने सोचने के ढंग में परिवर्तन लाना होगा। यह मैं मान सकता हूं कि कुछ बड़े किसान होर्डिंग कर सकते हैं, कुछ बड़े व्यापारी होर्डिंग करते हैं लेकिन क्या सरकार ने उसको दूर करने के लिये कोई सख्त कदम उठाये हैं? इस कमी को दूर करने के लिये सरकार को बड़े व्यापारियों पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन इसके अतिरिक्त मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पूर्ति विभाग के कर्मचारियों में आज भ्रष्ट कर्मचारियों की कमी नहीं है जो व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिये जन जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं खाद्य मंत्री जी की नीयत पर आक्रमण नहीं कर रहा हूं और यह भी नहीं कह सकता हूं कि वे समस्या को हल करने के लिये चिन्तित नहीं हैं लेकिन यह बात सही है कि हमारे पूर्ति विभाग के भ्रष्ट कर्मचारियों के कारण वितरण व्यवस्था खराब हो गयी है। मैं इस बात के लिये सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि तीन साल से अधिक के कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है, १८-१८, २०-२० साल से लोग एक स्थान पर बैठे हुये थे उनको हटाने की व्यवस्था की गयी है इससे कुछ राहत अवश्य होगी लेकिन जब तक इन भ्रष्ट कर्मचारियों को यह सरकार बरखास्त नहीं करेगी, जो जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं तब तक इस समस्या का हल होने वाला नहीं है।

श्रीमन्, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आज यहां इस वितरण की दुर्व्यवस्था में इन भ्रष्ट कर्मचारियों का बहुत बड़ा हांथ है उससे कम हाथ जिनके द्वारा हम वितरण कराते हैं उन लाइसेंसदारों का भी नहीं है। मैं दावे से कह सकता हू कि उनमें से ७५ फीसदी लोग ऐसे हैं जिनका किसी न किसी राजनीतिक पक्ष से सम्बन्ध है और उन्हें भ्रष्ट कार्यों में संरक्षण मिलता है। यदि इस संरक्षण को समाप्त न किया गया तो दिन प्रति दिन हालत खराब होती जायगी।

एक बात मैं बाराबंकी जिले के लोनी कटरा पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आज आप वहां देखें कि सरायपाण्डे में ३, ४ साल से सुरक्षा पुलिस पड़ी हुई है। जहां पर माताप्रसाद-बकरीदी अन्तरजिला डकैत गैंग का भयंकर आतंक था जिसमें बृज बहादुर, बाबू, श्यामलाल, रामप्रसाद और रामलखन जैसे डाकुओं का आतंक था और जिन्होंने गांवों में आग लगा दी थी और तेजशंकर का दिनदहाड़े कत्ल कर दिया था उसकी वजह से लोग आतंकित थे। वहां इन डाकुओं से रक्षा के लिये गारद पड़ी हुई थी लेकिन जिससे रक्षा के लिये पुलिस गार्ड पड़ी हुई थी उन्हीं को लिये हुये वह गांवों में फिरती है जिससे गांव में आतंक फैला हुआ है और क्षेत्र के सभी लोगों में बेचैनी व्याप्त है। वहां आये दिन डकैतियां हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं। डी० एस० पी० मेहरबान सिंह जी वहां इसके लिये खास तौर से जांच के लिये भेजे गये लेकिन एक ओर जहां डी० एस० पी० का पड़ाव वहां दूसरी ओर डकैती पड़ रही थी। इसका मूल कारण यह है कि उन डाकुओं को डी० एस० पी० अपनी मोटर में बैठा कर थाने से उनके घर सरायपाण्डे पहुंचाने गये। वहां की जनता ने जिलाधीश और पुलिस कप्तान से मांग की कि वह इस अव्यवस्था को ठीक करें लेकिन इन माताप्रसाद

बकरीदी गैंग के डकैतों को जिनपर डकैती या चोरी के मुकदमे चल चुके हैं और आज भी कुछ चल रहे हैं उनको आज पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है। यह बात बहुत भयंकर है इससे इस क्षेत्र और ग्राम के लोगों के लिये बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इसको समाप्त किया जाय और इन लोगों के आतंक को समाप्त करने की व्यवस्था की जाय।

(इस समय १ बज कर २७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा पीठासीन हुए।)

एक बात मैं हैदरगढ़ तहसील के बारे में और कहना चाहता हूं। हैदरगढ़ बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उसमें कोई ऐसा उद्योग धंधा नहीं है जिससे इस क्षेत्र की गरीबी दूर की जा सके। इस क्षेत्र में जो हैदरगढ़–सुबेहा और हैदरगढ़, महाराजगंज की सड़कें हैं जो पिछड़े हुये क्षेत्र की बड़ी सड़कों से मिलाती हैं। सरकार को चाहिये कि जो चौथी योजना बनावे उसमें इन सड़कों को शामिल किया जाय और लोगों की कठिनाइयों को दूर किया जाय। इसी प्रकार एक सड़क १८ मील की भिलवल से गूहा तक बाबा परमेश्वरदास हसबापुर द्वारा श्रमदान से बनाई गई और जिसका सर्वेक्षण पी० डब्लू० डी० द्वारा हो चुका है। उसको भी सरकार द्वारा सहायता मिलनी चाहिये और उसके रखरखाव के लिये व्यवस्था करनी चाहिये। जैसा कि त्रिवेदी-गंज ब्लाक समिति ने मैन पावर स्कीम में शामिल करने की मांग की है।

साथ ही साथ एक बात और बताना चाहता हूं। इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये सरकार को यहां अगली योजना में कोई ऐसी इंडस्ट्री लगानी चाहिये जिससे वहां के लोगों को रोजी मिल सके और लोगों की गरीबी दूर हो सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय.....

श्री अधिष्ठाता—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि काफी माननीय सदस्य बोलने के लिये हैं इसलिये अब प्रत्येक सदस्य को केवल १० मिनट मिलेगा। ८ मिनट पर लालबत्ती हो जायगी और १० मिनट के अन्दर आप अपने भाषण को समाप्त करेंगे। माननीय वीरसेन जी अपना भाषण आरम्भ करें।

श्री वीरसेन—

मेरी एक दरख्वास्त तो यह है कि मेरे एक दो मिनट इसमें समाप्त हो चुके हैं उसको आप यहां से गिनने की कृपा करेंगे।

सहकारिता मन्त्री (श्री बनारसीदास)—

लोग जब बार-बार उठकर चेयर के पास जायेंगे तो इसी तरह से समय लोगों का नष्ट होगा ही।

श्री वीरसेन—

अधिष्ठाता महोदय, अभी वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं क्योंकि अभी उन्हें बहुत कम समय हुआ जब वह आये हैं और उन्होंने फाइनेंस विभाग का काम संभाला है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता हूं। सदन में कोई मन्त्री नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

मुझे अफसोस है कि कोई न तो मन्त्री है न उपमन्त्री है और न सभासचिव है।

श्री उग्रसेन—

जब तक कोई मन्त्री न आवे तब तक आप सदन को बन्द कर दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

सही बात है। मैं माननीय सरकारी पार्टी के ह्विप से प्रार्थना करता हूं कि वे किसी मन्त्री, उपमन्त्री या सभासचिव को बुलाकर लावें।

श्री उग्रसेन—

यह आदरणीय सदन है, चौधरी की चौपाल नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

जब तक माननीय मन्त्री जी नहीं आते तब तक सदन की कार्यवाही बन्द है अफसोस की बात है कि कोई भी मन्त्री, उप मन्त्री, या सभासचिव नहीं है। बजट के आम बहस पर वित्त मन्त्री का और अगर वह नहीं रहते तो किसी मन्त्री, उप मन्त्री या सभासचिव को रहना ही चाहिये।

(मन्त्री जी के सदन में आने के उपरान्त।)

श्री वीरसेन—

अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस बात की तकलीफ है कि इस बीच में इस सदन में ट्रेजरी बेंचेज पर कोई भी मन्त्री हाजिर नहीं था। मैं समझता हूं कि मन्त्रियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिये और इस तरीके से गैर हाजिर होना सदन के प्रति असम्मान का द्योतक है। अधिष्ठाता महोदय, यह जो बजट पेश हुआ है, इसके बारे में मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि यह बजट एक ऐसा बजट है जिसको स्टिरियो टाइप कहा जा सकता है। साल भर में ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जिनका समाधान वक्त पर होना चाहिये और उस समाधान करने के लिए एक नक्शा बनना चाहिये, लेकिन इस बजट में कोई ऐसी चीज जाहिर नहीं होती है। हमारे प्रदेश में खाद्य पदार्थों की कितनी भारी समस्या रही है, प्राइसेज बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन इन सारी समस्याओं पर कोई विशेष ध्यान इस बजट में नहीं दिया गया है। अगर आप बजट को देखेंगे तो जाहिर होगा कि वही पुराना एक ढर्रा उसी हिसाब से चला आ रहा है। मैंने सारे बजट को देखने की कोशिश की और यह देखने की कोशिश की कि जो समस्यायें खड़ी हुई हैं और जिनसे सारा का सारा प्रदेश परेशान है, जैसे खाद्य की समस्या है, उनका क्या इन्तजाम इसमें करने को कोशिश की गयी है। मुझे इस सारे बजट में सिर्फ एक चीज नजर आयी कि ७० करोड़ रुपये से एक बफर स्टाक बनाने की कोशिश है। इसमें जहां तक मेरा खयाल है कि १३ लाख टन गल्ले का बफर स्टाक बनाने का प्रस्ताव है। मैं समझता हूं कि इधर के माननीय सदस्यों ने और उधर के माननीय सदस्यों ने इस प्रदेश में खाद्य खपत के बारे में काफी आंकड़े दिये हैं। मैं समझता हूं कि जितना बफर स्टाक बनाने की जरूरत है उस बफर स्टाक से इस प्रदेश की समस्या हल होगी, ऐसी बात नहीं है। मैं यह मानता हूं कि इससे आप मार्केट को कन्ट्रोल कर सकते हैं। मैं यह भी मानता हूं कि अगर जरूरत पड़े तो कुछ अरसे के लिए महीने १५ रोज के लिए उस से शायद प्रदेश की समस्या हल हो सकती है, लेकिन एक लांगरेंज पालिसी या सारे साल भर का खाद्य पदार्थों के बारे में कठिन परिस्थिति का मुकाबला, इस प्राविजन से हो सकता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

पिछले दिनों हम इस बात की कोशिश करते रहे हैं कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया से १०९ या १०५ लाख टन खाद्यान्न हमको वादे के अनुसार मिले। मैं समझता हूं हमारे प्रदेश की खपत इसके नजदीक ही होगी, लेकिन १३ लाख टन से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितने दिनों के लिए प्रदेश की परेशानी दूर हो सकती है अगर मारकेट के ऊपर कन्ट्रोल नहीं रखते हैं। मैं समझता हूं सरकार को इस ओर मजबूती के साथ कदम उठाना चाहिये। मेरी राय है कि स्टेट ट्रेडिंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे इस कठिन परिस्थिति को और इस समस्या को हल किया जा सके। पिछले दिनों बजट स्पीच में इस बात का जिक्र किया गया और कई बार जिक्र किया गया कि खाद्य समस्या को हल करने के लिए सरकार तरह-तरह के रास्ते अपना रही है। मैं समझता हूं कि उन रास्तों में एक रास्ता प्रतिबन्ध लगाने का यानी कन्ट्रोल लगाने का भी है। सरकार ने खुद यह महसूस किया है कि जैसे-जैसे कन्ट्रोल लगाये गये वैसे-वैसे उस का प्रभाव उल्टा पड़ता गया। हापुड़ में उस समय २४ रुपये मन के हिसाब से मक्का मिलती थी, लेकिन जैसे ही सरकार ने कन्ट्रोल लगाया वैसे ही ३४, ३६ रुपये तक उसका भाव पहुंच गया। मेरा मतलब यह है कि सरकार कोई कदम उठाना चाहती है तो सरकार को सारा का सारा परिणाम सोचकर ही कदम उठाना चाहिये। मैं कन्ट्रोल के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन कन्ट्रोल इस तरह से लगाये जायं कि उनका प्रभाव उल्टा किसी तरह से न हो।

दूसरी बात यह है कि जब सरकार के पास मशीनरी ऐसी है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता तो कैसे ये चीजें सफल हो सकती हैं। इस प्रकार की यह मशीनरी है कि व्यापारियों के साथ मिल कर तरह-तरह से समाज विरोधी कार्यों में मदद देती है। उस मशीनरी पर डिपेन्ड करके प्रदेश में इस तरह से कन्ट्रोल करना प्रदेश के हित में नहीं होगा। मेरी राय है कि जब तक सरकार इस मशीनरी को ऐसा न कर दे कि बिलकुल फूल प्रूफ कन्ट्रोल के योग्य वह हो जाय तब तक उस को कोई कदम नहीं उठाना चाहिये। अधिष्ठाता महोदय, माननीय बहुगुणा ने कहा कि मध्यम वर्ग के लोग बड़े परेशान हैं और मंहगाई के कारण इस वर्ग की कमर टूटती जा रही है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि यहां पूंजीपतियों के, ताल्लुकेदारों के मध्यम वर्ग के बारे में कहने वाले लोग हैं, लेकिन नीचे के वर्ग के लिए किसी की निगाह नहीं है। जिन लोगों को खाने के लिए पूरा नहीं मिलता उन की समस्या को सदन में रखने वाला कोई नहीं है। मुझे इस बात की तकलीफ है। मैं चाहता हूं कि सदन के सदस्य उस वर्ग की ओर भी निगाह रखें जिनके पास रोटी नहीं है, रोजी नहीं है, जिनको साल में २०० दिन से अधिक काम नहीं मिलता और जो मण्डियों में लाइन लगाये खड़े रहते हैं। अगर किसी ने काम से बुला लिया, तो डेढ़ दो रुपया उनको मिल जाता है नहीं तो वे वापस अपने घर चले जाते हैं और ऐसे लोगों की आमदनी १ रुपया ९ पैसा एवरेज लिखी गयी है। अगर ऐवरेज फैमिली ५ की लगायी जाय तो २० पैसे पर एक व्यक्ति निर्भर करता है और ऐसे वर्ग के लिए कहने वाला इस सदन में कोई नहीं है, यह बड़े दुख की बात है।

अधिष्ठाता महोदय, इसके बाद प्लानिंग के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। प्लानिंग बड़ी रिजिड हो गयी है और जो तमाम हालात पैदा हो जाते हैं उनका मुकाबला करने योग्य वह नहीं रह गयी है। गवर्नमेंट आफ इन्डिया एक प्रकार से हम लोगों को डिटेक्शन देती है और जिन स्कीम्स में वह मैचिंग ग्रान्ट देते हैं, हम बाध्य हैं कि अपने यहां हम उनको मंजूर कर लें। इस प्रकार संविधान में जो स्टेट्स को आटोनामी दी गयी है वह सारी की सारी समाप्त होती जा रही है और सारी पावर सेन्ट्रलाइज हो रही है, गवर्नमेंट आफ इन्डिया में। हमको अपनी जरूरत के मुताबिक स्कीम्स को स्वीकार करना चाहिये और गवर्नमेंट आफ इन्डिया के लालच में पड़ कर सदन द्वारा स्कीम्स को मन्जूर करा लेने की गलत नीति है।

मुझे श्रीमन्, थोड़ा समय और दे दें। मैं कह रहा था कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जो ऐटीट्यूड है उसमें जरूरत इस बात की है कि एक स्टेट प्लानिंग कमीशन है। इस कमीशन में गवर्नमेंट आफिसर्स नहीं वरन् स्टेट के पालिटीशियन रहने चाहिये कि जो समस्याओं की वास्तविकता से परिचित हों और एक कमरे में बैठकर ही सारी बात पर सोच विचार न करते हों। उनके

[श्री वीरसेन]

द्वारा इस कमीशन का निर्माण होना चाहिये। इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश में कृषि और उद्योग में हम लोग बहुत पीछे हटते जा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारे प्रदेश के प्रति सेंटर का सौतेला व्यवहार है। जितना कोटा हमारे प्रदेश को मंजूर होता है वह इतना कम है कि छोटे-छोटे प्रदेशों के मुकाबले में भी वह बहुत कम पड़ता है।

श्री अधिष्ठाता—

कमलासिंह जी, जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हों तो चेयर और वक्ता के बीच में से आपको क्रास नहीं करना चाहिये।

श्री वीरसेन—

तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की तरक्की उद्योग के सिलसिले में तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हम इस बात पर जोर न दें कि आबादी के हिसाब से, प्रोडक्शन का और इम्पोर्टेड मैटीरियल का कोटा हमको दिया जाय। हम तो इस बात के हामी हैं कि जितना कन्ट्रोल्ड मैटीरियल है उसको अगर डिकन्ट्रोल कर दिया जाय तो हमारा प्रदेश इन्डस्ट्री में फलफूल सकता है। लेकिन दूसरी इन्डस्ट्रीज के बढ़ावे के लिए आवश्यक है कि हमारा इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट भी अपने रवैये में थोड़ी तब्दीली करे। आज उसका काम उद्योग को रेगुलेट करना ही रह गया है, प्रोत्साहित करना नहीं। जब तक राज्य सरकार अपने इस रास्ते को नहीं बदलेगी, रेगुलेटरी रोल को छोड़ कर प्रमोशनल रोल को नहीं अपनायेगी तब तक प्रदेश इन्डस्ट्री में उन्नति नहीं कर सकता।

श्री शिवदानसिंह (जिला अलीगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। हमारी सरकार की बजट बनाने की एक नीति रही है, परंपरा है और वह यह कि आरम्भ में बजट घाटे का बनता है और बाद में वह बचत के बजट में परिणित हो जाता है। यह मैं समझता हूं यह इस इरादे से किया जाता है कि टैक्स लगाने के लिये सरकार अपने केस को मजबूत कर सके। कल भी राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इस बात पर जोर दिया है कि जहां तक हो सके डेफिसिट फाइनेंसिग नहीं होनी चाहिये क्योंकि इससे हित के बजाय अहित ही होता है। लेकिन हमारी सरकार की जो नीति और परम्परा है उसके अनुसार मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी, जो ऊंचे गणितज्ञ भी हैं इस घाटे के बजट को अवश्य ही बचत के बजट में बदल देंगे और ऐसा करने में उनको कोई विशेष असुविधा न होगी।

श्रीमन्, सरकार को अधिकार है कि टैक्स लगावे, लेकिन उसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी यह जुड़ी हुई है कि जो इस अधिकार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह जिम्मेदारी यह है कि जो पैसा टैक्स के रूप में इस प्रकार वसूल किया जाय उस जनता की गाढ़ी कमाई को सावधानी से, बड़ी ईमानदारी से खर्च किया जाय ताकि उस पैसे का रिटर्न उन गरीब जनता को ज्यादा से ज्यादा मिल सके। जो आंकड़े इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने पेश किये हैं उनको देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार ने ईमानदारी से अपनी इस जिम्मेदारी को निभाया नहीं और लाखों रुपया जिस तरह से बर्बाद किया गया है उसे देख कर कहना पड़ता है कि सरकार इस दिशा में बिलकुल लापरवाह रही है कि जनता का पैसा किस प्रकार खर्च किया जाना चाहिये। गरीब जनता का लाखों रुपया वेस्ट हो जाय, यह शोभा की बात नहीं है। अगर किसी देश में ऐसा हुआ तो वहां की जनता इसको बरदाश्त नहीं करती। यहां की जनता भोली भाली है, लेकिन उसके इस भोलेपन का नाजायज फायदा न उठा कर सरकार को अपना कर्तव्य ठीक से निभाना चाहिये। श्रीमन्, टैक्स लगाते समय देश की परिस्थितियों को जनता की नब्ज को भी अपने ध्यान में रखना जरूरी है। उनको ध्यान में रख कर ही हमें नये टैक्स लगाने की बात करनी चाहिये। आज दक्षिण में जो आग की लपटें फैल रही हैं

इस से भी एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। आज जब चारों ओर से अशान्ति व अविश्वास का वातावरण छाया हुआ है, आग लग रही हो, तो हमारी सरकार को चाहिये कि वह उस आग को बुझाने का काम करे, न कि उसमें और घी डाले। आज टैक्स लगाने की बात करना जलती आग में घी डालने के समान है। आज तो आपको जनता को सुख सुविधायें पहुंचाकर उनके हृदयों को जीतना है। जब तक आप जनता को सुख सुविधायें नहीं पहुंचायेंगे तब तक कोई नया टैक्स लगाने का आपका औचित्य व न्यायोचित कारण नहीं।

श्रीमन्, हमारे बजट का आकार बढ़ता चला जाता है। यह बड़ी खुशी की बात है। जब किसी देश में नव निर्माण के लिए भिन्न-भिन्न योजनायें चलती हैं और देश के विकास के लिये तरह-तरह के काम किये जाते हैं तो बजट बढ़ना ही चाहिये और वह बढ़ता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बजट तो इतना बढ़ गया, मगर जनता को सुख नहीं मिला। उसको कोई सामाजिक, आर्थिक सुविधा प्राप्त नहीं हो पायी। गरीब जनता और गरीब होती जा रही है, अमीर और अमीर होता गया है। जो एक हजार की दूकान करता था, आज उस की दुकान में लाख का माल हो गया, जो पहले अपनी फैक्टरी में एक चीज ही बनाता था, आज ४, ६ चीजें बनाने लगा है, एक फैक्टरी से कई फैक्टरीज उसके पास हो गयी हैं मगर गरीब को कोई सुख नहीं पहुंचा और गरीब की परेशानी बढ़ गई। हमने समाजवाद का संकल्प जरूर लिया है मगर हम उसकी ओर कतई नहीं जा रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि अभी तक समाजवाद की कोई एक परिभाषा और व्याख्या नहीं बन पायी है जिससे हम स्पष्ट रूप से यह देख सकें कि इस ओर हम कितना बढ़े हैं। आज हम समाजवाद की ओर नहीं, बल्कि पूंजीवाद की ओर ही बढ़ रहे हैं।

आज १५ साल के बाद भी हम कृषि की पैदावार नहीं बढ़ा पाये हैं। हमारे देश की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ खेती है और देश की ८५ फीसदी लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। हमारे राष्ट्र की आधी आमदनी उसी से होती है। मगर उसी क्षेत्र में कोई तरक्की नहीं हुई है और जब तक कृषि की पैदावार नहीं बढ़ेगी, यहां की जनता की आर्थिक उन्नति भी नहीं होगी।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय कमलासिंह जी, जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तो अध्यक्ष और माननीय सदस्य के बीच में से हो कर कृपया जाना गलत है।

श्री शिवदानसिंह--

कहा जाता है कि मौसम की खराबी रही है। यह साइंस का युग है मौसम की खराबी को विज्ञान के उपायों द्वारा मिनीमाइज किया जा सकता है। मगर वही एक कारण नहीं रहा है और भी साधन आप किसान को नहीं दे पाये हैं। १५ साल के अन्दर केवल अरबों रुपया व्यय करने के बाद केवल २५ फीसदी जमीन में ही आप पानी दे पाये हैं। इसका कारण क्या है? जो योजनायें बनाने वाले हैं उनको किताबी व अक्षर-ज्ञान हो सकता है परन्तु वास्तव में उनको देश के किसान की स्थिति का ज्ञान नहीं, वह सिंचाई की बड़ी-बड़ी योजनाओं में उलझ गये, जिसके लिए बड़े-बड़े विदेशी इंजीनियरों तथा विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ी, उसके अभाव में सिंचाई की प्रगति धीमी रही। अगर कुएं बना कर सिंचाई की योजना चालू की गई होती तो इस चौथाई व्यय में और छः माह के अन्दर इससे कहीं अधिक लक्ष्य पूरा किया जा सकता था। अगर आपने पानी की सुविधा की ओर ध्यान दिया होता तो खेती की पैदावार में अवश्य वृद्धि होती। अगर मौसम के कारणों से नुक्सान भी हो जाता है, मान लीजिये २५ फी सदी नुकसान भी हो जाता है तो ज्यादा रकबे में सिंचाई की सुविधा से फसल की पैदावार बढ़ जाती। परन्तु आप ने पानी बढ़ाने की ओर ध्यान ही नहीं दिया।

इसी तरह से किसानों को अच्छी खाद भी मौके पर नहीं मिल पाती है और उसका मूल्य इतना अधिक है जो किसान की शक्ति से परे है। पहिले वे बेचारे महाजनों से सूद के कारण तंग रहा करते थे अब सरकार ने कोआपरेटिव सोसाइटीज खोल दी हैं। कोआपरेटिव सोसाइटीज

[श्री शिवदानसिंह]

अधिक से अधिक ३० फीसदी किसान को ही कवर कर पा रही हैं शेष ७० फीसदी फिर भी महाजन के चंगुल में हैं—जिनमें कोआपरेटिव सुपरवाइजर उनको समय-समय पर तंग करते हैं। किसान बेचारा उन्हें ही अपना मालिक समझता है, उन्हें ही अपना अन्नदाता समझता है और आजादी से जो स्वाभिमान पैदा होना चाहिए था वह सब भूतकाल की बात बन गया श्रीमन् जी हमारे ही जिले में गरीबों से १०० रु० जबरदस्ती शेयर का लेकर एक टैक्सटाइल मिल जो जिला बुलन्दशहर में खुल रही है उसके लिये वसूल किया, यह मालदारों से लेते तो क्या ही अच्छा होता। गरीब जो बेचारे पहिले से ही परेशान हैं उन को ही तंग किया जाता है, ये ऐसी कार्यवाहियां कोआपरेटिव को बड़ा धक्का पहुंचावेगी।

एक बात श्रीमन्, मैं और कहना चाहता हूं कि देश में सड़कों का विकास होना बहुत जरूरी है। यह क्रान्तिकारी युग है, क्रान्तिकारी विचारों को सुदूर गांव में बसी हुई जनता तक पहुंचाने से ही यह उद्देश्य पूरा हो सकता है, जनता में सामाजिक जागरण व राजनैतिक चेतना प्रजातंत्र की सफलता के लिए पहुंचाना जरूरी है। उसके लिये सड़कों का विस्तार नितान्त आवश्यक है। सड़कों का विकास क्रान्तिकारी विचारों के लिये भी बहुत आवश्यक है। किसी ने सच ही कहा है कि "सड़कों पर आदमी ही नहीं चलते, बल्कि सड़कों पर विचार चलते हैं"। इस तरह से आपको सड़कें बना कर क्रान्ति लानी होगी। संसार के देशों में हमारा देश यातायात के साधनों में सब से पिछड़ा हुआ है और देश में हमारा प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ है। सन् १९४३ में नागपुर में स्टार व ग्रिड के नाम से सड़कों के लिए एक फार्मूला बनाया गया था, उस फार्मूला के अनुसार देश के अन्य प्रदेशों ने अपना लक्ष्य दूसरी पंचवर्षीय योजना तक पूरा कर लिया, हमारी प्रगति इस दिशा में बड़ी धीमी रही हम अपने लक्ष्य को इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा करने की आशा रखते हैं उसमें भी २ हजार मील सड़क नागपुर के फार्मूला से कम रह जाएगी। श्रीमन् यह फार्मूला तो पुराना पड़ गया इसके बाद सन् ५८ में बंबई में जो फार्मूला निर्धारित किया गया उसके अनुसार तो हम ५० फी सदी पीछे हैं, इसे देखते हुए हमें सड़कों के विस्तार की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जिससे प्रदेश का विकास हो सके। इसी पर प्रदेश का विकास निर्भर करता है। श्रीमन्, मेरे इन विचारों का खयाल रक्खा जाय।

श्री सत्यवीर कुंवर (जिला बिजनौर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये आज खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, आज हमारा प्रदेश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। खाद्य समस्या जो कि एक राष्ट्रीय समस्या हो गई है आज भी मुंह बांये खड़ी है और भ्रष्टाचार, जखीरेबाजी तथा होर्डिंग इत्यादि जिससे हमारा प्रदेश पिछले वर्ष आक्रान्त रहा आज भी प्रदेश में व्याप्त है। हमारी सरकार ने इनका दमन करने के लिये प्रयत्न किया परन्तु फिर भी बहुत कम सफलता उसमें उसे प्राप्त हुई। श्रीमन्, अभी कुछ दिन हुए भ्रष्टाचार की ओर कुछ माननीय सदस्यों ने संकेत किया था। मेरा नम्र निवेदन है कि भ्रष्टाचार केवल व्यापारी वर्ग में ही नहीं है, बल्कि हम सब में है और जनता में है। जिस प्रकार अधिकारीगण के लिये कोई मापदंड बना रहे हैं उसी प्रकार हम सबके लिए भी जब तक कोई मापदंड नहीं बनायेंगे तब तक भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता ही जायगा।

हमारे बिजनौर जिले के एक माननीय सदस्य ने प्रशासन के ऊपर बहुत कुछ कहा है लेकिन मुझे बड़े शोक के साथ कहना पड़ता है कि प्रशासन में शायद जितना दखल अपने जिले में उन्होंने दिया है और प्रशासन को अपनी प्रभुसत्ता बनाने के लिए जितना वह कठपुतली बनाना चाहते हैं उतना शायद ही किसी और नेता ने किया होगा। आज प्रशासन की तो यह हालत है कि हम लोगों की आपसी फूट के कारण वह किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो गया है। हम अपनी योजनाओं में फेल हो रहे हैं, उनको कार्यान्वित नहीं कर पा रहे हैं। इसका विशेष कारण यही है कि योजनायें तो अपनी जगह पर सही हैं, सरकार भी अपनी जगह पर काम कर रही है लेकिन हम

सब सदस्य जो हैं वह उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। हमारा तो खाली एक कर्त्तव्य रह गया है कि हम आपस में एक दूसरे को गिराने की कोशिश करें, एक दूसरे की छीछालेदर करने की कोशिश करें। मैं व्यक्तिगत तो किसी के लिए नहीं कहना चाहता, लेकिन हमारे यहां के एक कांग्रेसी सदस्य स्वयं रूलिंग पार्टी के होते हुए भी मंत्रीपद के लिए लालायित होकर किस प्रकार खुल्लमखुल्ला इस अपनी सरकार की ही, जिसके वह खुद मंत्री रह चुके हैं, जड़ उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक की शिकायत करते हुए उन्होंने कहा कि एक मंत्री साहब हमारे यहां जिले में गये लेकिन उन्होंने बर्कर्स से, कार्यकर्त्ताओं से बातचीत नहीं की। मैं कहना चाहता हूं कि यह चीज गलत है। अगर कोआपरेटिव बैंक का स्पेशल आडिट किया जाय तो पता चलेगा कि कितना गोलमाल वहां पर है। किन्तु आज टू मच इंटरफियरेंस, आपसी फूट और कांग्रेस के अन्दर की गुटबन्दी के कारण प्रशासन में किंकर्त्तव्यविमूढ़ता आ गई है और यहां तक कि पालिसी मैटर्स में भी इनडेसीजन आ गया है। हमारे जिले के ये माननीय सदस्य हैं वह यहां विधान सभा में कभी तो प्रगतिशील समाजवादी बनते हैं और जनसंघ के कट्टर विरोधी बनते हैं किन्तु जिले के अन्दर जितना योग इन्होंने कम्युनलिज्म, कास्टीज्म तथा धर्म संकीर्णता को दिया उतना शायद ही किसी ने दिया हो।

मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारी योजनायें तभी कार्यान्वित हो सकती हैं जबकि हम सब एक मत होकर एकाग्र चित्त से आपसी फूट को छोड़ कर उसको इम्प्लीमेंट करायें। जब वे इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं तब तक यह कहना कि यह चीज गलत है, वह चीज गलत है, यह सब बिलकुल बेकार हैं।

बजट तथा फाइव ईअर प्लान के एप्राइजल को पढ़ कर मुझे बहुत खुशी हुई। थर्ड फाइव-ईयर प्लान में हमने काफी तरक्की की है। यह जरूर है कि और तरक्की होनी चाहिये थी। लेकिन फिर भी बहुत सी बातों में हमने टारगेट से भी ऊपर उन्नति की है। विद्युत् उत्पादन, लघु सिंचाई, यातायात इत्यादि में हमारे अचीवमेंट शतप्रतिशत टारगेट से भी ऊपर चले गये हैं। यह बात सही है कि दैवी प्रकोप से हमारे कृषि उत्पादन में हानि हुई है। हमारे प्रदेश में बिजली उत्पादन के फलस्वरूप कुवों का जाल सा बिछ गया है और मैं समझता हूं कि हम उस मोड़ पर आ गये हैं कि अगर हम पूरी कोशिश करें तो हम कृषि-उत्पादन और उद्योग में सफल हो सकते हैं। लेकिन जरूरत हमारे अन्दर चरित्र की है। हम सोचते हैं कि जिस दिन स्टेट ट्रेडिंग हो जायगा उसी दिन आदर्शवाद आ जायगा। पूरी इकानामी फेल होने पर तो लाजमी स्टेट ट्रेडिंग करना होगा और रशा और चीन जैसा टोटलिटेरियनिज्म लागू करना होगा। लेकिन अभी तो एक एक्सपैरीमेंट हमारे देश की सरकार मिली जुली अर्थ व्यवस्था की कर रही है।

मेरा खयाल है कि इस बजट में वह पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है जिससे हम अपने प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर कर सकेंगे।

श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, दोनों ओर के सदस्यों ने कहा कि भुखमरी आ गई है, जनता परेशान है और छोटे कर्मचारी भी परेशान हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाय। सरकार को मालूम है कि १७ करोड़ एकड़ जमीन हमारे यहां फालतू पड़ी है जो कृषि-योग्य बनाई जा सकती है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि १७ साल के प्रयत्नों के बाद भी भुखमरी की स्थिति क्यों आई। अगर सिंचाई का सही तरीके से प्रबन्ध किया जाय तो खेती की बहुत सी पैदावार बढ़ सकती है। किसानों को तकावी दी जाती है उसे न देकर सरकार स्वयं कुंवें बनवाये और किसान से उस रुपये को तकावी की तरह से वसूल करे। इससे कुंवें बनेंगे और किसानों को लाभ होगा और कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा।

मैं सोरांव तहसील से चुन कर आया हूं। वहीं से पंडित जी हमेशा चुनकर आते थे। और अब की बार विजयलक्ष्मी चुनी गई हैं। उस क्षेत्र में ४ ब्लाक हैं। उनमें बहुत भ्रष्टाचार

[श्री मेवालाल जायसवाल]

है। वहां बहुत सा रुपया ग़लत तरीके से खर्च किया जा रहा है। उसे कोई देखने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार ब्लाकों की तरफ निगाह डाले। उद्योग धंधे भी सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। वहां सरकारी अफसर इधर-उधर बैठ कर चले आते हैं। मैंने २२ जनवरी को प्लानिंग अफसर और कलेक्टर को लिखा कि हमको चल कर दिखाओ कितना आपने ब्लकों में काम किया है। लेकिन उन लोगों ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। सरकार एक तरफ तो चिल्लाती है कि विरोधी पक्षों के लोग सहयोग नहीं देते हैं और बुराइयों को ही बताते हैं। लेकिन मैं सहयोग देने के लिये तैयार हूं। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे २२ जनवरी के पत्र का क्यों नहीं उनके अफसरों ने जवाब दिया। वे उसका जवाब मंगवावें।

हमने देखा है कि छोटे व्यापारी जो घोड़ों पर अनाज लाद कर ले जाकर बाजारों में बेचते थे, और किसान मजदूर आज भुखमरी के शिकार बने हुए हैं। १७ साल में हमारे देश में जो करोड़पति था वह अब अरबपति हो गया और जो अरबपति था वह और आगे हो गया, लेकिन गरीब वहीं पड़ा है।

सिंचाई के लिये हमारे यहां थोड़ी सी नहर की नाममात्र की व्यवस्था की गई है लेकिन उससे भी पानी नहीं आता है। काफी हानि अबकी साल हो गई है और पानी न मिलने से फसल खराब है। सरकार अगर आज फसल के झगड़े में पड़ेगी तो मैं चेतावनी देता हूं कि वह जनता को भुखमरी का शिकार करावेगी। सरकार को चाहिये कि कलेक्टर से रिपोर्ट मंगा कर सिंचाई की व्यवस्था करे।

मेरे क्षेत्र में पुलिस में बहुत भ्रष्टाचार है। अभी विजयलक्ष्मी जी का चुनाव हुआ था। उसे जीतने के लिये वहां के इंचार्ज दरोगा को हटा कर ऐसा दरोगा रखा गया जो कहता है कि हम बृटिश ज़माने के दरोगा हैं। हर चौकीदार से उसने पुराने जूते मंगवा कर रखे हैं और उनसे लोगों को पीटा जाता है। जनवरी में हमने स्वयं एक ऐसी घटना देखी। तो जो पंडित जी और विजयलक्ष्मी के ही क्षेत्र में ऐसी बात होगी तब देश कैसे तरक्की कर सकता है? सरकार गांधी जी की दुहाई देती है कि वह उनके बताये मार्ग पर चलती है। लेकिन १७ साल के अन्दर हमने देखा कि हर विभाग में भ्रष्टाचार है। इसलिये छोटे छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहों बढ़ाना और भी जरूरी है। गल्ले की मंहगाई के कारण उनका पूरा नहीं पड़ता है। कचहरी में जाइये, शाम हुई और वहां तारीख लग गई। १०, ५ किसान वहां एक केस में आते हैं और वे इस प्रकार दौड़ाये जाते हैं। १०७ में पुलिस वाले चाहे जिसे फांस देते हैं। जिस पार्टी से रुपया पा गये उसका एकआध आदमी ले लिया और जिससे नहीं पाये उस पार्टी के १०, ५ आदमी ले लिये। हमारे क्षेत्र में कोई सड़क ठीक नहीं है। इस बार जब श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित वहां गयीं तो सड़कों की तकलीफ के बारे में जब जनता ने उनसे कहा तो उन्होंने कह दिया कि अपने एम० एल० ए० से कहो। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह क्या बात है। जब वोट लेने की बात होती है तब तो दूसरी बात कही जाती है और बाद को बहाने बाजी कर दी जाती है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जहां-जहां जरूरत की चीजें हैं सरकार को उनका वहां-वहां बन्दोबस्त करना चाहिए।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम साल का बजट है। इस समय हमें देखना है कि हमारी ये योजनायें किस प्रकार से चल रही है। उसको देखने से पता चलता है कि हमारी योजनाओं का कार्य सफलता पूर्वक नहीं चल रहा है। मैं केवल एक बात की ओर ही सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। टेहरी गढ़वाल में बीसियों गांव अभी ऐसे होंगे जहां पर अभी तक पेयजाल का प्रबंध नहीं हो पाया है। भरपूर यहीं के तोलीगांव के लोग २ हजार रुपया

भी खर्च कर चुके हैं लेकिन सरकार ने अभी तक उनको कोई मदद नहीं दी है यानी इन्हें पेयजल नहीं उपलब्ध कर सकी है ।

दूसरा उदाहरण मेरे समीपी जिले चमोली का है जिसमें तल्ला नागपुर यही की १४ मील की पेयजल योजना है, जिसके द्वारा कई गांवों को पानी दिया जा रहा है । उसी के पास मेरा इलाका भी है । इस समय वहां जो रुद्र प्रयाग मोटर रोड का निर्माण हो रहा है, उस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारी गण इस तरह असावधानी से कार्य कर रहे हैं कि वहां पर लगे हुए पाइपों को इधर-उधर फेंक देते हैं जिससे वहां के गांव वालों को पीने के पानी का बहुत ही कष्ट हो रहा है, हाहाकार मचा हुआ है ।

हमारा प्रदेश उद्योग धंधों में बहुत पिछड़ा हुआ है और केंद्रीय सरकार को उसके लिए दोषी ठहराया जाता है लेकिन इसके लिए मेरे विचार से प्रदेश की सरकारी ही दोषी है । अगर सरकार प्रदेश की औद्योगिक संभावना और आवश्यकता की ओर ध्यान दें तो हमारे सूबे का पिछड़ापन बहुत हद तक मिट सकता है । हमारे यहां अखबारी कागज की बहुत कमी है । हमारे पर्वतीय क्षेत्र के जंगलों में जो लकड़ी आदि मिलती है उससे बहुत सा कागज बनाया जा सकता है । लेकिन मैं देखती हूं कि वहां पर कागज के कारखाने बनाने की कोई योजना नहीं है । पहाड़ों में और प्रकार का भी बहुत सा मैटीरियल मिलता है जिसका उपयोग किया जा सकता है और उससे हमारे पहाड़ी जिलों का पिछड़ापन मिटाया जा सकता है । हिमांचल प्रदेश और पंजाब की हालत भी हमारे यहां जैसी है लेकिन वहां बहुत से छोटे छोटे कारखाने खोल दिये गये हैं । हमारे यहां जो कच्चा माल मिलता है वह पानी के भाव पर्वतीय क्षेत्र के बाहर भेजा जाता है । सहारनपुर स्टार पेपर मिल को लकड़ी और बरेली टरपेंटाइन फैक्ट्री को जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र से जो लीसा दिया जाता है वह पानी के मोल दे दिया जाता है और इससे पर्वतीय क्षेत्र का लाभ कुछ भी नहीं है । इस ओर सरकार को ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है । जबकि हमारे यहां गरीबी, पिछड़ा-पन और बेरोजगारी है तो वहां छोटे मोटे कारखाने खोले जा सकते थे जिसमें वहां के लोगों को रोजगार मिल सकता था लेकिन सरकार ने संबंध में कुछ करना उचित नहीं समझा और उस तरफ से अपना मुंह मोड़ रखा है । भरपुर पट्टी में जो पेयजल की योजना थी वह वैसी की वैसी ही पड़ी रह गयी । श्रीमन्, मुझे आपके द्वारा सरकार को यह सूचना देनी है कि सरकार की ऐसी उदासीनता के कारण हमारे यहां के लोगों की ऐसी भावना बनती जा रही है कि हमें उत्तर प्रदेश से अलग करके हिमांचल प्रदेश के साथ मिला दिया जाय तो उनके साथ मिल कर हमारी उन्नति हो सकती है और हम आगे बढ़ सकते हैं ।

हमारे देश की आर्थिक स्थिति है और यहां पर अन्न की जो कमी है तथा उससे जो महंगाई है उसके बारे में भारतवर्ष में अमेरिका के राजदूत चेस्टर बोल्स ने कहा है कि भारतवर्ष में आजकल जितना भी पैसा आ रहा है और इस वक्त जितना पैसा मौजूद है उसमें ज्यादातर रुपया अमेरिका का है । आज हम अपनी उदरपूर्ति के लिए अमेरिका तथा अन्य बाहरी देशों से अन्न मंगाते हैं, यह भी हमारे लिए कोई गौरव की बात नहीं है । क्योंकि हम पहले कहते थे कि हम जनता के आर्थिक जीवन में क्रांति लाने के कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन यह सारा कहना खोखला सा ही मालूम लगता है और यह हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात है कि हम अमेरिका तथा बाहर के अन्य देशों से यहां अनाज मंगवायें इस हालत में हम कैसे कह सकते हैं कि हम आगे बढ़े हैं और हमारी योजनायें कामयाब हुई हैं ? मैं कह सकती हूं कि हमारी योजनायें कामयाब नहीं हुई हैं और उस के कारण हमारा देश पिछड़ा हुआ है और हमारे पहाड़ी क्षेत्र विशेषतौर से पिछड़े हुए हैं ।

यहां जो भी योजना बनायी जाती है वह मैदानी इलाकों की भौगोलिक, आर्थिक औरसामाजिक स्थिति को देख कर ही बनायी जाती है । उसमें पहाड़ी स्थानों की विशेष भौगोलिक, आर्थिक व सामाजिक स्थिति का ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि मैदानी इलाकों से वहां की सारी स्थिति दूसरे किस्म की है । इसीलिए योजनायें पहाड़ में असफल सी हो रही हैं इसके लिए आवश्यक है कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कोई अलग से योजना आयोग या कोई ऐसी समिति बनायी जाय जो वहां की विशेष भौगोलिक स्थिति तथा अन्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां के लिए कोई

[श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन]

ठोस योजना बनावें और उसे कार्यरूप में परिणित करें। लेकिन मुझे दुख है कि सामूहिक रूप से इसकी मांग होने पर भी सरकार ने उसे कार्य रूप में परिणित नहीं किया और इसीलिए आज हमें दुख के साथ यह सुनायी देता है कि टेहरी और अन्य पहाड़ी जिलों को हिमाचल प्रदेश के साथ मिला दिया जाय जिससे हमारी उन्नति हो।

दूसरी बात यह है कि टेहरी जिले में रोजी के कोई अन्य साधन नहीं हैं सिवा इसके कि वहां के युवक, युवतियां शिक्षा प्राप्त करके और नौकरी करके अपनी रोजी रोटी कमावें। लेकिन उसके लिये भी तो आवश्यक है कि वहां स्कूल्स हों जिससे कि विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकें। अभी एक मास या कुछ समय पूर्व मैंने एक पत्र माननीय शिक्षा मंत्री को लिखा था कि वे हमारे यहां मुख्य-मुख्य स्थानों पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलवा दें। उन जगहों के नाम भी मैंने उनको लिख कर भेजे थे जैसे जखोली, किकलेश्वर, डांगचीरा। इसी तरह वे कैलाशबांगर के पूर्व माध्यमिक स्कूल का प्रादेशीकरण किया जाय ऐसी भी मांग की थी। यह स्थान तिब्बत के पास पड़ता है। हमारी तरफ शिक्षा को बढ़ाने की तरफ कोई ध्यान सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है इसलिये वहां के लोगों में बहुत अन्सतोष है। टेहरी गढ़वाल में बहुत ज्यादा गरीबी, बेकारी है और यहां तक नौबत आ गई है कि जैसा कि मैंने अभी कहा हमारे लोग मांग करने लगे हैं कि हम को हिमांचल प्रदेश में मिला दिया जाय।

शिक्षा मंत्री सौभाग्य से अब वित्त मंत्री जी भी बन गये हैं। मुझे उनसे कहना है कि वह टेहरी गढ़वाल की और ध्यान दें वहां पर स्कूलों की तादाद बढ़ाई जाय और नए-नए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जायें। एक समस्या हमारे क्षेत्र टेहरी गढ़वाल में यह भी है कि सिंचाई की बात तो कौन करे वहां पर अभी तक पीने के पानी की भी व्यवस्था उचित रूप से नहीं हो सकी है, इस और ध्यान दिया जाय। हमारे यहां विकास के काम हो रहे हैं और परिवार नियोजन का भी काम आरम्भ हुआ है लेकिन बहुत से विकास केन्द्र ऐसे हैं कि जो खाली पड़े हैं, कोई ग्राम सेविकायें वहां नहीं हैं, दस ब्लाक्स में एक दो जगह स्थान भरे हैं और बाकी खाली पड़े हैं। इससे अच्छा तो यही था कि ये विकास केन्द्र खोले ही न जाते, कम से कम सरकार का पैसा ही बचता और खोले हैं तो वहां पर स्थान रिक्त न रक्खें जांय। कई जगह मैंने सम्पर्क स्थापित किया है, कुछ जगह तो परिवार नियोजन हो रहा है लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां उसकी जरूरत ही नहीं है, वहां की इन्क्वायरी की जाय और देखा जाय कि वहां उनकी आवश्यकता है और कहां पर नहीं है।

(इस समय २ बजकर ३० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा हमारे यहां कच्चे माल की कमी नहीं है, वह पर्याप्त मात्रा में मिलता है। टेहरी-गढ़वाल के नगर मुनी की रेती में कागज और लीसे के छोटे मोटे कारखाने खोले जा सकते हैं। वैसे तो यातायात के साधनों की बात कही जाती है, लेकिन ऋषिकेश के पास मुनी की रेती में ऐसी कठिनाई नहीं हैं वहां कारखाने खोले जा सकते हैं। अब मैं अधिक न कहकर इतना ही अन्त में माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहूंगी कि मेरे पत्र का शिक्षा सचिव से मेरे पास जो उत्तर आया है उससे मुझे असन्तोष है, इसीलिये मेरी शिकायत है कि हमारे साथ उदासीनता बरती जा रही है। मैं चाहती हूं कि हमारे यहां जखोली किकलेश्वर, डांगचौरा और कैलाशबांगर और धट्टी घंडियाल में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जायं एवं इन विद्यालयों का प्रान्तीयकरण हो।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो लिस्ट आपके पास है उसमें हमारा नाम है या नहीं? क्या इस सदन में उन्हीं सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा कि जिनके लिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बजट है, जिनके क्षेत्रों में करोड़ों और लाखों रुपया बहाया जा रहा है। क्या हमारी तरफ की प्रदेश की जनता की आवाज को आप क्रश करना चाहते हैं ? यह किस का सदन है, यह जनता का सदन है और हम जनप्रतिनिधियों को बोलने का अवसर मिलना चाहिये। यह मैं समझता हूं बड़ा अन्याय है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं। अकेले जनता के प्रतिनिधि आप ही नहीं हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

आप सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिख दें कि हम आप के साथ नहीं रहना चाहते, आप हमें क्यों समय नहीं देना चाहते, क्या वजह है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं, यह कोई जबरदस्ती की बात है, यह कायदे की बात नहीं है .....

श्री चन्द्रसिंह रावत—

हम रोजाना इस सदन में खड़े होते हैं, सुबह से शाम तक परेड करते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप दो दिन क्या दस दिन तक खड़े हों, आपको गवर्नर के एड्रेस पर मौका दिया जा चुका है। आप घबराते क्यों हैं। आप हमेशा झगड़ा करते हैं, यह ठीक नहीं है। आप कृपया बैठ जायं।

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक वर्ष घाटे का बजट प्रस्तुत कर नये करों के लगाने की भूमिका तैयार करने की परम्परा सी बन गयी है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में इस घाटे को पूरा करने के लिये किसानों पर टैक्स लगाने की ओर संकेत किया है। वर्तमान परिस्थिति में यदि किसानों पर कर बढ़ाया गया तो एक भयानक भूल होगी। आज शिक्षकों का प्रदर्शन हो रहा है। मजदूर हड़ताल कर रहे हैं और सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब बातें हवा का रुख बतलाने के लिये काफी है और अगर सरकार इस परिस्थिति में किसानों पर भी टैक्स लगा देगी तो फिर प्रदेश में बड़ी बेचैनी व्याप्त हो जायगी, और इस समय जबकि देश के अन्दर और बाहर से खतरा है, इस सरकार के लिये उचित नहीं है कि कोई भी ऐसा गलत कदम उठाये जिससे उन तत्वों को प्रोत्साहन मिले जो तोड़ फोड़ करके शासन को पलटना चाहते हैं। सरकार को, आज की नाजुक परिस्थिति में, बहुत ही सोच-विचार कर कदम उठाना है। उत्तर प्रदेश में किसान संपूर्ण राजस्व का ४१ प्रतिशत कर देता है। जितने भी दूसरे प्रदेश हैं यदि उनमें देखा जाय तो उत्तर प्रदेश का किसान सबसे अधिक कर देता है। खाद्यान्न के लिये हम आज भी विदेशों के निर्यात पर निर्भर करते हैं। इतना खाद्यान्न नहीं पैदा कर सके, जो कि हमारे लिये पर्याप्त सिद्ध होता। इसका क्या कारण है ? हमारी सरकार सामुदायिक विकास योजनाओं के नाम पर ढिंढोरा पीट रही है कि हम उन पर व्यय कर किसान को समृद्ध बना रहे हैं। ८० प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर रहती है और वह भी आज अपने लिये खाना नहीं पैदा कर सकती। इसका एक विशेष कारण यह है कि किसानों के पास खेती में लगाने के लिये पूंजी की बहुत कमी है और इसके अभाव में उन सब योजनाओं से, जो उसके लाभ के लिये बनाई जाती हैं, उनसे जितना फायदा होना चाहिए था, वह नहीं हो पाता है। अगर हमने उनकी आर्थिक दशा को टैक्स बढ़ा कर और भी बुरा बना दिया तो किसान और पिछड़ेंगे और प्रदेश में खाद्यान्न की और कमी होगी। यह कहा जाता है कि हमने किसानों को सुविधा देने के लिये योजनाओं पर बहुत खर्चा किया है। उससे उनकी पैदावार बढ़ी है और अगर बढ़ी हुई पैदावार का हम थोड़ा-सा हिस्सा ले लेंगे तो उनकी आर्थिक व्यवस्था में कोई अन्तर पैदा नहीं होगा। मैं मानता हूं कि चन्द इने-गिने व्यक्तियों को खाद्यान्नों के भाव बढ़ने के कारण या योजनाओं के फलस्वरूप

[श्री बसन्तसिंह]

कुछ लाभ हुआ है, लेकिन अधिकतर किसानों की अवस्था आज भी ऐसी है कि जो अपना भरण-पोषण भी नहीं कर पाते हैं। सरकारी आंकड़ों से और सामुदायिक विकास योजना की प्रगति के आंकड़े कुछ भी बतायें, लेकिन किसान की दुर्व्यवस्था जो है वह गांवों में जाकर देखी जा सकती है।

मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि सरकार कोई कमीशन नियुक्त कर रही है जो जांच करेगा कि इन योजनाओं से कितना लाभ पहुंचा है। मैं कहना चाहता हूं कि वह ग्रामों में जाकर देखें, प्रत्येक परिस्थिति का अनुभव करें। केवल कागजी रिपोर्ट तैयार करने से काम चलने वाला नहीं है। कृषि की उन्नति करनी है और खाद्यान्न बढ़ाना है तो किसान को सुविधा देनी होगी। आज भी किसान कर्जे से लदा है। वह कोआपरेटिव सोसाइटीज, महाजन, इंडस्ट्रीज, ब्लाक और गन्ना सोसाइटीज सभी से कर्जा लेता है और जितना पैदा करता है उस कर्ज को अदा करने के लिये अधिकांश फसल वह बेच देता है। जो ऋण वह कोआपरेटिव सोसाइटीज से लेता है उसे वह किस्तवार चुका नहीं पाता है और महाजन से कर्ज ले कर चुकाता है। प्रश्न पैदा होता है कि योजनाओं के लिये धन कहां से आये? जब तक योजनाओं का रुख नहीं बदलेंगे यह धन की समस्या बनी रहेगी। बहुत-सी योजनायें हमने ऐसी बना रखी हैं जिनसे कोई लाभ नहीं होता है। उनको समाप्त करना होगा। पब्लिक सेक्टर को प्राफिट मोटिव से चलाना होगा जैसा कि रूस में भी आज किया जा रहा है। पब्लिक सेक्टर में जो घाटा हो वह कर लगा कर पूरा किया जाय यह चीज मुल्क अधिक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। कोआपरेटिव की योजनाओं पर सरकार को बिलकुल खर्च नहीं करना चाहिये। अगर कोआपरेटिव की योजनायें अच्छी हैं तो जनता स्वंय उनको चाहेगी। उनको जन सहयोग पर आधारित होना चाहिये। हमारी योजनाएं पूंजीप्रधान न होकर श्रमप्रधान होनी चाहिये। छोटे उद्योगों को प्राथमिकता देना चाहिये। लेकिन होता यह है कि क्रशर पर तरह-तरह की पाबन्दियां लगायी जाती हैं। छोटे-छोटे उद्योगों पर तरह तरह के टैक्स लगाये जाते हैं जो कि मिल वालों पर नहीं लगाये जाते हैं। उस रवैये को बदलना होगा।

शिक्षा मंत्री जब बजट भाषण दे रहे थे तो मुझे आशा थी कि वित्त मंत्री के पद पर काम करने के कारण वे शिक्षकों की ओर अवश्य ध्यान देंगे, विशेषकर प्राइमरी शिक्षकों की ओर। यूनीवर्सिटी ग्रांटस कमीशन भी है, माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों पर भी विचार हुआ है, लेकिन प्राइमरी शिक्षा, जो शिक्षा की नींव है उस पर हमने अभी विचार नहीं किया क्योंकि वह शिक्षा जिला बोर्ड तथा स्वायत्त शासन संस्थाओं के हाथ में हैं। प्राइमरी अध्यापकों का संगठन इतना व्यापक नहीं है। वास्तव में सबसे अधिक ध्यान प्राइमरी शिक्षा की ओर देना चाहिये था और प्राइमरी शिक्षक का वेतन १२० रुपये मासिक से कम नहीं होना चाहिये। शिक्षा प्रसार के लिये बालक तथा बालिकाओं की संख्या बढ़ाने पर तो विचार किया जाता है, लेकिन शिक्षा संस्थाओं में क्या साधन तथा सामग्री मिले इस पर कतई ध्यान नहीं दिया जाता है। वित्त मंत्री ने एक बात और कही है कि डिग्री कालेजों में ३५० रुपये पाने वाले अध्यापकों को इंटर कालेजों के अध्यापकों को जो भत्ता मिलता था वही दिया जायगा, लेकिन इंटर कालेज में प्रिंसिपल को जिसे ६५० रुपये मिलते हैं उसको भी उतना ही दिया जायगा। ऐसा करने के बजाय एक लिमिट मुकर्रर करनी चाहिये थी कि इतने रुपये पाने वाले के ऊपर किसी को भी मंहगाई भत्ता नहीं मिलेगा। मंहगाई भत्ता जो दिया जाता है वह सबको वेतन के अनुपात में दिया जाता है। यह तरीका गलत है। मंहगाई भत्ता एक निश्चित आमदनी के ऊपर नहीं दिया जाना चाहिये और छोटी तनख्वाह पाने वालों को अधिक दिया जाना चाहिये।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं, विरोधी पक्ष की ओर से कहा गया है कि कर्मचारियों और अध्यापकों का मंहगाई भत्ता बढ़ाया जाय, किसी प्रकार का कोई टैक्स न लगाया जाय, विकास की योजनायें फेल हो रही हैं और प्रदेश की प्रगति नहीं हो रही है। इस तरह की चर्चायें हुईं। अध्यापकों के संबंध में शिक्षा मंत्री जी ने आज

अपना भाषण भी दिया। जिससे स्थिति स्पष्ट हो गयी है कि अध्यापकों तथा कर्मचारियों के प्रदर्शन हुये, यह भी मैं मानता हूं कि आज जो उनको वेतन और मंहगाई भत्ता मिल रहा है उससे उनकी अच्छी तरह से गुजर-बसर नहीं हो सकती है। लेकिन हमें इस बात का भी खयाल रखना है जैसा कि विरोधी दल की ओर से आंकड़े दिये गये हैं और कहा गया है कि ७०/७५ प्रतिशत लोगों की आय एक रुपये से भी कम है। ऐसी दशा में जो आमदनी आये उसे कुछ लाख लोगों पर ही खर्च किया जाय, यह बात मुनासिब नहीं मालूम होती है।

हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ७० प्रतिशत लोग एक रुपये प्रति दिन की आय से कैसे गुजर करते हैं। आज किसान और देहात के लोग इस बात को महसूस करने लगे हैं कि उनके लिये सीमेंट, टीन की चादर और सड़कों वगैरह की जरूरत नहीं है तथा स्कूल, कालेज और कारखाने जो भी खुलेंगे वह शहरों में ही खुलेंगे, बिजली लगेगी तो शहरों में ही लगेगी। आखिर करोड़ों इंसान जो गांवों में रहते हैं, जिनके विकास की आवश्यकता है, जिनको उठाने की आवश्यकता है, जिनके अभिलाषा है कि वे भी अपने बच्चों को शहर के लड़कों की तरह से कालेज और विश्वविद्यालय की शिक्षा दिलाकर उनके मुकाबले में देखना चाहते हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता है। लेकिन आज जब अन्न की समस्या खड़ी हुई और किसानों की जेब में पैसा जाने का सवाल आया तो बड़े-बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। चाहे ये प्रदर्शन सरकारी कर्मचारियों के हों या अध्यापकों के हों, ठीक नहीं है और उनकी वकालत करने वाले हमारे ये साथी हैं। तनख्वाहें बढ़ायें, मंहगाई भत्ता बढ़ायें और टैक्स न लगायें तो इस तरह से प्रदेश की तरक्की और योजनाओं की सफलता कैसे होगी।

मान्यवर, विरोधी दलों से आशा की जाती है कि वह ठोस सुझाव देंगे, वह इस प्रदेश के अमनो अमान को सुचारुरूप से रखने में अपना सहयोग दें जिससे प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रहे, योजनायें सफलता से चलें और जो सरकार की खराबियां हों उनको दूर करने के लिये ठोस सुझाव देकर सरकार का ध्यान दिलायें। इस समय बजट पर सामान्य विवाद हो रहा है लेकिन विरोधी दल का कोई भी नेता उपस्थित नहीं है। माननीय नेता विरोधी दल ने जो सुझाव दिये उनमें २-३ बातें ये हैं कि अध्यापकों की तनख्वाह बढ़ाओ, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ाओं और कोई टैक्स लगाओगे तो उसके पीछे धमकी है तथा मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार से कोई भी देश या प्रदेश शासन का संचालन कर सकेगा? श्रीमन्, यह बड़ी खतरनाक बात है हम कर्मचारियों को उभाड़ने में योग दें और उनको सही बात न समझायें। आज एक विद्वेष की भावना किसान में जागरूक हो गई है और वह सोचता है जो कर भार हमारे ऊपर लगा हुआ है उससे हमें कहां तक लाभ पहुंच रहा है। आप कर लगाते हैं प्रत्यक्ष कर न सही, अप्रत्यक्ष कर सही, उसका असर उस पर पड़ता है क्योंकि वह भी वस्त्र खरीदता है, तेल खरीदता है और वह कृषि के लिये अन्य आवश्यक सामग्री खरीदता है और इस पर उन्हें टैक्स देना पड़ता है। और वह टैक्स क्यों लगता है आपने बजट में कर्मचारियों को राहत देने के लिये साढ़े ग्यारह करोड़ का प्राविधान किया है, जिससे उन्हें राहत और रियायत दी जायेगी और उसके बाद भी इस तरह की बातें हों तो आखिर किसान सोचता है क्या हमारी गाढ़ी कमाई का सारा पैसा सरकारी कर्मचारियों के लिये है। क्या कभी इन प्रदर्शनकारियों ने यह भी सोचा है कि वह गरीब किसान जो कड़ी मेहनत करता है, खेतों पर अपना खून पसीना बहाता है, और मुश्किल से उसे एक समय भोजन प्राप्त होता है तथा कठिनाई से तन ढक पाता है, उसकी क्या बचत है इतना कठोर परिश्रम करने पर भी। वह तो किसी तरह से अपनी गुजर बसर करता है। उसको भी रोटी की जरूरत होती है उसको भी तन ढकने की जरूरत होती है उन्हें भी अपनी जरूरतें पूरी करने देना चाहिये। इन प्रदर्शनकारियों का असर इन किसानों पर बड़ा बुरा पड़ता है। हमें अपने योजनाओं की दिशा को बदलना होगा, हमें गांवों की तरफ जाना होगा।

जो स्वराज्य आया है, उसके बारे में तो मैं समझता हूं कि जैसे स्वर्ग से गंगा जी आईं और वह शंकर जी की जटा में ही उलझ गई, उसी प्रकार से स्वराज्य आने पर उसकी सारी

[श्री सुदाम प्रसाद गोस्वामी]

खुशहाली और वैभव चन्द शहरों में ही फंस कर रह गया और गांव उसी प्रकार से उपेक्षित पड़े हुये हैं। सारी की सारी इंडस्ट्रीज शहरों में लगाई जा रही हैं, सारे के सारे स्कूल शहर में खोले गये, सारी की सारी योजनायें शहरों में, बिजली शहर में, पानी पहले शहर में, तो आखिर देश क्या चन्द शहरों के लिये है ? आज किसान के सामने यह प्रश्न है और वह अपनी उपज में हतोत्साहित होता है जब वह इस प्रकार की चीजें देखता है। अन्न की समस्या तो केवल बुन्देलखंड ही पूरी कर सकता है। लेकिन उसे साधन नहीं मिलता इसलिये वह असन्तुष्ट है। सबसे अधिक चावल अतर्रा ने इस प्रदेश को दिया है। जब लेवी लगी है बुन्देलखण्ड ने सबसे ज्यादा गल्ला दिया है। आज जब किसान से कहा जाता है गल्ला लाओ तो वह कहता है कि सोना तो हम खरीद नहीं सकते, मकान बनवाने के लिये सीमेन्ट और टीन की चद्दर हमें मिल नहीं सकती, तो फिर हम गल्ला किसलिये दें। हमें किस कारण जरूरत है कि हम अधिक से अधिक उपज करके आप को गल्ला दें। जब आप किसानों को जरूरत की वस्तुयें नहीं दे सकते तो वह सोंचता है कि क्या वह चन्द शहरों के लोगों को अन्न देने के लिये बाध्य है ? मैं सरकार से आपके माध्यम से इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि सारी योजनाओं को उस गरीब किसान की तरफ ले चलो और मैं सिर्फ बुन्देलखण्ड की बात निवेदन करूं। मैं मानता हूं कि सरकार ने वहां सिंचाई की व्यवस्था की है लेकिन छोटी-छोटी बन्धियों की वहां जरूरत है लेकिन वह व्यवस्था वहां के लिये नहीं की गई है। यदि उसे सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हों, उसे अन्य सहूलियतें मिले तो अकेले बुन्देलखण्ड ही प्रदेश की गल्ले की समस्या को हल कर सकता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहत हूं श्रीमन्, कि गल्ले का सवाल जहां तक है, इसके लिए किसान के दिल में इस बात का विश्वास हो कि यह सारी योजनाएं जो चल रही हैं, इससे लाभ देहात को होगा, इन योजनाओं से ज्यादा लाभ देहात के बच्चों को होगा। श्रीमन्, बहुत से प्राइमरी स्कूल खोले और ग्राम सभाओं से भी इन्तजाम हो गया, फिर भी प्राइमरी कक्षा में पढ़ने के लिए हमारे यहां के बच्चे डेढ़ मील तक जाते हैं। जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने के लिए उनको आठ-आठ मील तक जाना पड़ता है। हाई स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए ५०–५० मील तक जाना पड़ता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बजट पेश किया, लेकिन उस पूरे बजट में बुन्देलखण्ड के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बुन्देलखण्ड के लिए अगर आप कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, अगर वहां की मजबूरी, वहां की सारी गरीबी और परेशानियों के लिये आप कुछ नहीं कर सकते तो आप रहम कीजिए। मैं कहता हूं कि दक्षिण पश्चिम की ये योजनाएं गलत होंगी यदि एक प्रदेश हिस्से को उठाया और एक हिस्सा पीछे रह गया। अगर हमारा पश्चिम हो, चाहें पूर्व हो, चाहे मध्य हो, चाहे दक्षिण हो, सारे प्रदेश को योजना बनाते समय एक स्तर पर लाने का प्रयास किया जाय। अगर हम आज पिछड़े हैं तो हमारे साथ रियायत की जाय। बुन्देलखंड में कोई साइंस और कोई विज्ञान कालेज नहीं है। एक कालेज परसाल खोला गया है। ललितपुर देहात की जहां की आबादी चार लाख की है, वहां पर लड़कियों का स्कूल नहीं है। उसके लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आज इस बजट पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, सदन में इस तरह के सदस्यों ने और अन्य सदस्यों ने भी जो सरकार की हर बात में हाथ उठाते हैं, मैंने इस बात का अनुभव किया कि बजट के ऊपर विचार करते समय, बजट की कमियों की तरफ ध्यान जाता है, अच्छाइयों की तरफ ध्यान नहीं जाता है, जितना कि उनसे आशा की जाती थी। एक बात ठीक है कि दोहाई दी गई। यह हमारी योजनाएं जो हैं उनसे मुद्रास्फीति होती है लेकिन यहां पर कहा गया कि इससे इस देश में प्रगति होगी। जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य किये जायंगे। जिस प्रदेश में मुद्रा-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्फीति बढ़ती है, उस प्रदेश में जनता का विश्वास कम होता है। उससे जो लक्ष्य होता है वह प्राप्त नहीं होता है, फिर भी हम घाटा प्रकट करते हैं बजट के आधार पर। मैं जहां तक समझता हूं, इस भुखमरी के जमाने में जनता इस घाटे के बजट को सुनकर प्रसन्न नहीं होगी। यह भुखमरी का जमाना है और यह दैवी प्रकोप हो रहा है। खाद्य की स्थिति किसानों की बहुत खराब चल रही है। किसानों के खेतों की सिंचाई की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में घाटे का बजट पेश करके जनता को और भी भयभीत करना कहां तक उपयुक्त होगा। मान्यवर, यह बजट प्रस्तुत करते समय मैंने तो यह देखा कि सरकार ने जो लक्ष्य योजनाओं पर प्रदर्शित किया उन्होंने हमेशा खर्च को कम कर दिया और कभी भी इतना नहीं खर्च कर पाये, जितना उन्होंने लक्ष्य बनाया था। १९६४–६५ में ३७७ करोड़ रुपये खर्च किये गये और १९६५–६६ के लिये १४१ करोड़ का अनुमान है। यह ५१८ करोड़ हो गये और जब लक्ष्य है ५०० करोड़ तो यह १८ करोड़ रुपये अधिक खींचातानी करके घाटे का बजट दिखाया जा रहा है। लेकिन यह १८ करोड़ रुपये जो अधिक दिखाये गये हैं यह सरकार किसी भी हालत में खर्च करने में सक्षम नहीं है। फिर घाटे को दिखाने से क्या लाभ है?

अब मैं सरकार के मुख्य कार्यकलापों के बारे में संकेतमात्र कहना चाहता हूं। सभी सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि यह प्रदेश विषम खाद्य संकट की स्थिति से गुजर रहा है। प्रत्येक आदमी आज खाद्य समस्या से त्रस्त है। उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि वह अच्छी तरह से अपनी उदरपूर्ति के साधनों को जुटा सकेगा। यह ठीक है देवी प्रकोप हुए, यह भी ठीक है कि उपज भी कम हुई, लेकिन साथ ही साथ जिन कारणों को बताया गया है कि उनकी वजह से खाद्य स्थिति विषम हुई है उनमें से एक मूल कारण यह भी है कि मध्यवर्ती संचयकर्ता लोगों को इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जब यह मध्यवर्ती संचयकर्ता लोग खाद्य समस्या पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं और उनका हम कुछ नहीं कर पाते तब अन्य बातों पर हम क्या कर पायेंगे यह भी ठीक बात है। छापा मार कर जितना अन्न प्राप्त किया गया उसके लिये भी खाद्य मंत्री ने बड़े ताव से उस दिन कहा था कि हाई कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया और हम बेकार हो गये और हमारे हाथ को बांध दिया गया इस जनतंत्र के कारण जनतंत्र के तीन भाग हैं और उनमें सामंजस्य होना ही चाहिये।जो लेजिस्लेशन बनाये वह इस प्रकार का हो कि उसमें खामियों का प्रकोप न हो सके और न्याय करने वाले भाग को भी उसके अनुसार काम करने में सुविधा हो। हमने सदन को न बुलाकर अध्यादेश जारी किये। उन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया और उनको स्टे दे दिया गया? जिस प्रदेश में उन आदमियों को न्याय का संरक्षण मिल जाय जो जनजीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं तब राज्य की परिस्थिति क्या होगी यह बहुत विचारणीय बात है। खाद्य समस्या विकट से विकटतम होती जा रही है जिनके कारण उनको संरक्षण मिल जाय तो वह शोचनीय बात अवश्य है।

कृषि और सिंचाई के प्रबन्ध में भी बहुत सी त्रुटियां हैं। मैं चाहता हूं कि उन त्रुटियों की तरफ जिनकी ओर माननीय सदस्यों ने संकेत किया है उनको दूर करके जन जीवन को उस स्तर पर लाया जाय और उस खुशहाली की तरफ उन को ले जाया जाय जिसकी कल्पना अब तक की जाती है और जिसका हम वादा करते हैं।

एक बात और, हमारी सरकार का प्रबन्ध एक ही कार्य के लिये कई विभागों में बंटा हुआ है। विभागों का कार्य भी इतना सुन्दर है जिसका क्या वर्णन हो। एक विभाग कुछ नियम रखता है और दूसरा कुछ। जिला परिषद् जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रूप में था तब वह एल०-एस० जी० विभाग के अधीन था और अब जिला परिषदें, क्षेत्र परिषदें और ग्राम सभायें सब सामुदायिक विकास विभाग के अधीन हैं। वहां आते ही उनके नियमों में परिवर्तन हो गया है। एल० एस० जी० के कर्मचारियों को ५ परसेंट का अतिरिक्त भत्ता दिया गया। वह क्षेत्रीय परिषद् के मंत्री को नहीं मिला। जिला परिषद् के अध्यापकों को आप भत्ता देते हैं, उनको फ्री फर्निश्ड बंगला देते हैं, लेकिन ब्लाक प्रमुख को उसके स्थान पर क्या प्राप्त होता है। जो लोग एक प्रकार का काम करते हैं उनके साथ एक प्रकार की रियायत होनी चाहिये।

[श्री खेमचन्द]

उद्योग के बारे में बड़ी धांधलीबाजी होती है। शकल पहचान कर कोटा और परमिट मिलता है। किसी जिले में तो एक-एक आदमी को इतना कोटा दे दिया जाता है जो जिले के सम्पूर्ण कोटे के बराबर होता है। उदाहरणस्वरूप हमारे पाठक जी जानते हैं कि मिर्जापुर जिले में एक-एक व्यक्ति को इतना कोटा दे दिया गया है जो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के बराबर होता है। मुरादाबाद ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो फारेन एक्सचेंज में सबसे अधिक कमा कर देता है। अगर उसके उद्योग में उन्नतिशील मशीनें लगाकर और लोगों को प्रशिक्षण की सुविधा कर सकें तो हमें अधिक लाभ हो। दूसरा चमड़े का उद्योग है जो मुख्य उद्योग है। इस कुटीर उद्योग में बहुत से आदमी लगे हुए हैं। इस सरकार के पास कई बार लिखित रूप में और प्रतिनिधिमंडल के रूप में निवेदन किया गया कि इस छोटे कुटीर उद्योग में काम करने वालों के ऊपर बिक्री-कर न लगे और जो लगे तो सिंगिल प्वाइंट टैक्स लगे, लेकिन आज तक उस तरफ ध्यान नहीं है। वह लोग छोटी पूंजी लगा कर भी ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते थे और अपने लिये आत्म निर्भरता कर सकते थे, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। आपके विभाग आज अलग-अलग चल रहे हैं इसीलिये यह परिणाम है। सिंगिल प्वाइंट टैक्स लगाने में आपका नुकसान भी नहीं होता। उस में रिटर्न वहीं का वहीं रहेगा और उनको जीवन निर्वाह करने के लिये रियायत मिल जायगी, लेकिन वह बात सुनी नहीं गयी। उद्योग विभाग में अपव्यय भी बहुत है। उसके डाइरेक्टर साहब हवाई जहाज में सफर करते हैं। मैं समझता हूं कि इंडस्ट्रीज के डाइरेक्टर कभी भी हवाई जहाज से न चले, लेकिन उद्योगपतियों के साथ वह भी हवाई जहाज में चलते हैं और टी० ए० और डी० ए० सरकार पर। मैं झांसी जिले का एक उदाहरण रखता हूं कि तीन महीने के अन्दर तीन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल आफिसर्स बदले गये और चौथे आफिसर पहुंचे हैं पता नहीं वे भी कब तक रहेंगे। यह भी अपव्यय है। और उधर १५ करोड़ का घाटा और उसके लिये टैक्स। अगर संयमित ढंग से सरकार चले तो जनजीवन के साथ खिलवाड़ न हो। अभी हमारे माननीय सुदामा जी कहते थे.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप का समय समाप्त हो गया।

श्री खेमचन्द—

२ मिनट अभी और दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अब समाप्त करें।

श्री त्रेपनसिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस बजट के सामर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस संकटकाल में बजट प्रस्तुत किया है। मुझे इस बजट पर सभी दलों के भाषणों को सुनने का अवसर मिला। पूर्वी, पश्चिमी और उत्तराखंड सभी के बारे में इस बजट में जिक्र है, लेकिन पहाड़ और मैदान के बीच में एक पहाड़ी बेल्ट है कुमायूं डिवीजन का उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। वहां का जनजीवन मुश्किल होता जा रहा है। वहां जो ब्लाक्स का निर्माण हो रहा है उसके लिये श्रीमन्, सीमेंट नहीं मिलता है। तो श्रीमन् मैंने देखा कि किसी चीज को बनाने के लिये अगर सीमेन्ट की आवश्यकता होती है, तो एक सीमेन्ट का कट्टा, जो प्लेन्स में ८, ९ रुपये में मिलता है, वहां पर दूर के क्षेत्रों में २०, २५ और ३० रुपये में मिलता है लेकिन ब्लाकों के लिए जो बजट रखा गया है वह हर ब्लाक के लिए १२॥ लाख रुपए सारे प्रदेश के लिए रखा गया है। पहाड़ी क्षेत्र के लिये वह पर्याप्त नहीं है। उनको बढ़ाना चाहिये और वहां के ब्लाकों के लिये यह धनराशि बढ़नी चाहिये। श्रीमन्, उत्तराखंड के कर्मचारियों को उसके वेतन का सौ प्रतिशत और ३३ प्रतिशत ज्यादा अलावा मंहगाई भत्ता

मिलता है, लेकिन वहां जैसी परिस्थिति में रहने वाले जो नीचे के कर्मचारी हैं उनको जो पहले हिल अलाउन्स मिलता था, उसको बन्द कर दिया गया है। मैं इस बात की सिफारिश करूंगा कि उनको वह हिल अलाउन्स मिलना चाहिये ताकि वे अच्छे ढंग से काम कर सकें।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करूंगा कि वहां पर कोई डाक्टर जाना पसन्द नहीं करता क्योंकि वहां पर लोग इतने गरीब हैं, वहां डाक्टरों की जो अलग से प्रैक्टिस होती है वह चल नहीं सकती। अध्यापक भी वहां जाना पसन्द नहीं करते ; उन को वहां पर कोई सुविधा नहीं है। अन्य कर्मचारियों को भी वहां पर सुविधा नहीं मिलती है, तो मैं निवेदन करूंगा कि उन लोगों के लिये कोई सुविधा होनी चाहिये ताकि वे वहां जाकर अच्छे ढंग से काम करें। इस कारण उनको हिल अलाउन्स जरूर ही मिलना चाहिये।

मैं एक ऐसे जिले से आता हूं जो बदकिस्मती से पिछड़ा है। हिन्दुस्तान में यह जिला सब से पिछड़ा जिला है। टेहरी गढ़वाल में पर कैपिटा (प्रति व्यक्ति आय) आमदनी हिन्दुस्तान में से सब से कम, यानी ८४ रुपये पर कैपिटा प्रतिवर्ष है। श्रीमन्, १५, १६ साल पहले यह जिला एक रियासत के रूप में था। जब यह उत्तर प्रदेश में विलीन हुआ तो उस समय उस रियासत का एक एग्रीमेंट भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और टेहरी गढ़वाल की सरकार के मध्य हुआ था। उस एग्रीमेन्ट के मुताबिक कुछ शर्तें थीं जिनको पूरा करना हमारी सरकार का कर्त्तव्य था लेकिन मैंने यह देखा कि उनमें से बहुत सी शर्तें अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। यह अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि १५, १६ साल पूरे हो गये लेकिन अभी तक भी वह बहुत सी शर्तें उस एग्रीमेंट की पूरी नहीं हुई है। मिसाल के तौर पर एक चीज यह थी कि जितने कमिटमेंट तत्कालीन सरकार के थे वह सारे यू० पी० गवर्नमेंट पूरी करेगी और भारत सरकार पूरी करायेगी लेकिन वह अब भी पूरे नहीं हुये हैं। वहां पर उस समय की असेम्बली ने इस बात का एक प्रस्ताव पास किया था कि वहां पर एक शिक्षा प्रसार ट्रस्ट वहां के लोगों के लिये होगा, क्योंकि वह बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां के बच्चों को तरक्की देने के लिये, उनको शिक्षा देने के लिये एक ट्रस्ट का निर्माण करने की बात उस ने तय की थी लेकिन अभी तक उस ट्रस्ट के बारे में इस बजट में हमने कोई जिक्र नहीं पाया। श्रीमन्, यह भी निश्चय हुआ था कि जिस समय वहां पर पन्त जी गये थे और उन्होंने घोषणा की थी कि इस जिले को दूसरे जिले के समकक्ष लाने के लिये कुछ विशेष सुविधा दी जायगी लेकिन ये सुविधायें आज हमने नहीं देखी और न सुनी कि उनको क्या विशेष सुविधा मिली हैं। अगर मिली होती तो क्या यही परिणाम होता कि सारे भारत में वह जिला पिछड़ा रहता। इसी के साथ यह भी निवेदन करूंगा कि वहां के भूतपूर्व पेन्शन वाले जो कर्मचारी हैं उन को पेन्शन का मंहगाई भत्ता अभी तक नहीं मिलता है जब कि सारे उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को, जो रिटायर हुये हैं, उनको मिलता है क्या उन लोगों को नहीं मिलना चाहिये? मैं निवेदन करूंगा कि मंहगाई आदि उन को जरूर मिलनी चाहिये। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों को अगर आगे बढ़ाना है तो उन के लिये एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाना पड़ेगा। जब तक उन के लिये कोई डवलपमेन्ट बोर्ड नहीं बनता वहां तरक्की नहीं हो पायेगी। आप किसी भी दृष्टि से देखें वहां का जीवन आज बहुत मंहगा हो गया है। मजदूर, ५, ७ रुपये रोज पर भी नहीं मिलता, एक मील सड़क बनाने में लाख, डेढ़ लाख, रुपया खर्च हो जाता है जब कि मैदानी भागों में सड़क ५, ७, १० हजार में बन जाती है। वहां आवागमन के साधन दुर्लभ हैं, गरीबी बेहद है, इसलिये इन तमाम बातों को ध्यान में रख कर वहां के लिये आप को एक पृथक डवलपमेंट बोर्ड बनाना चाहिये। पार्लियामेंट में भी इस प्रकार की चर्चा हुई थी कि हिन्दुस्तान भर के हिली इलाकों के लिए एक अलग से बोर्ड बने। इस तरह की व्यवस्था यहां भी होनी चाहिये।

हमारी ब्योरोक्रेसी का लोगों ने काफी क्रिटीसाइज किया है। मैं तो उसे बधाई देना चाहता हूं। देश में जितने निर्माण कार्य हो रहे हैं उन को वह अच्छे ढंग से कर रहे हैं। वह हमारे देश के ही लोग हैं और इसलिये उन को हर समय कंडम करना मुनासिब नहीं है। यदि एलेक्शन जो कराते हैं की चर्चा की जाय तो आप को मालूम होना चाहिये उसकी मिसाल आज दुनिया में दूसरी नहीं है। लेकिन अगर पार्टी के चुनावों की चर्चा की जाय तो हमारा

[श्री त्रैपनसिंह]

सिर शर्म से झुक जाता है। यह ठीक है कि उनमें खामियां हैं, लेकिन अगर वह अच्छा काम करते हैं तो उनकी सराहना हमको करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ में निवेदन करता हूं कि हम को पहाड़ी जिलों के लिये कोई विशेष व्यवस्था करनी चाहिये और इसका आश्वासन माननीय मंत्री जी के उत्तर भाषण में होना चाहिये।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो एक बात ही कहनी हैं, लेकिन प्रार्थना है कि यदि कम पड़े तो कुछ समय मुझे और दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

बहुत से लोग बोलने वाले हैं, इसलिये मजबूरी है।

श्री भीखा लाल—

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश इस समय बहुत ही गम्भीर स्थिति से गुजर रहा है। जिस समय हम बजट पर विचार कर रहे हैं, उस समय देश और प्रदेश में खाद्यान्न की बहुत कमी है। खाद्यान्न और जिन्दगी की अन्य जरूरियात की चीजें इतनी महंगी हो गयी हैं जितनी कभी कल्पना नहीं की जाती थी। जनता में असंतोष और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है और देश की आर्थिक स्थिति चरमरा रही है और भ्रष्टाचार एक असाध्य रोग बन गया है। जिस समय यह बजट पेश हो रहा है उस समय मुनाफा खोरों जखीरेबाजों और चोर बाजारों ने सरकार के एक-एक आदेश को रद्द कर डाला है और सरकार को कदम-कदम पर अपने हित के झुकाने में सफल हुए हैं। जिस समय यह बजट पेश हो रहा है श्रीमन्, उस समय सरकारी कर्मचारियों ने भी आचार संहिताओं को तोड़ कर सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, किस लिये अपनी जिन्दगी की गारंटी के लिये और जिन्दा रहने लायक वेतन पाने के लिये इस समय हम तृतीय योजना के अंतिम वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं और इस वर्ष इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि इस योजना में जितना धन खर्च होना बाकी रह गया है वह इसी साल में खर्च हो जाय और सारे लक्ष्यों की पूर्ति इसी साल हो जाय। अब सवाल इस बात का उठता है कि क्या यह बजट इस बात का विश्वास दिलाता है कि खाद्यान्न की जो कमी है वह पूरी होगी, जो महंगाई आसमान छू रही है वह गिरायी जायगी, असुरक्षा की भावना जो जनता में पैदा हो रही है, वह कम होगी, सरकारी कर्मचारियों को जिन्दा रहने लायक तनख्वाहें मिलेंगी, योजनाओं पर सही तरीके से खर्च किया जायगा और लक्ष्यों की पूर्ति होगी। उत्तर मिलता है "नहीं"। ऐसा उत्तर इसलिये मिलता है कि हमारा यह बजट कोई नयी दिशा नहीं देता। वही परंपरागत तरीके का बजट आया है, काम करने का ढंग, सोचने की दिशा वही है, वह बदली नहीं। आज उत्पादन बढ़ाने के लिये कौन सा कदम उठाया जा रहा है? वही पुराने तरीके की नीतियां दोहरायी गयी हैं जिनके लिये मैं कहने को मजबूर हूं कि फेल हो चुकी हैं। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से और मंत्रिगण से कहना चाहता हूं कि आज की कृषि व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। और इस के लिये मैं एक ही तरफ इशारा करना चाहता हूं कि आज सरकार इस बात में असफल रही है कि प्रति एकड़ पैदावार बढ़े इसलिये जरूरत इस बात की है कि कृषि का रकबा बढ़ाया जाय। उस के लिये हमारी मांग है कि ऊसर, बंजर और परती जमीनें किसानों में बांटी जायं। खुशी की बात है कि चौधरी चरणसिंह जी सदन में मौजूद हैं और जिन जमीनों का मैं जिक्र करना चाहता हूं वह उन्हीं के विभाग में हैं। जमींदारी विनाश कानून पास होने के बाद सन् १९५३-५४ में प्रदेश की लगभग ११ लाख एकड़ बंजर जमीन जंगल विभाग को ट्रांसफर कर दी गयी क्योंकि सरकार के विचार में प्रदेश में जंगलों की कमी है जिसको वह नये जंगल लगाकर पूरा करना चाहती है। इस रकबे में कितने पर जंगल लगा, इसका पता नहीं, क्योंकि सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन मैं समझता हूं कि शायद ही ५ प्रतिशत रकबे में जंगल लगा

पाये हों । इन जमीनों में तीन प्रकार की भूमि है । एक वह है जिसमें रेह है या कंकरीली-पथरीली और ऊंची-नीची जमीन हैं जिनमें न खेती हो सकती है और न जंगल ही लगाये जा सकते हैं । दूसरी वह जिसमें जंगल लग सकते हैं और कुछ तरक्की करके खेती हो सकती है । तीसरी वह है जिसमें खेती हो सकती है और इस प्रकार की जमीन ४–५ लाख एकड़ से कम न होगी । इन में से काफी एक बड़े भाग पर काश्तकारों का कब्जा भी है हालांकि वह जायज नहीं है, लेकिन उन जमीनों पर काश्त होती है और अन्न पैदा किया जाता है । सरकार के कानून द्वारा उनको अब बेदखल किया जा रहा है और हमारे उन्नाव जिले में इस समय सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं जिन जमीनों से इन काश्तकारों को बेदखल किया जा रहा है उन पर सरकार जंगल भी नहीं लगा पायेगी क्योंकि वे टुकड़ों में है और सरकार की जंगल लगाने की नीति में आ नहीं पायेंगी, लेकिन गल्ला पैदा होने को रोक कर उनको बेदखल किया जा रहा है । और जमीनें परती छोड़ी जायेंगी । यह तरीका खाद्य समस्या को हल करने का नहीं है और विशेष कर इस समय जब प्रदेश में खाद्यान्न की भारी कमी है । इसलिये मेरा खयाल है, और मेरी मांग यह है, कि सरकार को उन जमीनों को जिन पर जंगल विभाग काबिल है, किसानों को बांट दी जायं । उनको सहायता की जाय जिससे पैदावार बढ़ सके ।

दूसरा प्रश्न जिसकी तरफ इशारा करना चाहता हूं वह है इसी जंगल के संबंध में । आज सरकार की नीति जंगल बढ़ाने के संबंध में है और साथ-साथ यह भी है कि बागों के बढ़ाने को भी प्रोत्साहन दिया जाय । सरकार की नीति है कि जिस जमीन पर बाग लग जायं उस जमीन का लगान माफ कर दिया जाय । पिछले चार वर्षों में सरकार ने दो कानून पास किये जिनके द्वारा बाग लगाने को बढ़ावा दिया गया । पहला कानून जमीनों की हदबन्दी का था जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि बाग हदबन्दी से अलग कर दिये जायेंगे । दूसरा कानून वृहत्जोतकर है जिसके अधीन जिस जमीन में बाग लग जावेगा उसका कर माफ हो जावेगा । इसका नतीजा यह हुआ, श्रीमन्, कि सीलिंग से बचने के लिये लोगों ने बाग लगाने शुरू कर दिये । इस संबंध में मैं एक मिसाल देना चाहता हूं जिससे माननीय माल मंत्री जी भलीभांति परिचित हैं बहराइच के सरदार योगेंद्र सिंह जो पार्लियामेंट के मेम्बर भी है, जब हदबन्दी के कानून बनने की घोषणा हो गई तो उन्होंने अपनी जमीन को हदबन्दी से बचाने के लिये दस हजार कलमी पेड़ मलिहाबाद से तुरन्त मंगवाये । यह कलमें कम से कम २५० एकड़ में लगाई गयी होंगी और यह जमीन उनके फार्म की अच्छी से अच्छी जमीन होगी जिस जमीन में खेती हुआ करती थी और अन्न पैदा हुआ करता था । इसी प्रकार प्रदेश में हजारों एकड़ जमीन में बाग लगाये गये और वृहत जोतकर से बचने के लिये निरन्तर लगते जा रहे हैं । इस नीति से तो, श्रीमन्, जमीन का रकबा निरन्तर सिकुड़ता चला जावेगा और अन्न उत्पादन घटता चला जावेगा । आज सरकार इस बात पर तुरन्त ध्यान दे और खेती के रकबे को घटने न दें ।

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

माननीय सदस्य यह कह रहे थे, उपाध्यक्ष महोदय, कि प्रोडक्शन घट गया है । वे पहले यह तो देख लें कि सन् १९५१ में बागों का रकबा कितना था । लेकिन आंकड़ों के आधार पर ये बातें कर रहे हैं ।

श्री भीखालाल—

मेरे पास आंकड़े तो इस समय उपलब्ध नहीं हैं परन्तु मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं । कि बागों का रकबा बढ़ रहा है । मैं मलिहाबाद के पड़ोस में रहता हूं । चौधरी साहब, मलिहाबाद तो उत्तर प्रदेश में कलमों की खान है । वहां से प्रति वर्ष लाखों की तादाद में कलमें बिकती हैं और शायद वह हवा में नहीं लगाई जाती है जमीन पर ही लगती हैं और अच्छी जमीन पर लगती हैं, यह शायद चौधरी साहब जानते होंगे । इस प्रकार खेती की जमीन पर कलमी आमों के लगने से खेती का रकबा तो घटता ही चला जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री भीखालाल—

लाल बत्ती किस वक्त जली, मैंने नहीं देखी ।

श्री उपाध्यक्ष—

लाल बत्ती जली थी, आपका समय समाप्त हो चुका ।

श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)—

श्रीमन्, मैं चार दिन से लगातार खड़ा होता हूं और हर समय प्रार्थना करता हूं कि मुझे भी बोलने का कुछ अवसर दिया जाय और पर आप मुझे इजाजत नहीं देते हैं औरों को आप इजाजत देते चले जा रहे हैं । श्रीमन्, क्या यहां पर भी आई० सी० एस० क्लास कायम हो गया है । बोलने के लिये मुझे भी मौका मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी बात नहीं है, आपको भी बोलने का समय दिया जावेगा ।

श्री विजयशंकर (जिला इटावा)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो घाटे का बजट इस सदन में पेश हुआ है, उस पर लगातार तीन दिन से वाद विवाद हो रहा है । श्रीमन्, मेरा ऐसा विचार है कि यह तो जो घाटे का बजट पेश किया गया है यह प्रदेश की समस्याओं को सुलझाने के लिये ही किया गया है । जब प्रदेश की समस्यायें जटिल हो जाया करती हैं तो घाटे का बजट आना स्वाभाविक है क्योंकि प्रदेश की समस्यायें ही ऐसी हैं । एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से समस्यायें हमारी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं । परन्तु समस्या हमारी जहां की तहां है । अन्न की पैदावार दिन पर दिन घटती जा रही है और सारे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है । विकास खंडों में जब प्रगति रिपोर्ट पढ़ी जाती है तो मालूम पड़ता है कि हमारे प्रदेश का बड़ा विकास हो रहा है किन्तु वस्तु-स्थिति से उसका मिलान करने पर कुछ और ही दशा देखने को मिलती है । आज यह कृषि प्रधान देश अमेरिका और कैनाडा से अनाज की भीख मांग रहा है । यह कोई उचित बात नहीं मालूम पड़ती है कृषि, सहकारिता और सिंचाई इनका तालमेल ऐसा होना चाहिये जैसा दूध और पानी का, लेकिन वह तालमेल ठीक न बैठने के कारण इस प्रदेश की पैदावार न बढ़ रही है और न बढ़ने वाली है ।

दूसरी बात । अगर हम कृषि की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं और देश की हालत को सुधारना चाहते हैं तो शिक्षा में हमें आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा हमारी शिक्षा आज हमारी समस्याओं को उलझाने वाली और उनके हल में बाधक साबित हो रही हैं । इसलिये इन बड़े-बड़े कालेजों और विद्यालयों में उन ऋषियों की वाणी जानी चाहिये जो दया और संतोष का पाठ पढ़ाते थे और एकीकरण की बात करते थे । आज इन विद्यालयों से साहब और मेम तो बहुत निकल रहे हैं परन्तु इसमें से एक भी समाजसेवी और कर्मनिष्ठ जिसको देश के प्रति अनुराग हो और प्रेम हो नहीं निकल रहा है । इसलिये शिक्षा की पद्धति को अगर हम बदल सकें तो देश का बड़ा कल्याण होगा । क्योंकि शिक्षित आदमी ही के हाथ में राष्ट्र के संचालन की बागडोर है, अगर उनकी भावनाओं को हम बदल नहीं सके तो हमें आशा नहीं है कि प्रदेश अपनी समस्याओं को हल कर सकेगा ।

हमारे जिले इटावा की तहसील विधूना इतनी पिछड़ी हुई तहसील है कि जिसकी सारी समस्यायें यातायात की, शिक्षा की और कृषि की जहां की तहां पड़ी हुई हैं । इन पांच वर्षों में अमृत की वर्षा प्रदेश में इस बजट के द्वारा हुई परन्तु हमारी तहसील में कोई भी काम नहीं

हुआ जिसको जनता के सामने हम रख सकें। एक काम जरूर हुआ और वह है मन्ना गोलीकांड जिसमें चार आदमी दो दिन में घरों से बुलाकर और एक मकान में बन्द कर के तीसरे दिन मार डाले गये। यह बड़े अफसोस और दुख की बात है, जिसके लिये मैंने सहकारिता मंत्री, श्री बनारसीदास, से नैनीताल में निवेदन किया, हमने हरगोविन्दसिंह से बड़ी मिन्नत की, माननीय मुख्य मंत्री से भी निवेदन किया, नन्दा जी को पत्र लिखा और लालबहादुर शास्त्री को पत्र लिखा। सबके जवाब तो पहुंचे, लेकिन माननीय गृह मंत्री उत्तर को भी गायब कर गये। आज तक उत्तर ही नहीं दिया। उसकी जांच नहीं करा सके। यह रक्षक दल आज भक्षक बनता जा रहा है। यह है प्रदेश की हालत और कहां हम रामराज्य की कल्पना गांधी जी के साथ में लेकर आये थे कि हिन्दुस्तान में रामराज्य की स्थापना करेंगे। मानवों को गोली मारकर हम पदोन्नति और तरक्की की बात सोचें, क्या यह जनतंत्र के लिये लज्जा की बात नहीं है? मैं जब सोकर जागता हूं तो मेरे दिल में दिमाग में, मन्ना गोलीकांड टीस किया करता है। हम निवेदन करते हैं सरकार से कि उसके लिये सी० आई० डी० की जांच बैठायी जाय और अगर यह मामला सत्य निकले तो उन दोषी आदमियों को दंड दिया जाय जिन्होंने निर्दोष आदमियों की हत्या की है। पहले सोशलिस्ट और प्रजा सोशलिस्ट वालों ने शोरगुल किया था १०-१० हजार आदमियों को इकट्ठा किया था परन्तु बाद में मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि उन लोगों से उनका कुछ सौदा पट गया और सुना है कि थानेदार और डी०एस०पी० से उन्होंने ७ हजार रुपया ले लिये और दोनों पार्टियां चुप हो गयीं। हमारे क्षेत्र में पुलिस पर लोगों का बिलकुल विश्वास नहीं रह गया। पुलिस के प्रति लोगों को वहां बहुत क्षोभ है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार सी०आई० डी० की जांच कराये और वहां के लोगों को तसल्ली दिलाये।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--

उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय माननीय वित्त मंत्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया था, उस समय मैं सदन में उपस्थित नहीं था परन्तु लौट कर आने पर मैंने उनके भाषण को पढ़ा और आज उन्होंने अध्यापकों के बारे में जो वक्तव्य दिया उससे भी उनकी आर्थिक नीति स्पष्ट झलकती है, उसको भी मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। दोनों का प्रभाव जो मेरे ऊपर पड़ा वह यह है कि सरकार न तो पुरानी बातों को भूल सकती है और न कोई नयी बात सीख ही सकती है।

श्रीमन्, तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्ति पर है, लेकिन सरकार स्वयं इस बात को स्वीकार करती है कि कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ा है और न उद्योग धंधों में कोई विशेष प्रगति हुई है, बेरोजगारी बढ़ गयी है और प्रति व्यक्ति आमदनी भी घट गयी है। इतनी सारी बातें होने पर भी वित्त मंत्री जी के भाषण में कहीं इसका कोई संकेत नहीं मिला कि सरकार अपनी असफलताओं पर विचार करने को तैयार हो कि आखिर ये जो बातें हो रही हैं उनके पीछे कारण क्या है। इन पर सरकार को विचार करना चाहिये था।

आज समाज का एक-एक अंग महंगाई से टूट रहा है। मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में अध्यापकों से सहानुभूति प्रकट की और यह स्वीकार किया कि उनका वेतन बढ़ना चाहिये, लेकिन अपनी कमी के कारण वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यही हाल सरकारी कर्मचारियों का भी है। क्या सरकार इन सब बातों के कारणों पर विचार कर रही हैं? बजट भाषण के पढ़ने से कहीं भी इस बात का पता नहीं चलता कि सरकार अपनी इन नीतियों पर किसी प्रकार भी विचार करने को तैयार है। श्रीमन्, इसमें केवल इतना ही कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों में मौसम खराब रहा इसलिये उत्पादन कम हुआ। अब यह कहा गया कि कृषि का चक्कर बदल रहा है और अच्छे दिन लौटने वाले हैं। यदि सब बातें भगवान के ही भरोसे पर हैं, बुरे दिन आये तो भगवान के क्रोध के कारण और अच्छे दिन आयें तो उनकी कृपा के कारण, तो फिर इन योजनाओं को बनाने, टैक्सों को लगाने और ऋणों को लेने का क्या परिणाम है, क्या लाभ है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भानुप्रतापसिंह]

आज वित्त मंत्री ने कहा कि अगर आज हमको कहीं टैक्स से रुपया मिल जाय तो हम अध्यापकों के वेतन को बढ़ा सकते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकार वेतन को बढ़ाने से समस्या का हल हो जायगा। आज चाहे विरोधी पक्ष बिलकुल ही न रहे और सरकार को टैक्स लगाने की छूट मिल जाय और लोगों का वह जितना चाहें वेतन बढ़ा दें, लेकिन अगर देश में कृषि तथा दूसरी चीजों का उत्पादन नहीं बढ़ता तो मैं समझता हूं कि देश के कष्ट को दूर नहीं किया जा सकता। सारी स्थितियों में यही विचाराधारा काम कर रही है कि पूंजी इकट्ठा हो जाने पर सारी कठिनइयां दूर हो जायंगी। यह बात तो सच है कि गरीबी दूर होने के लिये पूंजी का एकत्र होना आवश्यक है कि सीमित पूंजी इस देश में है तो क्या उसका प्रयोग सबसे अच्छे ढंग से सरकारी माध्यम द्वारा ही हो सकता है ? श्रीमन्, मेरा यह विचार है कि यदि टैक्स में कुछ कमी की जाय और जो पूंजी सरकार इकट्ठा करके अपनेउद्योग धंधों में लगावे, उसके बजाय वह पूंजी निजी व्यक्ति ही लगावें तो ज्यादा अच्छे नतीजे निकल सकते हैं उसकी पुष्टि में आपकी अनुमति से मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल पूंजी का ४६ प्रतिशत सरकारी क्षेत्रों में लगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुल पूंजी का ५५ प्रतिशत लगा और तीसरी पंचवर्षीय योजना में ६० प्रतिशत लगने वाला है। परन्तु ज्यों-ज्यों सरकारी क्षेत्रों में लगने वाली पूंजी का प्रतिशत बढ़ता गया त्यों त्यों उसके नतीजे खराब होते गये। पहले योजना में प्रति व्यक्ति २ रुपया व्यय करने पर १ रुपया प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, दूसरी योजना में ३.३५ रुपया प्रति व्यक्ति व्यय करने पर १ रुपया की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई और तीसरी योजना में जो अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन पिछले तीन वर्षों का नतीजा है कि ५ रुपये प्रति व्यक्ति व्यय होने पर १ रुपया प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो पायेगी। तो मेरा निवेदन यह है कि जो यह एक विचारधारा काम कर रही है कि जितना ही टैक्स वसूल किया जाय और उसको सरकारी उद्योग धंधे व व्यापार में लगा दिया जाय, उतना ही जनता का हित होगा और उतनी ही जनता की गरीबी दूर होगी, यह गलत है। क्योंकि पिछले १३ वर्षों के नतीजे स्पष्ट करते हैं कि देश की सीमित पूंजी का जितना ही अधिक से अधिक अंश सरकारी उद्योग व व्यापार में व्यय होता गया, उतना ही उसका नतीजा खराब निकलता गया। यह कोई भारतवर्ष या पूरे देश के लिये ही नहीं बल्कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के लिये भी लागू है।

पहली योजना में १६६ करोड़ रुपये व्यय किये गये और १६५ करोड़ रुपये की राष्ट्रीय आय बढ़ी, दूसरी योजना में २८८ करोड़ रुपये व्यय हुए और केवल १७८ करोड़ रुपए की आमदनी बढ़ी और तीसरी योजना में ५१८ करोड़ रुपये व्यय होने की संभावना है और जो अच्छी से अच्छी आशा करते हैं वह यह है कि २७३ करोड़ रुपये की आय बढ़ेगी। यह तर्क दिया जाता है कि यदि किसी प्रकार से धन एकत्र हो जाय और सरकार के पास काफी रुपया हो जाय तो इस देश की दरिद्रता दूर हो सकती है। लेकिन इन आंकड़ों से स्पष्ट रूप से यह बात साबित हो जाती है कि केवल पूंजी के एकत्र हो जाने से और केवल मनमाने तरीके से टैक्स के एकत्र हो जाने से देश की गरीबी नहीं दूर हो सकती है। उसका सदुपयोग होना चाहिये।

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार द्वारा टैक्स का व्यय करने का तरीका ही इतना दोषपूर्ण है और उसमें इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि इसकी आशा नहीं है कि यदि हम ज्यादा टैक्स देंगे तो उसके नतीजे अच्छे निकलेंगे। आज यह प्रश्न नहीं है कि गरीबी है या अमीरी है। आज तो प्रश्न यह है कि जो टैक्स वसूल किये जायं उनको सरकार सरकारी क्षेत्र में खर्च करे तो उससे अच्छे नतीजे निकल सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा रुपये जनता के पास रह जायं जिनको वह अपना मानकर खुद छोटे बड़े उद्योग धंधों में लगावे तो उससे अच्छे नतीजे निकल सकते हैं जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सकती है या अधिक से अधिक उन्नति हो सकती है। श्रीमन्, यह बात कही जाती है कि नतीजे चाहे जितने भी असन्तोषजनक हों किन्तु राष्ट्रीय उद्योग

व्यापार जनहित में चलाये जाते हैं, इससे जनता का कल्याण होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार इन राष्ट्रीय उद्योगों से जनहित हो रहा है। जहां तक पूरी तस्वीर का सवाल है, १२–१३ सौ करोड़ रुपया राष्ट्रीय उद्यागों पर व्यय हो चुका है और आशा थी कि उस पर साढ़े चार सौ करोड़ का मुनाफा होगा जो दूसरे स्थान पर पूंजी के तौर इस इस्तेमाल होगा, लेकिन वह पूरी नहीं हुई। उसका नतीजा यह निकला कि १२–१३ करोड़ का घाटा होता है और मुनाफा नहीं हुआ। सरकार अपने यह उद्योग एकाधिकार के आधार पर चलाती है, न तो बाहर से सामान आ सकता है और न दूसरा कोई वह सामान बनाने पाता है। लेकिन नतीजे आप देखें कि इनका हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स का कारखाना दवायें बनाता है और दवा, जिस की हर एक गरीब अमीर को जरूरत पड़ती है, ऐसे उद्योग पर लाभ का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिये था, लेकिन एकाधिकार के कारण उस पर भी ३५.५ करोड़ का लाभ लिया गया। रासायनिक खादों के व्यापार में १९६०–६१ में ४० लाख का लाभ सरकार ने कमाया। सिन्द्री के कारखाने से पौने चार करोड़ का लाभ सरकार ने कमाया। विदेशी खादों पर भी सरकार ने ७.४४ करोड़ का लाभ कमाया और इस तरह से एक बोरा खाद पर भारत सरकार ने ८ रुपया ६८ पैसे का लाभ उठाया। जबकि अन्न संकट को दूर करने की अत्यन्त आवश्यकता थी ऐसे समय में भी रासायनिक खाद जैसी चीज पर भी लाभ उठाया गया, यह किसी से छिपी बात नहीं है। ऐसी वस्तुओं पर भी इतना अधिक लाभ भारत सरकार लेती है और दावा करती है कि सारे उद्योग जनहित में चलाये जाते हैं। जो हालत रासायनिक खाद की है वही सीमेंट की भी है जिसके वितरण पर सरकार का अधिकार है। सीमेंट पर भी ३ साल में ११.२४ करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। अगर वह जनता को सुलभ हो जाय तो कितना उसका लाभ और कल्याण हो सकता है, गांवों और शहरों में आसानी से मकान, कुएं बन सकते हैं; लेकिन उस पर भी सरकार ने ११.२४ करोड़ का लाभ उठाया।

एक राज्य व्यापार निगम बना हुआ है। वह भी ऐसी ही चीजों में व्यापार करता है जिन पर सरकार का एकाधिकार है और आप को सुन कर आश्चर्य होगा कि इस निगम ने भी ५१ प्रतिशत का लाभ किया है। राष्ट्रीय उद्योग और व्यापार जिन को कहा जाता है और जिनको जनता के हित में चलाने की बात कही जाती है उसका नतीजा यह है जबकि सरकार एकाधिकार कायम किये हुये है और जनता से पैसा ऐंठने का तरीका बनाये हुये है।

हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि अभी तक उत्तर प्रदेश को और करों की जरूरत है और उन्होंने कर बढ़ाने और लगाने के सम्बन्ध में संकेत भी किया। लेकिन में उनसे जानना चाहता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जब बनी थी तो कितने कर लगाने की बात कही गई थी। इस योजना में केन्द्र द्वारा ११ सौ करोड़ रुपया कर लगाने की बात थी और स्टेट के द्वारा साढ़े ५ सौ करोड़ रुपए के कर लगाने की बात कही गई थी और और इस तरह से पूरे योजना काल में कुल १,६५० करोड़ के कर लगने चाहिये थे, लेकिन अभी तक केवल केन्द्रीय सरकार ने जितने कर लगाये उनकी पांच वर्षों में जो वसूली होगी, अभी से जो लग रहे हैं उनसे ही१,९०० करोड़ रुपए की वसूली हो जायगी केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये टैक्सों द्वारा। तृतीय पंचवर्षीय योजना के पहले ३ वर्षों में अगर वह ५१ करोड़ रुपया वसूल हो जायगा जो कि पूरी १,६५० से कहीं ज्यादा है और फिर हमारे वित्त मंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में और टैक्स लगना चाहिये। टैक्स देने वाले वे ही लोग है, चाहे केन्द्रीय सरकार वसूल करे चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार वसूल करे। केन्द्रीय सरकार ने आगे बढ़कर इतना भारी टैक्स लगा दिया है और वह भी किसानों पर जिन पर अब हमारी प्रदेश की सरकार भी दांत पीस रही है।

श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी ने कुछ यह भी संकेत दिया कि किसानों पर ही शायद टैक्स पड़ेगा और उसके लिए उन्होंने यह दलील दी है कि चूंकि सरकार ने आश्वासन दे दिया है कि गल्ले का भाव अच्छा रहेगा, किसानों को अच्छी आमदनी होगी, इसलिए उनसे कुछ ज्यादा टैक्स के रूप में वसूल लेना उचित बात होगी। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बावजूद इसके कि हमारे वित्त मंत्री शिक्षा मंत्री भी हैं लेकिन ऐसा मालूम

[श्री भानुप्रताप सिंह]

पड़ता है कि उनकी गणित बहुत कमजोर है। उनको शायद मालूम नहीं कि बड़ी से बड़ी संख्या यदि शून्य से गुणा कर दी जाय तो शून्य ही नतीजा निकलता है। इस प्रदेश की बहुत बड़ी मैजारिटी में अधिकांश किसानों के पास अपने पारिवारिक खर्चे से अधिक गल्ला पैदा नहीं होता है। और जिन किसानों के पास है उनमें से भी आधे से ज्यादा ऐसे किसान हैं जिनको ऊंचे मूल्य का कोई भी लाभ नहीं मिल सकता है। जिन मूल्यों पर इतनी बड़ी तैयारी कर ली है वे मूल्य हैं कौन से जिनसे उन किसानों को टैक्स के लिए उपयोगी समझा जाता है ? चीजों का जो मूल्य-स्तर है उसकी तुलना में जो सरकार ने खरीद के गल्ले का किया है वह केवल ७० प्रतिशत है। तो यह ७० प्रतिशत पिछले १२-१३ वर्षों में किसानों के लिए इससे अहितकर मूल्यों का सम्बन्ध कुछ नहीं रहा है जिसको सरकार ने अपने कानून से निश्चय किया है।

श्रीमन्, वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में यह भी कहा है कि कृषि को हम प्राथमिकता देते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्राथमिकता केवल शब्दों से नहीं, सहानुभूति केवल शब्दों से नहीं आंकी जा सकती है। जो रुपया कृषि पर खर्च होगा, गांवों में खर्च होगा, उसकी तुलना यदि उद्योग धंधों पर खर्च होने वाले रुपये से की जाय तो सही अनुमान होगा। कृषि पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में १,९०० करोड़ रुपया रखा गया जबकि उद्योग पर १,८९५ करोड़ खर्च होगा और चौथी पंचवर्षीय योजना में भी खेती पर २,४०० करोड़ रुपया जब खर्च होगा तब उद्योग में ३,६५० करोड़ रुपया खर्च होगा। यह है हमारी कृषि की प्राथमिकता। कहते हैं कि हम तो कृषि को सबसे आगे रखना चाहते हैं, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो उद्योग को अधिक दे दिया जाता है जबकि उनसे केवल १० प्रतिशत ही रोजी मिलती है। फिर भी कृषि के ऊपर खर्चा करने के लिए अधिक रुपया नहीं दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि पर केवल ४०० करोड़ रुपये खर्च होंगे जब कि बिजली उत्पादन पर ४५० करोड़ रुपये खर्च होंगे और ५ परसेंट बिजली किसानों को दे कर यह कहा जाता है कि किसानों के लिये बिजली पैदा की जा रही है। मैं बिजली का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जिस प्रकार से ट्यूबवेल आपने बनाये और उनमें धन लगता चला गया, लेकिन उनसे अपने घाटा उठाया उसी प्रकार मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि बिजली पर इस प्रकार से व्यय हुआ तो यह भी एक घाटे का कारण बनेगा। किसानों को तो उनमें बहुत थोड़े अंश में ही बिजली मिलेगी, दूसरों को ही अधिक लाभ होगा; ऐसी हालात में आप यह कहिये कि बिजली उत्पादन को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गयी है, कृषि को नहीं।

राज्य सरकार और राज्य कर्मचारियों की भी एक समस्या है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस सरकार का अपने कर्मचारियों के साथ वही रवैया है जो किसी जमाने में सामन्तों का था अपने कर्मचारियों के प्रति। मैं एक छोटी सी कहानी सुना दूं। कुछ दिनों पहले मैं एक रईस के घर गया। उन्होंने बड़ी आवभगत की। उनके नौकर तो बहुत थे, लेकिन जिस बर्तन में चीनी लगनी चाहिये थी उसमें वे दूध ले आये और दूध वाले बर्तन में चीनी ले आये। कहने का मतलब यह है कि उनको कुछ नहीं आता था कि किस तरह से काम किया जाता है। वही हालत हमारी सरकार के कर्मचारियों की भी है। कर्मचारियों की संख्या तो बढ़ती चली जाती है परन्तु उनकी योग्यता की ओर कोई ध्यान नहीं है। मैंने उन रईस साहब से कहा भी कि इतने नौकर आपने क्यों रख रखे हैं आज कल के जमाने में। उनका कहना था कि कुछ लेता देता थोड़े ही हूं। दो, चार रुपये दे देता हूं। इसी में काम चल जाता है। इस सरकार ने भी यही कर रखा है कि लेना देना कुछ नहीं, जो आया उसी को भरती कर लिया। थोड़े दिन बाद उन कर्मचारियों से कोठी के बाहर मैंने बातचीत की कि कैसे दो चार रुपये में तुम्हारा काम चलता है। उनका कहना था कि दो, चार न भी मिलें तो भी हम काम कर लें क्योंकि बहुत ज्यादा आमदनी हो जाती है। वही हालत सरकारी कर्मचारियों की है। इस सरकार का जो यह सामान्तवादी रवैया अपने कर्मचारियों के प्रति है वह अगर नहीं बदला जाता है तो समस्या का हल नहीं हो सकता है।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री ने कहा कि वह मितव्ययिता का बड़ा ध्यान रखते हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह बतला दूं कि यह जो उच्च स्तरीय समिति बनी हुई है उसका मैं भी सदस्य बना दिया गया था और मेम्बर बनते समय मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि कुछ अवसर मिलेगा इस सरकार को ठोस सुझाव देने का परन्तु पिछले एक साल के अन्दर उसकी एक भी बैठक नहीं हुई। जब १९६२ के अन्त में चीनियों का आक्रमण हुआ था तो उस समय शायद एक बैठक बुला ली गयी थी, उसके बाद आज तक उस समिति की कोई मीटिंग नहीं हुई। श्रीमन्, अन्त में मैं केवल एक क्षेत्रीय मांग पेश करना चाहता हूं और वह भी अपने क्षेत्र की नहीं। मैं इसमें कभी विश्वास नहीं करता कि प्रदेश के दूसरे इलाकों से मेरे क्षेत्र को अधिक सुविधा मिले। यह तो मंत्रियों को ही शोभा देता है कि तरह-तरह के नाम लेकर तथा विशेष प्रोग्राम बना कर या कमीशन बुला कर अपने क्षेत्र में लोकप्रियता बना कर विशेष कार्यक्रम चलाया करते हैं। यह उनकी प्रवृत्ति है, लेकिन अनुचित है और इस प्रकार की बातें होती हैं कि कहीं पर कैश प्रोग्राम चलता है, कहीं पर इंटेंसिव डेवलपमेंट होता है। किसी सिद्धान्त पर क्षेत्र नहीं चुने जाते हैं बल्कि मंत्रियों की जहां इच्छा होती है वहां चुने जाते हैं। अलीगढ़ में इंटेंसिव प्रोग्राम लिया गया जो बिलकुल अनुपयुक्त जगह थी। वहां के एक अधिकारी ने मुझे बताया कि वहां पर वाटर लागिंग होता है इसलिये उस जगह को नहीं लेना चाहिये था। लेकिन वह उस समय के कृषि मंत्री का जिला था इसलिये छांटा गया। मैं विस्तार से इस पर नहीं जाना चाहता हूं।

श्री बनारसीदास—

वे चारों जिले कौन मंत्री के हैं ?

श्री भानुप्रतापसिंह—

चार जिलों को छोड़ दीजिये। मैं तो केवल अलीगढ़ का जिक्र कर रहा हूं। मैं ऐसे क्षेत्र की मांग करता हूं जहां मैं किसी कार्य से गया था और वह गाजीपुर में शेरपुर गांव है। उसकी आबादी १८-२० हजार के करीब है और पक्की सड़क से केवल तीन मील दूर है। एक तो आबादी को देखते हुए यों ही उस गांव को पक्की सड़क मिले यह सरकार का फर्ज है, लेकिन अगर उस गांव का हक न भी हो तो भी उस गांव के ८ नवयुवकों ने पुलिस की गोली से १९४२ में अपनी जान गंवाई। जिस गांव के ८ नवयुवक शहीद हुये हैं उसमें स्वतंत्रता के १७ वर्ष पश्चात् भी पक्की सड़क तीन मील की नहीं बन पाई तो यहां के बैठने वालों के लिये यह बड़ी शर्म की बात है। चाहे कहीं का भी काम बन्द करना पड़े, लेकिन इस गांव को पक्की सड़क से मिलाया जाय। यह सरकार का उन शहीदों के प्रति प्रथम कर्त्तव्य है जिन्होंने अपनी जानें गंवाईं। उन शहीदों में से एक का पिता मेरे पास आया और उसने आंसू भर कर कहा कि हमारी कुर्बानी का यह भी नतीजा नहीं निकला कि तीन मील की पक्की सड़क बन सके। सरकार जरूर इसे बनवा दे।

*श्री बनारसीदास—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट की विभिन्न दृष्टिकोणों से आलोचना की गई है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यह नीरस है, कुछ ने कहा कि इसमें समाजवाद की रूपरेखा नजर नहीं आती है, कुछ ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी को सुदृढ़ बनाने वाला है, कुछ ने कहा कि यह एक टेक्नीक बन गई है कि डेफीसिट बजट पेश किया जाता है जो अन्त में सरप्लस में बदल जाता है और नये टैक्स लगाने का एक औचित्य बनाया जाता है। यह भी कहा गया है कि प्रदेश के अन्दर अधःपतन बढ़ता चला जाता है और सरकार खाद्य-नीति के नियंत्रण करने में असफल रही है। सुझाव के तौर पर एक माननीय नेता ने कहा कि उसका एक मात्र इलाज यदि कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसीदास]

हो सकता है तो स्ट्रेट ट्रेडिंग है और साथ ही साथ कहा जाता है कि खाद्य समस्या के बिगड़ने का कारण है सरकार की तरफ से नियंत्रण। उनका कहना है कि तरह-तरह के जो नियंत्रण सरकार की ओर से खाद्य सामग्री तथा व्यापारियों पर लगाये गये उसके कारण खाद्य समस्या बिगड़ी। तो इन तमाम दृष्टिकोणों से सरकार की आलोचना की गई है। श्रीमन्, आज हमारे प्रदेश में शासन का तन्त्र ढीला हुआ है या ब्यूरोक्रेसी ज्यादा मजबूत हुई है, गवर्नमेंट की क्षमता कम हुई है आदि-आदि बाते कहा जाती हैं। आखिर इसको देखने के लिये कोई पैमाना होना चाहिये कि जो कार्य हमने लिया है उसको पूरा करने में हम कहां तक सफल हुए हैं। यह बजट कोई क्रान्ति नहीं ला सकता। नियोजन में ५ वर्ष के लिये योजना बनाई जाती है और सभी वर्षों की सफलताओं को मिलाकर उसको देखा जाना चाहिये। तीसरी योजना का यह अन्तिम वर्ष है। तो योजना के शुरु में ही हमें देखना होता है कि ५ साल की क्या हमारी आमदनी होगी, कितना कृषि पर हमारा खर्च होगा, कितना सिंचाई पर रुपया हमको व्यय करना पड़ेगा, केन्द्र से हमें कितना मिलेगा, कितना धन अन्य पर खर्च करेंगे इसका विस्तार के साथ विवरण बनाना पड़ता है। इन्हीं सब के हिसाब से हम प्रत्येक वर्ष बजट रखते जाते है और हर साल थोड़ी सी तदीली हो जाती है नान प्लान्ड आइटम्स के लिये और साथ ही जो परिस्थिति पैदा होती हैं उनको देखने के लिये।

अभी उस दिन हमारे एक मित्र कह रहे थे और उन्होंने एक पैमाना पेश किया। उन्होंने कहा कि यह गवर्नमेंट अयोग्य है, जितना धन उसे विभिन्न योजनाओं पर खर्च करने के लिये दिया जाता है, उसे भी खर्च नहीं कर पाती है और सरकार का घाटे का बजट सरप्लस हो जाता है। पता नहीं वह माननीय सदस्य कहां के आंकड़े ले आये। उन्होंने कहा पहली योजना में ७५ की और दूसरी योजना में ९१ करोड़ की बचत हुई और तीसरी योजना में भी उन्होंने शंका प्रकट की। पहली योजना के लिये ८६ करोड़ रुपया था, लेकिन बाद में बढ़ कर १५३ करोड़ हो गया और पहली योजना में शत प्रतिशत खर्च किया गया।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में जरूर टारगेट से कुछ कम खर्च हुआ जिसका कारण है कि स्वेज कैनाल की क्राइसेज की वजह से उस वक्त एक्सचेन्ज की समस्या पैदा हुई, साथ में मेटरियल न मिलने की भी समस्या हुई और केन्द्रीय सरकार ने भी योजनाओं में कुछ कटौती की। क्योंकि उन्होंने हमें रुपया कम दिया, लेकिन योजना का जो अन्तिम साल था, १९५९–६०, उसमें हमने १०० फीसदी योजना की पूर्ति की।

तीसरी योजना पर व्यय करने के लिये टारगेट ५०२ करोड़ रुपये का है, जिसमें से २४५ करोड़ ६३ लाख रुपया अब तक व्यय किया गया है, वर्ष १९६४–६५ में १३२ करोड़ व्यय होगा और इस वर्ष हमने १४१ करोड़ रुपये की धनराशि का इसके लिये प्राविजन किया है। तो इस साल के कुल मिलाकर ५१८ करोड़ रुपया होता है, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये दिये गये हमारे टारगेट से १६ करोड़ यों ही अधिक है। इसके अतिरिक्त हमने १४ करोड़ रुपये की और व्यवस्था की है, यदि केन्द्रीय सरकार से मिल सका। इसका मतलब यह है कि ५०२ करोड़ का प्राविधान करके हम करीब ५३२ करोड़ रुपया इस तृतीय योजना में व्यय करने का इरादा रखते हैं। तो क्या यह हमारी ब्योरोक्रेसी का नमूना है? क्या ब्यूरोक्रेसी हम पर हावी हो रही है?

अभी हमारे मित्र भानुप्रतापसिंह ने एक किस्सा कहा, उन्होंने एक रईस की बात बताई और उस रईस की तुलना सरकार से की। पता नहीं इतना देखते हुये भी इस तरह की क्यों बात करते हैं मैं धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता उन लोगों को जिन्होंने तत्परता और निष्ठा के साथ काम किया और तृतीय पंचवर्षीय योजना के टारगेट को पूर्ण करने की कोशिश की। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि हम तो डेफिसिट बजट बनाते है। वर्ष १९६३–६४ के अन्त में १ करोड़ २२ लाख रुपये के घाटे के बजाय बाद में मालूम हुआ कि उसमें ११ करोड़ ३४ लाख की बचत हो गई। हमारे फाइनेन्स विभाग न तो इस्टीमेट जानता है और न उसको कोई इकोनामी का अंदाजा है।

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो नियोजित इकोनामी होती है, नियोजित इकोनामी में आगे क्या टैक्सेज होंगे, किस तरह आय उसकी होगी, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन, श्रीमन्, नान-प्लान्ड आइटम के अन्दर अगर हम कमी करते हैं तो यह हमारी अयोग्यता का परिचायक है। १९६३–६४ के अन्दर हमारा साढ़े ४ करोड़ का व्यय सुरक्षा में हुआ। क्या इसके लिए सदन को कोई क्रेडिट नहीं देना चाहिए कि जो हमने धनराशि मांगी थी, एक नान आइटम जो कि प्रोडक्टिव नहीं था, उसके अन्दर बचत किया ? श्रीमन्, हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी कैसे अन्दाजा लगा सकता था कि ४०२ लाख रुपया सेन्टर से कैसे मिल जायगा। जहां तक बजट के अनुमान का सवाल है केवल १९६३–६४ के अन्दर १ करोड़ ४० लाख अन्तर रहा, तो इसका इस्टीमेट जैसा शब्द ही नहीं होना चाहिए और इस्टीमेट, बजट इस्टीमेट न कह कर एक लेखा-जोखा कहना चाहिए। आप देखते हैं श्रीमन्, यदि हमारे वर्किंग ने अध्यक्षों का ठीक नियंत्रण किया तो ब्याज के अन्दर ६२० लाख रु० २५० लाख रु०, १२० लाख रु० और सिंचाई के जरिये, १८७ लाख रुपया वन के द्वारा और ७५ लाख रु० मुतफरिक और ६९ लाख रुपया बिजली के द्वारा तो क्या हम समझते हैं कि यह फाइनेन्स सेक्रेटरी का फंड था, जिसका नतीजा यह हुआ कि जितनी हमारी कर की आइटम्स नहीं थी, उनमें ६८२ लाख रु० का लाभ होगा ? तो इस्टीमेट के लिये यह कहना कि हम तो एक औचित्य बनाते हैं, अगर हम सेविंग करते हैं, अपने विभागों का संचालन करते हैं तो, श्रीमन्, यह दलील अपने से समझने के लिए असमर्थ हूं।

अब आप देखते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर यह वादा किया था कि हम कुल मिला कर १०९ लाख रु० कर के द्वारा और ३८ करोड़ रुपया हम पूंजी के द्वारा प्राप्त करेंगे। माननीय भानुप्रताप सिंह जी जब बोल रहे थे तो ऐसा मालूम पड़ता था कि उनकी दृष्टि अधिक केन्द्रीय गवर्नमेंट की तरफ थी, मैं तो सीमित रखना चाहता था, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अन्दर तक। यह स्वतंत्र पार्टी की क्या फिलासफी है ? जो उन्होंने आंकड़े पेश किये, पब्लिक सेक्टर के अन्दर कितना धन लगाया। माननीय भानुप्रतापसिंह जी भूल जाते हैं कि जो एक्सपेंडीचर किया जाया करता है, एक बेसिक इक्सपेंडीचर है, मान लीजिये लोहे के ऊपर है तो उस पर इजी टिर्न की आशा करना नामुमकिन है। श्रीमन्, जैसे एक कोल माइन्स है, जिस प्रकार से बड़े-बड़े बांधों का बनना है, रेलवे लाइन्स को निकालना है तो यह कहना कि चूंकि हमने पब्लिक सेक्टर में लगाया, कन्जुयमर गुड्स फैक्टरी में आज लगाया तो वह तो कल को फायदा देती हैं। देवरिया के जिले में कोई गवर्नमेंट ने एक शुगर फैक्टरी को अपने अधिकार में लिया तो क्या उसका किसी प्राइवेट फैक्टरी से प्राफिट कम है ? हमारी चुर्क सीमेंट फैक्टरी से ६८२ लाख रुपया, उसमें जितना अन्दाजा किये थे उसका मुनाफा हुआ। तो यह कहना कि हम घाटे का बजट पेश करते हैं, केवल औचित्य के लिये १९६४–६५ का बजट देखिये उसमें २२३ करोड़ ८४ लाख रुपये की आय का अन्दाजा था। अब केवल जो पुनरीक्षित बजट है वह २२५ करोड़ रुपये का निकलता है। इसमें केवल १, २ करोड़ रुपये का फर्क हुआ। खर्चा २३५ करोड़ ४३ लाख का था, लेकिन रिवाइज्ड २३१ करोड़ का है। तो यह घाटा ११ करोड़ का था जो करीब-करीब ६ करोड़ रहा। इसलिये जहां पर एक्सपेंडिंग इकोनामी है उसमें इतना अन्तर रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं पाई जा रही है।

इस बार यह कहा गया कि हमने घाटे का बजट पेश किया, लेकिन आप इस पर विचार करें कि इस मर्तबा जो हम खर्चा करने जा रहे हैं उसमें पहले से कितना अन्तर है। सन् १९६४–६५ में इसके लिये केवल ४४ करोड़ रुपया रखा गया था जिसमें २३ करोड़ ४१ लाख स्टेट शेयर था। हमने १० करोड़ ज्यादा टारगेट रखा है। इस मर्तबा ५४ करोड़ ४८ लाख रुपया है जिसमें राज्य का शेयर ३० करोड़ ४१ लाख रखा गया है जिसमें ७ करोड़ रुपया स्टेट ज्यादा खर्च करेगी। साथ ही वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि जो पे कमीशन बिठाया है उसके मुताबिक भी बजट पर भार आने वाला है। २ करोड़ शिक्षकों के लिये और ११ करोड़ ५० लाख दूसरे सरकारी कर्मचारियों पर, तो यह १३ करोड़ पे के अन्दर बढ़ेगा। इसमें ७ करोड़ रुपया हम अपने रिसोर्सेज से खर्च करेंगे तीसरी प्लान में

[श्री बनारसीदास]

स्टेट के शेयर के तौर पर। इसलिये आप देखेंगे कि २० करोड़ रुपये की यह जो मद है इसमें १३ करोड़ तनख्वाहों की वजह से और ७ करोड़ दूसरा यह जो हमारे ४ साल थे उसके मुकाबले में ज्यादा खर्चा हम यह करेंगे। इसमें करीब-करीब १५ करोड़ रुपये का घाटा होता है; तो यह क्या आश्चर्य की बात है ? इसमें अपने देखा कि २० करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझा पड़ने जा रहा है फिर भी हमारा डफिसिट १५ करोड़ से अधिक नहीं होगा। श्रीमन्, आप पहले सालों के अन्दर देखें कि क्या हमने कर लगाया था और किस तरीके से हम लोग चले। १९५६-५७ में सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने २ करोड़ ४८ लाख दिया और हमने २ करोड़ ९५ लाख के अन्दर नियोजन किया, लेकिन हमने खर्च किया १० करोड़ करीब-करीब जितना हम टैक्स लगाना चाहते थे और जो सेन्टर ने दिया उससे दुगुना खर्च किया यानी जो पुरानी आमदनी थी जो आमदनी हुई वह हमने किया। इसी प्रकार दूसरे साल के अन्दर केन्द्र का और नये टैक्स का मिलाकर कुल १० करोड़ होता था, लेकिन हमने १२ करोड़ खर्चा किया। १९६०-६१ के अन्दर हमने क्या खर्च किया। सेन्टर और हमारे नये टैक्स का दोनों को मिलाकर अनुमान १६ करोड़ होता था और हमने खर्च किया २३ करोड़। इस अन्तिम साल में हमने ७ करोड़ की इकोनामी करने की वजह से प्लान किया। अब १९६१-६२ के अन्दर केन्द्र से हमको ११ करोड़ ६६ लाख की सहायता मिली और जो अतिरिक्त धनराशि मिली वह ४ करोड़ ६६ लाख की मिली और हमारे पास १६ करोड़ ३२ लाख की थी तो अब कुल खर्चा जो हमने किया है वह २२ करोड़ ८३ लाख किया है, लेकिन १९६२-६३ के अन्दर हमको करीब २० करोड़ ३१ लाख मिला और हमने खर्चा किया ३१ करोड़। इसी तरह से १९६३-६४ में जो कुल धनराशि हमको मिली है वह १७ करोड़ मिली है केन्द्र से और नये टैक्स से, लेकिन हमने ३४ करोड़ खर्च किया। तो इस तरह से देखने पर यह मालूम होता है कि विभागों ने अच्छा काम किया है और उनके अच्छे कार्य को जांचने का इससे अच्छा और क्या पैमाना हो सकता है ? इस तरह से आप देखें कि हमने कर लगाया तो कहां पर बचत की जैसा कि बतलाया १०९ करोड़ का कुल था, लेकिन ७८ करोड़ हमने रखा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ४४ करोड़ इसमें हमने मन्जूर किया, २३ करोड़ के कर लगाये तो हमने जो कमिट किया इसके लिये कौन से कर लगाये ?

आप यह गौर करें यह जो प्रदेश है उसके लिये कहा जाता है और बार-बार कहा जाता है कि यह बहुत पीछे है श्रीमन्, हमारी इकोनामी आगे बढ़ने नहीं पाती है। तो आप इसके अन्दर गौर करें। सबसे पहला कारण आता है कि पहली प्लान के अन्दर पर कपिटा हमारा खर्च २४ रुपया हुआ तो तमाम हिन्दुस्तान का वह ४० था। दूसरी योजना के अन्दर पर कैपिटा ३४ रुपया थी और हिन्दुस्तान की ५२ आती है। तीसरी योजना के अन्दर यू० पी० की पर कैपिटा इनकम ६८ थी तो तमाम हिन्दुस्तान की ९० रु० है। इसी प्रकार से जो इनवेस्टमेन्ट हुआ जो कि पहली और दूसरी योजना के अन्दर ७२४ करोड़ रुपया खर्चा हुआ, तीसरी योजना के अन्दर ७५० करोड़ होगा, यह तमाम हिन्दुस्तान के खर्चे का ८.१ और १०.६ आता है। इसके अलावा हमारे प्रदेश की डेन्सिटी प्रति वर्ग मील ६५० है जो तमाम हिन्दुस्तान की मिलाकर ६५० वर्ग मील होती है और पूर्वी जिलों के अन्दर जो आबादी का घनत्व है वह ८५० प्रति वर्ग मील का होता है। तो इस बजट के अन्दर यह आशा करना कि सोशलिज्म का कोई स्थान नहीं, सोशलिज्म का कोई राजमार्ग नहीं बनाया जावेगा। सोशलिज्म की तस्वीर को सिनेमा के द्वारा नहीं दिखाया जा सकता। सोशलिज्म को एक क्लासिक नहीं बनाया जा सकता। बजट क्या है ? बजट तो एक माईल-स्टोन है। बजट तो एक प्रयत्न है। हम समाजवाद समाज से लाना चाहते हैं।

बराबर यह कहना कि हम तो कृषि की उपेक्षा कर रहे हैं, सही नहीं है। जहां तक कृषि का सवाल है, श्रीमान् आप देखेंगे कि हमारे प्रदेश के अन्दर सन् १९६०-६१ में १४४ लाख ८६ हजार टन अन्न पैदा हुआ, लेकिन, श्रीमन् एरिया हमारे प्रदेश में उस वक्त कोई ज्यादा नहीं

था। फिर १९६१–६२ में १८३ लाख ४३ हजार हेक्टर्स में १४४ लाख ७२ हजार टन हुआ। १९६२–६३ के अन्दर भी उसका एरिया जो होता है वह १८६ लाख ८३ हजार हेक्टर्स हुआ, लेकिन उत्पादन १४१ लाख टन ही रह गया और बाद में वह भी गिर करके १३५ लाख टन ही रह गया। हमारा १९६० ६१ पीक ईयर था। इसका मतलब यह हुआ कि ९ लाख टन ज्यादा गिर गया और यह जो हमारा साल १९६३–६४ का था इसमें ३० लाख टन अनाज कम पैदा हुआ। तो यह कहना कि इन्द्र पर हमारा अधिकार नहीं रहा यह कहना कि ठंडी हवायें चली उन पर हमारा अधिकार नहीं, तो हम अपनी असमर्थता मानते हैं।

श्री भानुप्रतापसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी योजना के अन्दर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे ?

श्री बनारसीदास—

यह हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। हम अपनी ओर से पूर्ण प्रयत्न करते हैं और करते रहेंगे। शेष बातें दैव पर निर्भर करती हैं। दैव विपरीत होता है तो हवायें विपरीत हो जाती हैं। अगर मार्च के अन्दर मौसम की खराबी से गेंहूं का दाना पतला पड़ गया दैव विधान से तो हम कैसे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे ? तो श्रीमान्, इसमें बहस में जाने की जरूरत नहीं। जिस नेशनल आमदनी के अन्दर कृषि आमदनी का परसेंटेज ज्यादा होता है वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम कम होती है। आज हमारे प्रदेश के सामने एक और भी समस्या है कि जहां एक लाख व्यक्ति पीछे तमाम हिन्दुस्तान के अन्दर ८०५ आदमी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वहां दुर्भाग्य से हमारे प्रदेश में केवल ३६८ व्यक्ति एक लाख आदमियों में से फैक्ट्रीज में काम करते हैं। हम लोगों से ढाई गुना ज्यादा और जगह वर्कर्स फैक्ट्रीज के हैं। तो क्या हम इस प्रदेश के अन्दर यह प्रयत्न न करें कि खेती पर के भार को हटायें और इन्डस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम ज्यादा से ज्यादा भार को ले जाने की कोशिश करें ? जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक यह भार खेती पर से कम नहीं हो सकता। यह कहा गया कि बिजली हमने ज्यादा लगायी है। भानुप्रताप जी ने कहा कि मैं आंकड़े से बताऊं कि कितने परसेंटेज हम कृषकों को देंगे। श्रीमन्, आपने देखा कि ३ हजार गांवों में बिजली पहुंची और अगली योजना के अन्दर १६ हजार गांवों में बिजली पहुंचेगी। ट्यूबवेल्स के लिये कहा जाता था कि हम ट्यूबवेल लगाते हैं उससे नुकसान होता है। व्यक्तिगत लोगों को दिया जाय तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्यूबवेल के कनेक्शन दिये गए। यदि हम गांवों के अन्दर बिजली ले जाने की बात करते हैं तो कहा जाता है कि विद्युत पर हमारा खर्चा ज्यादा है। मैं तो यह समझता हूं, जैसा कि लेनिन ने कहा था, कि एलेक्ट्रिसिटी और सोवियटाइजेशन मिलकर के कम्यूनिज्म होता है, लेकिन हमारे देश के अन्दर सोशलिज्म लाने के लिये मैं चार चीजें जरूरी समझता हूं, लोहे का उत्पादन ज्यादा होना चाहिये, कोयले का उत्पादन ज्यादा होना चाहिये, यातायात के साधनों का विकास होना चाहिये और गांव गांव के अन्दर बिजली पहुंचनी चाहिये। यदि बिजली, यातायात के साधन और कोयले तथा लोहे की कमी प्रदेश के अन्दर न रहे तो आप जिसको रामराज्य कहते हैं, उत्पादन का बढ़ना कहते हैं या गरीबी का मिटना कहते हैं, यह सारी चीजें प्रदेश के अन्दर उपलब्ध हो जायंगी। जिस तरह से हमने राजनीतिक आजादी की लड़ाई लड़ी उसी तरह से आर्थिक आजादी के लिये प्रयत्न करना पड़ेगा। आर्थिक आजादी के लिये अगर हम यह समझें कि केवल हमारे राजनीतिक नारों से या चुनावों से हमारी समस्या का हल हो जायगा तो यह सम्भव नहीं है। संसार का अनुभव और उन मुल्कों का अनुभव जहां कि समाजवाद का प्रसार हुआ है, जहां की इकोनामी सोशलिज्म के ऊपर बेस हुई है, वह इसके खिलाफ साक्षी देता है। बार-बार कहना कि हम कृषि की नीति में विफल रहे हैं, मैं कहता हूं कि हमारी नीति तो विफल रही है, लेकिन सोवियट रशा आज कितने दिन से काम कर रहा है और कितनी कम उसकी पापुलेशन है, लेकिन क्या वह स्वावलम्बी है, क्या चाइना स्वावलम्बी है, क्या दुनियां के और मुल्क

[श्री बनारसीदास]

स्वावलम्बी हैं ? हमारे देश की आजादी का ३६ करोड़ से बढ़कर ४७ करोड़ हो जाना, उत्तर प्रदेश के अन्दर हर साल आबादी में १८ लाख की वृद्धि होना और इस पर भी यह कहना कि उत्तर प्रदेश तरक्की नहीं कर रहा है, जबकि आप देखें कि १९६०–६१ के अन्दर हमारी आय १,७७० करोड़ थी तो २४० रुपया पर कैपिटा आमदनी थी, इसमें बढ़ती हुई आबादी भी शामिल थी और १९६५–६६ में यह आमदनी २०४३ करोड़ हो जायगी, ठीक है जैसा कि माननीय भानुप्रताप सिंह ने कहा, इसके अन्दर ३०० करोड़ का इजाफा होगा तो यह पर कैपिटा इनकम २४० करोड़ से बढ़कर २५५ हो जायगी। मैं मानता हूं कि बहुत कम है, लेकिन जिस हिसाब से आबादी बढ़ी है, जितनी हमारी कृषि प्रधान इकोनामी है जो कि बहुत कुछ हद तक नेचर पर डिपेंड करती है, उसको ध्यान में रखते हुये यदि इसमें कमी हुई तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

तो, श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो बजट है इस बजट के अन्दर अगर कोई देखना चाहे कि क्या हमें भारी काम करने हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना में किस दिशा में हम इसको ले जाना चाहते हैं तो उसको इसमें संकेत मिल सकता है। मैं माननीय भानुप्रताप सिंह जी से इस बात में सहमत हूं कि सारी योजनायें सरकार नहीं चला सकती। बहुत कुछ हद तक यह हमारे ऐप्टीट्यूड्स पर निर्भर है। आज हमारे प्रदेश के अन्दर प्राइवेट सेक्टर में कम पूंजी लगी है। ७१ शुगर फैक्टरीज में आप देखें कितनी यू० पी० के लोगों की हैं। टेक्सटाइल फैक्ट्रीज और दूसरी फैक्ट्रीज में कितनी यू० पी० के लोगों की हैं। इसकी जिम्मेदारी, हमारे प्रदेश में ताल्लुकेदारी के अभिशाप की है। लोगों की मनोवृत्ति जमीन के अन्दर इन-वैस्टमेंट की रही है। उसके साथ एक रैसपैक्टेबिलिटी तथा कुलीनता का विशेषण लगा दिया गया। तो इस मनोवृत्ति को वित्त मंत्री अपने भाषण द्वारा या यह सरकार अकेले तब्दील नहीं कर सकती है। इसके लिये सब लोगों को मिलकर प्रयत्न करना होगा। तभी हमारी मुख्य समस्याओं की ओर, इंडस्ट्री की ओर ध्यान आकर्षित हो सकता है।

मुझे आश्चर्य होता है कि एक तरफ तो हमारे भाई कहते हैं कि केवल ५ रुपय बढ़ाये गये छोटे कर्मचारियों के और अध्यापकों के, और दूसरी ओर टैक्सेशन का विरोध करते हैं। हम भी चाहते हैं कि किसी कर्मचारी का वेतन १०० रुपये से कम न हो, लेकिन क्या यह इस मुल्क के दुर्भाग्य की बात नहीं है कि वास्तविकता से हटकर हमारा ध्यान बाहर इलैक्टोरेट की तरफ हो ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मंत्रियों का कितना वेतन चाहते हैं ?

श्री बनारसीदास—

जिस समय हमारे यहां अंग्रेजी राज्य था, तो आप विधान के अन्दर देखें कि मंत्री का वेतन ४००० और ४५०० रुपये था। आज सेंटर और दूसरी जगहों को देखें। हमारे यहां तो एक मंत्री को १००० रुपया मिलता है और टैक्स वगैरह कटकर यह ९०० के करीब रह जाता है। आप देखेंगे कि ९० और १०० के किराये के मकानों में मंत्री रहते हैं। यह सोच कर कि हमको तो कभी जिम्मेदारी में आना नहीं है, बात नहीं करनी चाहिये। हमारे दोस्त ऐसी निराशा से बात न करें। इंगलैन्ड में लेबर गवर्नमेंट आई। सबसे पहले एटली की गवर्नमेंट आई, उसके बाद विल्सन की आई। नीतियों में अन्तर है। आप जानते भी हैं कि काउन्सिल्स के चुनावों में हमारी और आपकी जरूरत नहीं है। कानपुर के बहुत से मिलओनर अगर उन कुर्सियों पर बैठना चाहें तो आपको सालभर में १०, २० और ५० हजार रुपये दे सकते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि लोगों के दिमागों में कितना कनफ्यूजन है। मजदूरों के नेता की हैसियत से आप साफ कहिये कि किस दिशा में आप माडर्न इकोनामी को ले जाना चाहते हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि हवाई जहाज, मोटरें केवल पूंजीपतियों के लिये ही हों ? अगर आप चाहते

हैं कि इनमें जनता के प्रतिनिधि भी बैठ सकें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और यदि कोई यह कहे कि जनता के प्रतिनिधि मोटरों और हवाई जहाज में आवश्यकता पड़ने पर भी न चलें तो यह केवल ईर्षा और द्वेश के कारण ही कहा जा सकता है। हमारे बाप दादा मोटरों में नहीं बैठते थे। हमको इस बात का फख्र है कि हम साधारण व्यक्ति के लड़के हैं। यह जनतंत्र की विजय है। यद्यपि आप पूंजीवाद को गिराने की बात करते हैं, लेकिन हमारे हृदयों पर पूंजीवाद की मान्यताओं का आज भी राज है। क्या ये मोटरें बन्द की जावें, क्या आधुनिक साधनों को बन्द किया जाय? कोई न कोई मान्यता बनानी होगी। डिसपैरिटी अन्डर-डैवेलप्ड कंट्रीज में होती ही है। जैसे जैसे मुल्क आगे बढ़ेगा, यह डिसपैरिटी कम होती चली जायगी। क्या हमारे कमिश्नर्स का और चीफ सेक्रेटरी का वेतन बढ़ा है? हम डिसपैरीटी कम करना चाहते हैं।

आप चाहते हैं कि एक तरह तो आप आन्दोलनों के नेता बनें और साथ ही कोई भी व्यक्ति ऐसा न हो जिसको आप चिन्ताओं से मुक्त न कर सकें। आप पूंजी के बटवारे की बात करते हैं। अमेरीका में एक पूंजीपति से जब कहा गया कि पूंजी का बटवारा होना चाहिये तो उसने कहा कि लीजिये अपने २ पैसे। इससे क्या होगा? एक तरफ तो आप कहते हैं कि असन्तोष की अग्नि जल रही है और दूसरी तरफ आप भी उस पर अपने दो दिक्कड़ सेकना चाहते हैं। यह मनोवृत्ति हमको कहां ले जायगी? यथार्थवाद और आदर्शवाद का जब तक मेल नहीं होगा, हम किसी नतीचे पर नहीं पहुंच सकते। पूरी ब्यूरोक्रेसी रेल की तरह से है, वह रहेगी। बार-बार यह कहना कि ब्यूरोक्रेसी हावी होती जा रही है, अगर यह है तो जो लोग ऐसा कहना चाहते हैं वे अपने में आत्मविश्वास नहीं रखते हैं। उनके अन्दर क्षमता नहीं है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मिनिस्टर राजनीतिक कारणों से दखल देते हैं और साथ ही कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी मजबूत होती जा रही है। तो आपकी ब्यूरोक्रेसी की डैफीनीशन क्या है? ब्यूरोक्रेसी को जो काम हम सुपुर्द करते हैं उसका पैमाना यह है कि वह अच्छी तरह से उसने पूरा किया या नहीं। एक हमारे मान्य नेता जी बड़े भारी पंडित हैं, आदर्शवाद के बड़े विज्ञाता हैं, यह कहते हैं कि जर्मनी का जैसा फासिज्म का खतरा यहां आ रहा है। फासिज्म की किरणें उनको नजर आ रही हैं। फासिज्म आया करता है हिंसा के पैरों पर। (कुछ अवाजें—मतलब त्रिपाठी जी से है?) मेरा मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। गांधीजी ने कहा था कि हिंसा डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाती है और अहिंसा का दूसरा नाम जनतंत्र है। तो जो लोग फासिज्म की बात करते हैं वे साधनों की पवित्रता में विश्वास नहीं करते, जनतंत्र प्रणाली में यकीन नहीं करते। जैसे पानी में नाव नीचे दबी रहती है, गुस्सा आदमी के दिमाग में दबा रहता है। हिंसा दबी हुई हो सकती है, जिसका नतीजा आज मद्रास में है। कहीं वह भाषा की शकल में और कहीं स्टुडेंट्स एजीटेशन की शकल में और डिमांस्ट्रेशन्स की शकल में उभरती है। अगर हमारे नेता को फासिज्म नजर आता है तो वह आवेगा हमारी लाशों पर। मैं कहता हूं कि यह शर्म की बात है कि फासिज्म नजर आ रहा है। फासिज्म तभी आ सकता है जबकि हम जनतंत्र के मानने वाले मर जावेंगे। तो जो लोग शीशे में बैठकर ढेला फेंकना चाहते हैं, चुनावों की पवित्रता के अन्दर जिनका विश्वास नहीं है और मैनीपुलेशन्स में यकीन रखते हैं, वे ही फासिज्म की बात कर सकते हैं।

विस्तार के साथ जब कोआपरेटिव का जिक्र आवेगा तब मैं कहूंगा और दूसरी आलोचनाओं का जिक्र करूंगा। कोआपरेटिव में भ्रष्टाचार है, तो मैं यह कहूंगा कि यह जनता का प्रतिबिम्ब है। अगर शीशे में कोई काना आदमी अपनी शकल देखकर कहे कि शीशे ने उसे काना बना दिया, तो यह उसकी मूर्खता होगी। यह पूंजीपतियों का इंजीनीयर्ड आन्दोलन है। कम्पनीज में और सरकारी खजानों में भी गबन होते हैं। यह कहना कि हमने बड़ी भारी खोज की, यह कोई बात नहीं है। वे ग्रामों की सोसाइटीज को ठीक करें। वह अपने डी० सी० डी० एफ० को ठीक करें। जहां तक प्रजातांत्रिक विधान का संबंध है हम एक नया बिल उसके लिये ला रहे हैं। किसने आपको मजबूर किया है कि आप उसमें सरकारी अधिकारियों

[श्री बनारसीदास]

की रखें ? मेरे यहां इतने दिन से कोआपरेटिव चल रही है, लेकिन कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, न डी० सी० डी० एफ० में और न कन्ज्यूमर्स स्टोर में। और यह नहीं कि फायदा न हो, लाखों रुपये का फायदा भी हुआ है। मुझे एक माननीय सदस्य की बात सुन कर आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा कि मिर्जापुर के किसी प्रमुख ने ३६ हजार रुपये का गबन कर लिया। इसमें अगर कोई विशेषता होती तब तो कुछ ठीक भी था। लेकिन फिर भी मैंने उसकी फाइल को मंगवाया और देखा तो मालूम हुआ कि सोसाइटी को ३६ हजार रुपया बांटा गया था जिसमें से ५ हजार उस प्रमुख ने भी ले लिया और वह ५ हजार भी उससे वसूल हो चुका है। बड़ा तीर मारा जो वे ऐसी बात खोजकर लाये कि मिर्जापुर ब्लाक के प्रमुख ने गबन कर लिया। मुझे उन लोगों पर बड़ा रहम और हमदर्दी होती है जो इस तरह के ड्रेन इंस्पेक्टर का काम करते मारे-मारे फिरते हैं।

जहां तक इस बजट का संबंध है, इससे न तो डेमोक्रेसी को खतरा है, न ब्यूरोक्रेसी बढ़ रही है, न डेफीसिट फाइनेंसिंग ही हो रही है और न जनता पर करों को ही लादा जा रहा है। ये बेअर फैक्ट्स हैं। यह दूसरी बात है कि टैक्स लगाये जायं या न लगाये जायं। सवाल यह है कि चौथी पंचवर्षीय योजना को चाहते हैं या नहीं। एक ओर तो आप कहते हैं कि उत्पादन नहीं बढ़ा, उद्योग धंधे नहीं बढ़ाये गये, बेरोजगारी बढ़ रही है। फिर कारखाने किस तरह से लगाये जायं ? अमेरिका से कर्जा लेकर, किसी से मांग कर अथवा सेन्टर से रुपया लेकर ? लेकिन हम नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो या न हो, हम कर नहीं लगायेंगे। आप करों के लिये कभी नहीं कहेंगे, वह काम हम ही को करना पड़ेगा। क्या हम जनता से चुन कर नहीं आये ? क्या हमको आगे इलेक्शन फेस करना नहीं है ? हलावाई की दूकान पर नानाजी का फातिहा। समझ में नहीं आता आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं।

मैं डाक्टर अहमद साहब से और अन्य दूसरे माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि वे क्या चाहते हैं। अगर वे स्टेट ट्रेडिंग चाहते हैं तो उनको बताना होगा कि इन चार चीजों में वे क्या चाहते हैं—फ्री ट्रेड, मोनोपली, लेवी सिस्टम अथवा प्रोक्योरमेंट। अगर कोई कहे कि मोनोपली रखिये तो बजार में एक मात्र खरीदार गवर्नमेंट होगी ? फिर अगर अनाज नहीं आया तो क्या डी० आई० आर० के जरिये वसूली की जायगी। अगर लेवी सिस्टम लागू किया गया तो क्या किसान खुशी से उसके अनुसार देगा ? लेकिन अगर प्रोक्योरमेंट की बात कहते हैं तो उसके लिये किस प्रकार से होगा ? इसलिये अगर आपके दिमाग में स्टेट ट्रेडिंग का नक्शा है तो आपको यह बताना होगा कि कौन-सा सिस्टम आप पसंद करते हैं। यह कोई दलगत राजनीति का प्रश्न नहीं है, यह जनता के अन्न का सवाल है, उसकी भुखमरी का सवाल है। इसके लिये आपको साफ तौर से जवाब देना होगा। स्टेट ट्रेडिंग के लिये क्या भाव निश्चित करें ? और क्या उसके विरोध में राजनीतिक लीडरशिप न चलेगी ?

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

आप एक मुस्तकिल दाम नीति बना दीजिये।

श्री बनारसीदास—

माननीय राधेश्याम जी मेरे पास उस योजना को लिखकर भेज दें। मैं सरकार की तरफ से उनको वचन दे देना चाहता हूं क्योंकि दलगत राजनीति का यह मामला नहीं है। आप साफ तौर पर यह बतायें कि वे प्रोक्योरमेंट सिस्टम चाहते हैं, मोनोपली सिस्टम चाहते हैं, लेवी सिस्टम चाहते हैं या फ्री ट्रेड चाहते हैं। शहरों में तो कहते हैं कि भाव बढ़ गये और किसानों से जाकर कहते हैं कि तुम्हारा माल लूटा जा रहा है। यह परस्पर विरोधी बातें करने से काम नहीं चलेगा, खाली इलेक्टोरेट्स को खुश करने की बातों से काम नहीं चलेगा। जो वोट देने वाली जनता है वह विवेकशील है, अपने भले बुरे को समझने वाली है, खाली नारों के

बहकावे में यह जनता आने वाली नहीं है। इसलिये जो कुछ भी माननीय सदस्य कहते हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहिये। एक तरफ तो राशनिंग हटाने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ भाव बढ़ने की भी बात कहते हैं। पिछले महीने से समाजवादी दोस्त कंट्रोल की बात कहने लगे हैं। पहले जब कंट्रोल लगाया तो ये ही लोग नारा लगाते थे कि राशनिंग को डिकंट्रोल करो, डिकंट्रोल करने से स्वर्ग आ जायगा और जब डिकंट्रोल हो गया तब कहने लगे कि भाव बढ़ गया। एक तरफ तो कहते हैं कि किसानों को लूटा जा रहा है, दूसरी तरफ कहते हैं कि मानोपली नहीं होनी चाहिये, प्रोक्योरमेंट नहीं होना चाहिये, लेवी नहीं होनी चाहिये फ्री ट्रेड रहे; और सरकार कोई ऐसी मशीन इजाद करे जिससे बाजार में अनाज बराबर आने लगे। इस माने में मैं तो अपनी असफलता स्वीकार करता हूं कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सके यह जो बजट है वह प्रदेश की यथार्थ स्थिति का दिग्दर्शन है कि आगे हमको क्या करना है। हम किसी के ऊपर कोई चीज लादना नहीं चाहते हैं मेरे समाजवादी भाइयों में अगर हिम्मत है तो कोई रिज्योलूशन लावें कि प्लान को छोड़ दिया जाय और वे कोई अल्टरनेटिव बजट बना कर हमें दें।

श्री राधेश्याम शर्मा—

अगर हम कोई आल्टरनेटिव बजट बना कर दें तो क्या आप उसे मान लेंगे ?

श्री बनारसीदास—

आप अल्टरनेटिव बजट बना कर पेश तो करें, लेकिन इस तरह से नकारात्मक आलोचना करने से कोई लाभ नहीं होने को है।

(व्यवधान)

एक तरफ तो माननीय राधेश्याम जी बजट पर सामान्य विवाद के लिये ५ दिन के बजाय ८ दिन चाहते हैं, ग्रान्ट्स पर डिस्कशन के लिये २४ दिन से भी ज्यादा चाहते हैं; और साथ ही साथ आलोचना करते हुए अपना एक दूसरा फार्मूला देते हैं। मालूम होता है कि उन्हें बजट का सही ज्ञान नहीं है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

आप मेरी बात को गलत न समझें। अगर हम बजट बना कर दूसरा दें तो क्या आप उसे मान लेंगे ?

श्री बनारसीदास—

पहले आप आपस में तो बजट को मंजूर करा लीजिये, उसके बाद अपने बजट की तस्वीर हमारे सामने रखें तो मैं यकीन दिलाता हूं कि उस पर हम गौर करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का जो माननीय वित्त मंत्री ने पेश किया, समर्थन करता हूं।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय कैलाश प्रकाश जी वित्त मंत्री बनाये गये तो मुझे यह खयाल हुआ कि जब एक गणितज्ञ और गणिताचार्य वित्त मंत्री बने हैं तो इस साल का बजट साहित्यिक बजट न होकर वास्तविक बजट होगा यानी २ और २-५ या ३ न होकर ४ ही होगा। लेकिन फिर मैंने देखा कि सरकार के लिये बड़ी कहावत चरितार्थ हुई कि "सूरदास की काली कमरिया, चढ़े न दूजो रंग" वही घाटे वाला बजट माननीय कैलाश प्रकाश जी ने भी पेश कर दिया। चूंकि वे गणितज्ञ हैं इसलिये उनको चाहिये था कि वे सही बजट पेश करते, न घाटे का बजट होता, न नफे का बजट होता, बल्कि वह बिल्कुल सही बजट होता। इस बजट के सम्बन्ध में बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही जा चुकी हैं और बड़े-बड़े आंकड़े बहुत लोग पेश कर चुके हैं लिहाजा उस तरफ न जाकर मैं केवल एक बात की तरफ जाना चाहता हूं और वह बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

यह है कि अभी माननीय बनारसीदास जी न कहा कि नौकरशाही के ऊपर हमने कंट्रोल कर रखा है और वह हमारी नीतियों पर चलती है, जो नीति हम निधारित करते हैं उस पर वह चलती है। इस बात को मैं अक्षरशः मान लेता यदि मेरे सामने एक ज्वलन्त उदाहरण न होता। वह अर्थ की बात नहीं है, मैं केवल भाषा की बात निवेदन करूंगा। हमारे प्रदेश में सन् १९५०–५१ में विधेयकों के द्वारा राज्य की भाषा हिन्दी घोषित की गई और उसके बाद सन १९६१ में तत्कालीन मुख्य मंत्री की ओर से एक पत्र सब विभागों में जारी किया गया कि किन-किन विषयों में हिन्दी चलेगी और उसके आधार पर १ जून, सन् १९६१ को मुख्य सचिव की ओर से जो परिपत्र जारी हुआ उस में कहा गया था कि किन किन चीजों में अनिवार्यतः हिन्दी का प्रयोग किया जायगा और किन चीजों में, जहां तक हो सके, हिन्दी का प्रयोग किया जायगा। इस विषय में मैं श्री बनारसी दास का ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं अपनी बात नहीं कहूंगा। इस परिपत्र की नत्थी २ के १७ क्रमांक में लिखा है पत्रावलियों के शीर्षक आदि का भरा जाना, ऐसे कार्यों की सूची जो अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही तैयार की जायगी उन में यह १७ वें नम्बर की सूची है "पत्रावलियों के शीर्षक आदि का भरा जाना।" मैं जानना चाहता हूं श्री बनारसीदास जी बतायें कि उन के विभाग में कितने प्रतिशत पत्रावलियों में शीर्षक हिन्दी में लिखे जा रहे हैं या लिखे रहते हैं। मेरी विश्वस्त सूत्र से सूचना है कि श्री बनारसी दास जी के विभाग म, आप के डायरेक्टरेट में एक प्रतिशत भी हिन्दी की पत्रावली लिखी हुई नहीं मौजूद हैं। माननीय चन्द्रभानु गुप्त तत्कालीन मुख्य मंत्री ने स्पष्ट आदेश दिया कि इन इन चीजों में अनिवार्य रूप से हिन्दी का प्रयोग होना चाहिय, लेकिन क्या आपकी ब्यूरोक्रेसी ने उस दिशा में एक भी कलम उठाई ?

श्री बनारसीदास—

इसकी ज्यादा जिम्मेदारी हमारी है। हमने अभी तक उस पर बल नहीं दिया। अब हम उस उस पर बल देंगे। उसके लिये ब्यूरोक्रेसी नहीं, हम जिम्मेदार हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—

माननीय मुख्य मंत्री का इतना जबरदस्त पत्र था और उस पर ब्यूरोक्रेसी ने काम नहीं किया। तो मैं कहूंगा और कहने के लिये मजबूर हूं कि वह सरकार के सिर पर चढ़ गई है दूसरे के लिये हम नहीं कह रे परिपत्र जारी हुआ चीफ सेक्रेटरी के यहां से, लेकिन आप मुझे एक पत्रावली दिखा दें मुख्य सचिव के दफ्तर की ही तब भी मैं मान लूं कि यह हिन्दी में है और मैं गलत कह रहा हूं। यह कहना कि ब्यूरेक्रसी जबरदस्त नहीं हुई है यह मैं मानने को तयार नहीं हूं वह सिर पर चढ़ी है क्यों चढ़ी है यह इस वक्त मैं नहीं कहना चाहता। कुछ विभागों के विषय में बताना चाहता हूं। मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग—एक पत्रावली भी हिन्दी में नहीं है। मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निमण विभाग—एक पत्रावली भी, एक अक्षर भी हिन्दी में नहीं। स्वास्थ्य विभाग मय आयुर्वेदिक विभाग के एक पत्रावली भी हिन्दी में नहीं, राजस्व परिषद् एक पत्रावली भी हिन्दी में नहीं, पूर्ति विभाग में सहकारिता विभाग में, मंत्री जी के डाइरेक्टरेट में एक जगह भी हिन्दी में कलम नहीं चलती। श्रीमन्, क्या है यह ? क्या हम इसको मानें कि आपकी नीतियों को नौकरशाही मानने के लिये तैयार है ? उसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हुयी एक बात जानकर मुझे अत्यन्त विश्वस्त सूत्र से मालूम हुआ है कि माननीय मुजफ्फर हसन एक मंत्री हैं जिनके यहां ९५ प्रतिशत हिन्दी चल रही है। माननीय जयराम वर्मा के यहां ७५ प्रतिशत से ९५ प्रतिशत कार्य चल रहा है। राम नारायण पांडे जी के यहां भी ७५–९५ प्रतिशत कार्य हिन्दी में चल रहा है परन्तु हमारे वरिष्ठ मंत्री जो हैं वे अपने हस्ताक्षर तक हिन्दी में नहीं करते हैं। क्या यही नीति है, आपकी ? सन् १९६५ के बाद माननीया सुचेता जी, अहिन्दी भाषी होते हुये भी, दिल्ली से भारत सरकार के पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिलवाती हैं।

श्री बनारसीदास––

ऐसे कौन से मंत्री हैं जो हिन्दी में हस्ताक्षर नहीं करते हैं ?

(इस समय ४ बजकर ५६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायणराय, पीठासीन हुये ।)

कुंवर श्रीपालसिंह––

श्रीमन्, मैं जो कह रहा हूं वह सही है । अगर माननीय बनारसीदास जी दिखला देंगे तो मैं मान लूंगा । श्रीमन्, मैं जो निवेदन कर रहा था कि यह कहना कि ब्यूरोक्रेसी हमारे पर हावी नहीं है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं । ब्यूरोक्रेसी अपने ढंग से चल रही है । आज भी मंत्रि मंडल के प्रस्तावों का मजाक उड़ाया जाता है और मंत्री लोग केवल यह कहकर अपनी जान बचाते हैं कि नहीं, ब्यूरोक्रेसी हमारे ऊपर हावी नहीं है ।

मैं, श्रीमान जी, निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार की सच्ची नीयत हो और कांग्रेस में यदि कुछ भी देश भक्ति बाकी है तो उन्हें स्पष्ट आश्वासन यह देना चाहिये कि प्रदेश में हिंदी का प्रयोग होगा । केन्द्र में फिर से जो कानून में तब्दीली करके अंग्रेजी को जो स्थान देने वाले हैं उस सम्बन्ध में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से सलाह की जायगी । तो सरकार से मेरी प्रार्थना है कि उनकी तरफ से मुख्य मंत्री या जो भी प्रतिनिधि वहां जायें, उन्हें स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहिये कि संविधान में चाहे कुछ भी हो, जो दिया हुआ है उसके विरोध में एक अक्षर भी मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं । इस सम्बन्ध में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता ने केरल में एक वक्तव्य देकर कि जो पत्र हिन्दी में आवें, उन्हें आग में जला दिया जाय, दक्षिण में आग लगा दी है । दक्षिण में एक द्रविड़ मुनेत्र कजगाम, है । दूसरे हमारे कम्युनिस्ट सदस्य डा० जेड० ए० अहमद ने अपने भाषण में कहा था कि जिस दिन मद्रास में आन्दोलन छिड़ा, उस दिन मैं वहां पर ही था । तो मैं उनसे पूछता हूं कि वे उस दिन वहां क्या कर रहे थे । तीसरे कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज और चौथे राजगोपालाचारी बने रहें महात्मा जिन्होंने देश का बटवारा करा कर पाकिस्तान बनवा दिया । पहले उन्होंने शुरू किया हिन्दी-अंग्रेजी । उसके बाद शुरू किया हिन्दी-तामिल । उसके बाद शुरू किया हिन्दी और दक्षिण भाषायें और अब शुरू किया है उत्तरी और दक्षिणी जनता । मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि संविधान में १४ भाषायें हमारे लिये दी हुई हैं उनमें से किसी एक को तामिल, तेलगू, कन्नर, मलयालम, उरिया, किसी को भी राजभाषा बना दिया जाय । मैं हाथ जोड़ कर हिन्दी वालों के पैरों पड़ कर कहूंगा कि हिन्दी को हटा लो, इसको बनने दो राजभाषा, लेकिन यह मैं बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं हूं, और न भारत का कोई स्वाभिमानी नागरिक बर्दाश्त करने को तैयार होगा कि परतंत्रता की प्रतीक अंग्रेजी हमारे सर पर लदी रहे । अंग्रेजी तो हटनी ही होगी भले ही एक नहीं एक हजार कामराज बलिदान करने पड़ें, एक हजार राजाजी बलिदान करने पड़ें । हम अंग्रेजी किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते । सरकार को अब की मर्तबा पक्का इरादा करके सेंटर में जाना चाहिये और इस बात पर डटे रहना चाहिये कि १४ में से किसी को भी राज भाषा बना लो, लेकिन हिन्दी को न बना कर अंग्रेजी को बनाते हैं तो एक आन्दोलन नहीं एक हजार आन्दोलन हम करने को तैयार हैं ।

श्री अधिष्ठाता––

अब इस पर कल विवाद होगा ।

उत्तर प्रदेश गन्ना क्रय-कर (संशोधन) विधेयक, १९६५

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)––

मैं उत्तर प्रदेश गन्ना क्रय–कर (संशोधन) विधेयक, १९६५ को सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि इसके लिये आज्ञा दी नहीं जा सकती ।

श्री अधिष्ठाता—

सदन आज्ञा दे सकता है ।

श्री कमलासिंह यादव—

अनुज्ञा के पहले ही मैं विरोध कर सकता हूं ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

भारत सरकार तथा गवर्नर महोदय दोनों की सिफारिश आ गयी है ।

श्री कमलासिंह यादव—

सिफारिश का सवाल नहीं है । संविधान में यह दिया हुआ है कि छोटे-छोटे उद्योग धंधे जो हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाय । मुझे अफसोस इस बात का है कि जो कार्यक्रम इस सदन का आज है उसमें यह नहीं दिया गया है जिसकी वजह से शुगर कमेटी की रिपोर्ट नहीं ला सका, नहीं तो सदन का ध्यान उस ओर आकर्षित करता । शुगर कमेटी जो इस प्रदेश में बैठी थी उसने ३,४ सिफारिशें दी थीं । गन्ने का उत्पादन बढ़ाया जाय और उसमें १० प्वाइंट तक चीनी मिलती है तो उसका परसेन्टेज बढ़ाया जाय । खाद किस तरह से दी जाय यह भी उसमें जिक्र था और एक्सट्रा स्टाफ रखा जाय जो किसानों में प्रेरणा दे कि किस तरह से उत्पादन बढ़ाया जाय और जो गन्ने का कंट्रोल एरिया रखा गया है उसे बहुत कम कर दिया । जाय और जहां पर एरिया कम है वहां छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे बढ़ाये जायें जो घरेलू उद्योग धन्धों में आते हैं । नतीजा यह हुआ कि जो कमेटी आपने बिठाई थी उसकी रिपोर्ट ताक पर रखी रह गई और किसी चीज को कार्यान्वित नहीं किया गया । उल्टे छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों पर २५ प्रतिशत सैस लगाया जा रहा है जो छोटे-छोटे लोग करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य इसका विरोध करने के लिये जरा संक्षिप्त भाषण नियमों के मुताबिक दें ।

श्री कमलासिंह यादव—

अभी तो आपने सुना ही नहीं । दो मिनट में ही संक्षिप्त भाषण हो गया । अगर यह भावना है तो कोई बात कह सकना हमारे लिये बड़ा मुश्किल है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपनी भावना को व्यक्त करने के लिये हर तरह से सक्षम हैं, लेकिन विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा के लिये नियम १२५ है । वह इस प्रकार है कि "यदि किसी विधेयक के पुरः स्थापन करने की अनुज्ञा के प्रस्ताव का विरोध किया जाय तो अध्यक्ष यदि वे ठीक समझें, प्रस्ताव करने वाले सदस्य और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के पश्चात् बिना और वाद विवाद के प्रश्न रख सकेंगे ।" अपना संक्षिप्त वक्तव्य क्यों नहीं अनुज्ञा देना चाहते हैं, जारी रखें ।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, पहली चीज तो यह है कि इन्होंने डिसक्रिमिनेशन किया । इस तरह से किसान गाढ़ी कमाई से खेतों में ३/४ पानी देकर गन्ना पैदा करते हैं और उनके गन्ने का मल्य ६ रुपये ३६ नये पैसे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

था और अब आपने इसके द्वारा उसको बाध्य किया है कि वह अपना गन्ना ५ रुपया के हिसाब से बेचे। अगर किसी आदमी की जायदाद लेंगे तो संविधान में कानन है कि उसको मारकेट वैल्यू दी जायगी। आप उनका गन्ना कम कीमत पर कैसे बिकवा सकते हैं। छोटे-छोटे उद्योग-धंधे वाले उनको ६ रुपये ३६ पैसे के हिसाब से दे रहे थे। इसलिये इससे कम पर बेचने के लिये आप उनको मजबूर नहीं कर सकते।

दूसरी चीज यह है कि फंडामटल राइट्स में है कि किसी की चीज या जायदाद कम दाम पर नहीं बिकवा सकते। तीसरी चीज यह है कि आपकी नीति संविधान के आर्टिकिल ४३ में दी है वह इस प्रकार है कि, "उपयुक्त विधान या आर्थिक संघटन द्वारा, अथवा और किसी प्रकार से राज्य कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सब श्रमिकों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन-स्तर, तथा अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम, दशायें तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर उद्योगों के वैयक्तिक अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।" तो आप कुटीर उद्योग वालों को बढ़ावा देंगे यह आपकी नीति है। लेकिन यहां देखा जा रहा है कि चीनी मिल के बड़े-बड़े सेठ साहूकार जिनके पंजे में यह सरकार खेलती है क्योंकि इलेक्शन के लिये इनसे पैसा मिलता है। इसलिये मिल मालिकों को यह सरकार बढ़ावा देती है और एक मिल मालिक को बढ़ावा देने के लिये लाखों किसानों की गर्दन काटती है और छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को सरकार एक तरह से नष्ट करने पर तुली हुई है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि फंडामेंटल राइट्स और जो नीति और पालिसी आपकी है, जो कांस्टीट्यूशन में भी है, जिसकी शपथ लेकर हम पहले दिन यहां बैठते हैं, उसके खिलाफ आप कैसे कार्यवाही कर सकते हैं। चूंकि हमारी जो पालिसी है उसके खिलाफ यह विधेयक है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं, इसलिये ऐसा काला कानून सदन में नहीं आना चाहिये। ६ रुपये ३६ पैसे के बजाय आप उसकी चीज ५ रुपये में बिकवाने जा रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं इसका जवाब दूं, साहब ?

श्री अधिष्ठाता—

चाहें तो आप जवाब दे सकते हैं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अच्छा, मैं उत्तर प्रदेश गन्ना क्रय-कर (संशोधन) विधेयक, १९६५, को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा.....

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना स्थान ग्रहण करें, आप सिद्धांत से पुरःस्थापन के लिये आज्ञा चाहते हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और आप उस पर अपनी व्यवस्था तो दे दीजिये, क्योंकि यह कार्य फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है और संविधान की पालिसी के विरुद्ध है, और जिसका मैंने नियम ४३ में भी जिक्र किया है। तो क्या हम इस सदन के जरिये इस कानून को बना सकते हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

मैंने आपके तर्कों को व्यवस्था के प्रश्न के अन्तर्गत सुना, किन्तु वह उसमें नहीं उठ सकता। माननीय मंत्री जी ने जिस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिये आज्ञा चाही है वह सिद्धांतों के अनुकूल है, संविधान की धाराओं के उपयुक्त है। इसलिये मैं माननीय सदस्य....

श्री कमलासिंह यादव—

धारा जो मैंने बताई है और आप कहते हैं उसके अन्तर्गत यह नहीं आता। तो जरा उसको पढ़कर बता दें, जिससे मेरी बात आपके और आपकी बात मेरी समझ में आ जाये तो अच्छा हो ।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई मूल विधेयक नहीं है, यह तो केवल एक संशोधन विधेयक है । इसलिये उसमें नहीं आता ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं तो यह कह रहा था कुटीर उद्योग जो गांव में प्रचलित हैं और हमारी पालिसी है कि कोई ऐसा काम नहीं किया जायगा, जिससे कुटीर उद्योग खत्म हों । लेकिन आप इस विधेयक द्वारा उन्हें खत्म करना चाहते हैं और आप पूंजीपतियों को पनपाना चाहते हैं और उसका गन्ना इसीलिये आप कम दामों में बिकवाना चाहते हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, हमारे रूल १२५ में यह है कि जो कोई बिल अनुज्ञा के लिये रखा जाता है तो यदि कोई उसमें अपोज करना चाहे तो वह उस प्वाइंट पर एक ब्रीफ नोट दे सकता है कि इस पर विचार करना सदन की काम्पीटेन्सी में नहीं है । तो फिर यह जो आपस में वाद विवाद हो रहा है, वह ठीक नहीं है, वह नहीं होना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई विवाद नहीं हो रहा है । माननीय कमला सिंह को तो मैंने बता दिया, जो नियम है उसे पढ़कर सुना दिया । मूल विधेयक इस सदन ने पास किया है और यह संशोधन विधेयक है, इसलिये यह सदन इस पर विचार करने के लिये अधिकृत है । इसलिये मैं माननीय सदन के समक्ष जो माननीय मंत्री जी ने अनुज्ञा चाही है उसे प्रस्तुत कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना क्रय-कर (संशोधन) विधेयक, १९६५, को पुरःस्थापित करने के लिये सदन द्वारा अनुज्ञा दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश गन्ना क्रय-कर (संशोधन) विधेयक, १९६५, को पुरः स्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १११८-११२० पर ।)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कमलासिंह जी, आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री कमलासिंह यादव—

कार्यक्रम में तो यह रखा नहीं गया था, यह कैसे प्रस्ताव यहां आया ?

*उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५

खण्ड २ (क्रमागत)†

श्री अधिष्ठाता—

माननीय उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५ पर जो माननीय सदस्य अपना विचार व्यक्त करना चाहें, करें। पहले माननीय कमला सिंह जी आप अपना विचार व्यक्त कर लें।

सतर्कता अधिष्ठान पर संशोधन था आपका, उस पर आप बोल रहे थे, उस पर यदि आप कुछ बोलना चाहें तो अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं।

‡श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, कल मैंने जो प्रस्ताव रखा था, उसका मतलब यह है कि हम नहीं चाहते किसी तरीके पर बहस करना। श्रीमन्, एक बात का मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि धारा ३ में, अधिष्ठाता महोदय, जरा सुनें मेरी बात धारा ३ में दिया हुआ है कि (व्यवधान) माननीय मंत्री जी भी इधर सुनें तो ठीक है। मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं और आप जो दूसरी बात कह रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

खंड ३ की बात आपने शुरू कर दी खंड २ पर आप अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, उस पर आप बोलिये।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण यह है कि धारा ३ में दिया हुआ है कि राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे अपराधों अथवा अपराधों के ऐसे वर्गों को निर्दिष्ट कर सकती है जिनका अनुसंधान उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान द्वारा किया जाना हो। इसके बारे में एक अध्यादेश गवर्नर ने जारी किया और उस अध्यादेश में दिया गया है कि बहुत सी दरख्वास्तें जो हैं बिजिलेन्स के सुपुर्द कर दी गई हैं कि जब गवर्नर ने आर्डिनेंस इसके बारे में जारी किया तो क्या धारा ३ में कोई विज्ञप्ति सरकार की तरफ से दी गयी कि कौन-कौन से ऐसे अपराध हैं जिसको कि वह सरकार सुपुर्द करेगी इस बिजिलेंन्स को।

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

यह गजट में छपवा दिया, कहिये तो मैं सुना दूं, आप पढ़े नहीं तो मैं क्या करूं ?

श्री कमला सिंह यादव—

किस डेट का है गजट ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

१२ फरवरी, १९६५।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि राज्य सरकार को यह अख्तियार है कि ऐसे अपराध या ऐसे अपराधों का वर्गीकरण धारा ३ के अन्तर्गत करेगी। गजट के अन्दर जिसको वह चाहेंगे।

---

*८ फरवरी, १९६५ की कार्यवाही में छपा है।

†१७ फरवरी, १९६५ की कार्यवाही से,

‡वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

(व्यवधान) इस धारा के एक में मैं जो संशोधन लाया हूं धारा २ के खंड २ में वह यह है कि—"किन्हीं भी ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार तदर्थ दे ऐसे अपराधों का अनुसंधान करने तथा ऐसे अपराधों से सम्बद्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के संबंध में उक्त अधिष्ठान के सदस्यों को वे सभी अधिकार कर्त्तव्य विशेषाधिकार तथा दायित्य होंगे जो ऐसे अपराधों के अनुसंधान करने के संबंध में राज्य के सामान्य पुलिस दल के तदनुरूप पद धारण करने वाले पुलिस अधिकारियों को हैं।" मेरा कोई संशोधन ऐसा नहीं है। जो संशोधन मैंने कल रखा है वह यह रखा है "कि अगर इसकी जगह यह कर दिया जाय" शब्द "किन्हीं भी ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार तदर्थ दे ऐसे के स्थान पर "राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित" तो इसमें कोई फर्क नहीं होगा। जिस वर्ग के अपराध का संबंध है, उन्हीं के ऊपर ही यह लागू होगा। उनको पुलिस पावर्स के राइट्स मिलेंगे। तो केवल इतना ही मैं माननीय मंत्री जी से चाहता था कि इस तरह से वह मान लें। धारा ३ में राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित जो अपराध है या जिनका वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में यह मान लें। दूसरी बात यह है कि इस विजिलेन्स कमीशन के बारे में एक सन्थानम कमेटी बैठी थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी कि जहां तक इस विजिलेन्स कमीशन का सवाल है वह उस समय तक सफल नहीं हो सकता कि जबतक आइ० पी० सी० की धाराओं में संशोधन न किया जाय। उन्होंने बहुत से सजेशन दिये और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, आई० पी० सी० के अन्तर्गत बहुत से ऐसे आफेंसेज है जो उसमें नहीं आते। उसने उनके बारे में एक सिफारिश भेजी कि कुछ ऐसे आफेन्सेज है जो आइ० पी० सी० के अन्तर्गत नहीं आते और बहुत से ऐसे आफेन्सेज है जिनका किसी भी कानून के अन्दर कोई प्राविजन नहीं है कि किस तरीके पर सजा दी जाय। इसलिये यह आवश्यकता पड़ेगी कि अगर उन सभी बातों पर विचार कर लिया जाय और उस ३ धारा के अन्दर विचार करके संशोधन कर लिया जाय तो उस धारा के अन्दर काफी स्कोप हो सकता है और सन्थानम कमेटी की सिफारिशों पर भी अमल हो सकता है.....

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, इस समय सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कमलासिंह यादव—

सन्थानम कमेटी के सेक्शन ७ में पेज ५३ पर यह दिया है कि:—

"The Indian Penal Code was enacted in 1860 and though it has been amended here and there, its main structure has continued intact during the last 100 years and more. It is an admirable compilation of substantive criminal law and most of its provisions are as suitable to-day as they were when they were formulated. But the social and economic structure of India has changed to such a large extent, specially during the last 17 years of freedom, that in many respects the Code does not truly reflect the need of the present day. It is dominated by the notion that almost all major crimes consist of offences against person, property or State. However the Penal Code does not deal in any satisfactory manner with acts which may be described as social offences having regard to the specal circumstances under which they are committed, and which have now become a dominant feature of certain powerful sections of modern society".

श्री अधिष्ठाता—

कृपया इसकी हिन्दी कर दीजिये।

श्री कमलासिंह यादव--

इसको मैं हिन्दी में भी सुनाये देता हूं ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से श्री कमला सिंह जी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि यदि वह इस विधेयक की पहली पंक्ति पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ कि "विशेष पुलिस दल के रूप में उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के संगठन अधिखंड प्रशासन की व्यवस्था करने के लिये" यह जो है केवल पुलिस दल की व्यवस्था करने के लिये है। एस्टैब्लिशमेंन्ट के लिये इससे, जो आयोग है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप उसी तक सीमित रहें अपने भाषण में।

श्री कमलासिंह यादव--

मुझे अफसोस है, माननीय मंत्री जी....

श्री अधिष्ठाता--

जो संशोधन आपने प्रस्तुत किया है उससे तर्कसंगत जो विचार हैं वे ही आप प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

श्री कमलासिंह यादव--

यह सजेशन मैं इस लिये दे रहा हूं कि गवर्नमेंट को अधिकार दिया जा रहा है कि किस तरह के आफन्सेज का वर्गीकरण वह किस प्रकार करेगी । तो मैं, श्रीमन्, बता देना चाहता हूं कि सन्थानम् कमेटी ने जो ८ प्रकार के आफेन्सेज बताये है वह यह अधिष्ठान कवर नहीं करता । यह जरूरी है कि जो वर्गीकरण उन्होंने किया है उनका भी जिक्र इसमें रहे धारा (३) के अन्तर्गत, ताकि कोई भी ऐसी चीज न छूटे जिससे जो अधिष्ठान है उसका प्रोग्राम असफल हो। इसमें जो ८ चीजें हैं वे ये हैं। देश के आर्थिक निकाय को रोकने या उसमें बाधा डालने सम्बन्धी और आर्थिक हितों की सुरक्षा सम्बन्धी सार्वजनिक सम्पत्ति के बेचने में लाइसेंस या परमिट देने या अन्य ऐसे विषयों पर अपने पद का उपयोग, औद्यागिक और वाणिज्य अनुष्ठान और सार्वजनिक अधिकारों द्वारा दिये गये ठेकों में दी गई शर्तों के विरुद्ध माल देने मुनाफाखोरी, चोरबाजारी और खाद्य पदार्थों में सम्मिश्रण, सार्वजनिक सम्पत्ति तथा निधियों का गबन, लाइसेंस परमिट आदि का अनियमित व्यापार तथा अन्य ऐसे अपराध जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्त करे । तो श्रीमन, जो भी वर्गीकरण किया गया है, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका पनिशमेंट आई० पी० सी० में मिल जाय । इसलिये जो एक्सपर्ट की कमेटी बैठी थी सन्थानम वाली रिपोर्ट में उसके अनुसार ही किया जाय जिसमें कि श्री सन्थानम् एम० पी० श्री टीकाराम....

श्री अधिष्ठाता--

सब का नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सदन का समय बचाने में शायद आप मेरी सहायता करेंगे ।

श्री कमलासिंह यादव--

जो इसमें एक्सपर्टस बैठे, जिन्होंने रिकमंड किया था कि आई० पी० सी० के अन्दर जितनी चीजें चल रही हैं उनके द्वारा जखीरेबाजी रोकनें का इन्तजाम किया जाय। और भी बहुत से लोग हैं जो अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं। अब ऐसी चीज इस प्रदेश में है और लोग हर तरह का दुरुपयोग करते हैं उस समय हमको बहुत सावधानी बरतनी होगी। अगर आप सीमित दायरे में कानून रखेंगे तो वे लोग जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं जनता और सरकार के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं वे किसी न किसी तरह से बच कर निकल जायेंगे। यह इसीलिये तो रखा गया है कि हम लोगों का मोरल रिफार्म कर सकें। इसलिये माननीय मंत्री जी अपनी पावर्स को कम न करें और धारा २ को इस प्रकार से रखें ताकि किसी भी जुर्म को उसमें

[श्री कमलासिंह यादव]

शामिल किया जा सके। एक्सपर्ट कमेटी ने जिन ८ बातों को गिनाया था और जो कानून में नहीं आतीं उनको मैंने सरकार को सुना दिया है। इसके बाद भी मैंने उसमें यह प्रावीजन रखा है कि इसके अलावा भी सरकार अगर कोई जुर्म बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सके।

मालूम पड़ता है माननीय मंत्री जी को कुछ भ्रम हो गया है। कल से माननीय मंत्री जी इस बात की ही सूचना दे रहे हैं कि सरकार जिन बातों की आज्ञा देगी उन्हीं पर यह आयोग विचार करेगा।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमन् कोरम नहीं है यह सदन बिना कोरम के ही चल रहा है।

(घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, सरकार डंडे के बल पर इस बिल को पास करना चाहती है और यह कोरम भी नहीं रख सकती है।

श्री अधिष्ठाता—

श्री कमलासिंह जी जरा अपने पीछे तो देख लें।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है सरकार की है। अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं वह यह कि सरकार ने इस बिल के बारे में बताया कि यह विधेयक दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के आधार पर लाया गया है। यह मैं कैसे कहूं कि सरकार ने यह गलत सूचना दी है, लेकिन उसके आधार पर इस विधेयक को लाने की बात कहना और यह कहना कि सरकार जिनके बारे में आदेश देगी उन्हीं के बारे में यह जांच कर सकेगा....

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जनरल डिबेट हो रही है या विधेयक का द्वितीय वाचन है यह जो बहस माननीय सदस्य कर रहे हैं इसका उस संशोधन से क्या ताल्लुक है जो एजेन्डे में छपा है?

श्री अधिष्ठाता—

श्री कमला सिंह जी जो संशोधन आपने प्रस्तुत किया है अगर आप उसी पर बोलें तो सम्भव है माननीय सदस्यों को कोई एतराज न हो।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, अगर आप भी इनको एप्रीशियेट नहीं करेंगे....

श्री अधिष्ठाता—

नहीं, ऐप्रीशियेट करने की बात नहीं है। मैं स्वयं मानता हूं कि जितनी बातें आपने कही हैं उसमें बहुत सारी बातें इससे सम्बन्धित नहीं हैं। सदन का समय उपयोगी बातों में लगना चाहिए।

श्री कमलासिंह यादव—

तो फिर बड़ा मुश्किल होगा अपोजीशन का चलना, अगर यह चीज रही।

श्री अधिष्ठाता—

सामान्य विवाद के समय आपने अपने विचार व्यक्त किये । अभी आपका एक और भी संशोधन है । मैं चाहूंगा कि आप स्वयं पंडित आदमी हैं, समय को देखते हुए अपने विचार व्यक्त करें

श्री कमलासिंह यादव—

मैं बता रहा था श्रीमन् कि जो माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि वह आर्फेसेज जिनके बारे में सरकार लिखकर भेजेगी वही जायेंगे विजिलेंस कमीशन को और सतर्कता आयोग उन्हीं चीजों का अन्वेषण करेगा....

श्री अधिष्ठाता—

इसका आपके संशोधन से क्या सम्बन्ध है ?

श्री कमलासिंह यादव—

सम्बन्ध यह है कि ऊपर की जो दो लाइनें हैं उनको मैं क्यों निकलवाना चाहता हूं....

श्री अधिष्ठाता—

जी नहीं, आप अपना संशोधन भूल रहे हैं । आपका संशोधन यह है कि खंड २ के उपखंड (२) में "शब्द किन्हीं भी ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार तदर्थ दे ऐसे" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय । यह संशोधन है आपका "राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित ।" इसमें दो लाइनें निकालने की बात नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव—

दो लाइनें निकालने की बात नहीं है । मैंने रखा है कि 'राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित,' तो राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित कहां होगा । धारा ३ के आर्फेसेज होंगे । धारा ३ और धारा २ का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है । जब तक कि हम इन दो चीजों को निकालेंगे नहीं कि सरकार अंकुश उस पर रख सके तब तक सतर्कता आयोग कुछ नहीं कर सकता । तो इसकी महत्ता मैं बता देना चाहता हूं कि वजह क्या है कि जिसके कारण यह शब्द निकाल दिये जाय । अगर इसकी महता बताने का श्रीमन् मौका न दें तब तो मैं समझता हूं कि इस अमेंडमेंट की और यह जो कमेटी की रिपोर्ट है एक्सपर्ट कमेटी की, वह सब पढ़ाई लिखाई का क्या नतीजा है, हम दो मिनट में बैठ जायं ।

श्री अधिष्ठाता—

नहीं, हम ऐसी आज्ञा आपको नहीं देंगे ।

श्री कमलासिंह यादव—

नहीं तो एक बात मैं कहना चाहता हूं आपके द्वारा कि मैं इतना विद्वान नहीं हूं और न मेरी मेंमोरी बहुत स्ट्रांग है । श्रीमन्, बराबर छेड़छाड़ उधर से हो रही है, आप इनको मना कीजिये फिर बीच में टीके नहीं (व्यवधान) मैं देख रहा हूं कि पन्द्रह मिनट मैं बोला हूं और बराबर उसमें छेड़छाड़ की सारी बातें की जा रही है । अगर सरकार का यह मकसद है तो सरकार तो किसी बात का जबाव दे नहीं सकती क्योंकि सरकार के मंत्री खुद नहीं पढ़े हैं....

श्री अधिष्ठाता—

एक घंटा कल भी आप बोले थे इसी संशोधन पर और आज भी आप स्वयं देख रहे हैं कि लगभग ३५ मिनट आपको हो गए हैं, तो यह आरोप कि आपको अपने विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं मिल रहा है सत्य नहीं है । मैं समझता हूं कि इस आरोप को आप वापस लेने की कृपा करें । यह जनरल डिबेट नहीं हैं, संशोधन पर आप अपने विचार ३५ मिनट आज व्यक्त कर चुके हैं ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मुझे यह अफसोस है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय कमलासिंह ने अभी कहा है कि माननीय मंत्री जी ने खुद नहीं पढ़ा है, यह असंसदीय शब्द है, और इनको कार्यवाही से निकाल दिया जाय....

श्री अधिष्ठाता—

यह असंसदीय नहीं है लेकिन अशिष्ट जरूर मालूम होता है संसदीय परम्पराओं को देखते हुए ।

श्री कमलासिंह यादव—

तो मैं बना रहा था श्रीमन् कि यह बिजिलेंस कमीशन की पावर है कि सरकार जिन अपराधों के बारे में लिखे उनके बारे में अन्वेषण वह कर सकता है। कम्प्लेन्ट्स पब्लिक की आवें उनको भी देख सकता है, चाहे साइन्ड हों। या न हों और इसके साथ-साथ यह भी है कि अपने से भी अन्वेषण कर सकता है । मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि श्रीमन् चाहते हैं कि मैं बहुत कम समय लूं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर इसके बारे में वे देखना चाहें तो सन्थानम् कमेटी की रिपोर्ट के पेज १५ से १७ तक देख सकते हैं, उसमें यह चीज दी है कि किस-किस किस्म के आफेन्सेज स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ने अन्वेषण किये हैं। माननीय मंत्री जी उसको पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह बतला रहा था कि जो सरकार भेजे केवल उसी का अन्वेषण होगा, बल्कि पब्लिक को अख्तियार है....

श्री अधिष्ठाता—

इस बात को आप दोहरा रहे हैं। जो तर्क आप पहले दे चुके हैं उसको पुनः न दोहरावें ।

श्री कमलासिंह यादव—

ऐसी चीजें जो इसके अन्तर्गत नहीं आ सकी हैं इसके लिये इसका जो सेक्शन ३ है इसको वाइड होना चाहिये और सदन का जो पावर है उसको सरकार लिमिट न करें, इसलिये कि सरकार का पावर ऊपर रहे और अकेले सरकार का विजिलेंस रहे। वरना यह कामराज योजना को कार्यान्वित करने की बात हो जायगी। इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट श्री रामवचन जी थे और जब चाइना वार हुआ तो.....

श्री अधिष्ठाता—

इससे इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री कमलासिंह यादव—

मैं बतला रहा था कि किस प्रकार से इस पर कामराज का प्रकोप होगा।

श्री अधिष्ठाता—

जो आपका संशोधन है उसी पर अपने विचार प्रकट करें। आजमगढ़ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इससे संशोधन का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं इसलिये इसको कहता हूं कि इसमें किसी तरह से सरकार का पावर न रहे और इसको वह बिलकुल अछूता और इंडिपेंडेन्ट रखे ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका संशोधन है कि "राज्य सरकार द्वारा बिज्ञापित" बढ़ा दिया जाय और आप कहते यह हैं कि राज्य सरकार का अधिकार इसमें कोई न होना चाहिये । मैं समझता हूं कि बहुत देर तक बोलने के कारण आप अपने संशोधन के विपरीत कुछ तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री कमलासिंह यादव--

उसे आप विपरीत ही मान लें लेकिन अगर राज्य सरकार द्वारा "विज्ञापित" शब्दों के रख देने से धारा ३ के अन्तर्गत जैसा कि उन्होंने कहा था, ८ तरह के जो अपराध है वे सब कवर हो जायंगे । इसलिये धारा ३ को ओपेन रखने के लिये इस संशोधन का होना जरूरी है । अगर ऐसा नहीं हुआ तो नतीजा यह होगा कि एक आफेंस के बारे में गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन होगा तो उसके ४ दिन बाद कोई दूसरा नोटिफिकेशन करना होगा । इस तरह से बड़ी दिक्कत हो जायगी । इसलिये जरूरी है कि संथानम् कमेटी जो एक्सपर्ट्स की कमेटी थी उसने जो सुझाव दिये है उनको माना जाय और राज्य सरकार इसको ओपेन रखे ताकि वे चीजें भी जो आई० पी० सी० और पेनल कोड के अन्दर नहीं आ सकी हैं उनके लिये भी स्कोप रह सके ताकि कल को कोई बात हो जाय तो इसका नोटिफिकेशन करके उसको भी कवर किया जा सके । इस खयाल से यह रखा गया है और इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि कोई कानून ऐसा यहां से पास न करायें कि वह हाई कोर्ट में जाकर फिर यहां संशोधन के लिये वापस आये । इस चीज को अवाइड करने के लिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी से कहें कि वह अपने एक्सपर्ट्स से इसको दिखला लें और ठीक करा लें ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय कमलासिंह जी का आभारी हूं कि उन्होंने बहुत से सुझाव मुझे दिये और जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि इन सुझावों से और इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है । उन्होंने संथानम् कमेटी की रिपोर्ट की चर्चा की, ठीक है उन्होंने उसको पढ़ा भी है, लेकिन वह यह कहना भूल गये कि उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर संसद ने एक एन्टी करप्शन लाज अमेंडमेंट ऐक्ट, १९६४ पास किया है जिसमें यह सारे करप्शन के आइटम्स आ गये है और हमारी नोटिफिकेशन में वह सब चीजें हैं । अगर वह मेरी बात पहले ही सुन लेते तो उनको मालूम हो जाता कि वह सब इसमें निहित है । इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि इस संशोधन से कोई लाभ न होगा क्योंकि वह अपराध गजट हो चुके हैं और गजट तो हम आपके पास भेजते भी हैं । जो कुछ आप चाहते हैं वह सब इसमें है । इन शब्दों के साथ मैं उनके इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (२) में शब्द "किन्हीं भी ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुये जो राज्य सरकार तदर्थ दे ऐसे" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय --

"राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित" ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय कमलासिंह जी, जो संशोधन आपने भेजे हैं वे चूंकि समय के भीतर नहीं आये हैं इसलिये मैं उनको स्वीकार नहीं कर रहा हूं ।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैं एक प्रार्थना करूंगा। आप जरा जल्दबाजी करते हैं, हमारी बात भी थोड़ा सुन लें। इतना आप का इशारा काफी था कि संशोधन देरी से भेजे है। कभी भी किसी विधान सभा में ऐसी कार्य प्रणाली नहीं देखी कि ११ से ५ तक सदन चले और उसके बाद ५ से ७ बजे शाम तक संशोधन बिल लिये जाते हैं। नियमावली में ३६ घंटे पहले का नियम है और २४ घंटे ५ बजे हुये। ५ बजे देना चाहिये लेकिन सवाल यह था कि रात को किसी के पास कहां संशोधन भेजें लेकिन आप कुर्सी पर हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। इस तरह से हम कोई संशोधन पेश नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, आप का आदेश शिरोधार्य है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका संशोधन जो समय के भीतर आया है, उसको ले रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव--

उसमें आप की मेहरबानी नहीं है, वह तो हमारा हक है। उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वह तो लेना ही पड़ेगा।

श्री राधेश्याम शर्मा--

श्रीमन्, जब सदन ही समय के बाहर चल रहा है तो श्री कमलासिंह जी का कहना ठीक है, ५ बजे दफ्तर बन्द हो जाता है तो वह संशोधन कहां दे आते। वह तो समय के भीतर ही मानना चाहिये और पेश होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

मैं श्री राधेश्याम जी से निवेदन करूंगा कि अगर समय के भीतर देना था तो सदन ७ बजे तक चलता है और उस समय तक यहां हमारे कार्यालय के कर्मचारी रहते हैं, यहां भी संशोधनों को देते हैं जैसे कि दिये भी गये हैं। तो समय के भीतर न होने के कारण मुझे आप क्षमा करें और केवल जो कार्यक्रम में छपा है उसी को पेश करें।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमान्, मैंने यह कहा . . .

श्री अधिष्ठाता--

अब यह बहस समाप्त होती है, मैंने इस पर निर्णय दे दिया। अब आपका जो संशोधन है उसे प्रस्तुत करें और उस पर बोलें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, मंत्री जी से पूछ लीजिये। यदि उनको कोई एतराज नहीं है तो बोल लेने दीजिये।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय उग्रसेन जी, आप इसको स्वयं स्वीकार करेंगे कि चाहे मंत्री जी ही का क्यों न आग्रह हो, हमें नियमों के विरुद्ध नहीं जाना है।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, जहां तक नियम का प्रश्न है उस पर बहस नहीं है . . . .

श्री अधिष्ठाता--

आप अपना संशोधन प्रस्तुत कीजिए और अपने विचार रखिए। . . .

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, नियमों के खिलाफ नहीं है और वह इसलिए नहीं है कि किसी माननीय सदस्य ने जो उधर बैठे हैं इस बात का एतराज नहीं किया है, पर अगर चेयर से यह बात होती है तो हमें दुःख होता है। चेयर तो हमारे राइट को प्रोटेक्ट करेगा। श्रीमन्, आपको अधिकार है कि अगर कोई भी लेख दिया जाय तो उसको स्वीकार कर लें परन्तु चेयर के पद से विरोध किया गया है, यह उचित प्रतीत नहीं होता। आप उसको पढ़ कर पुनः अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता--

८ तारीख को यह प्रस्तुत किया गया है। ८ के पश्चात् आप स्वयं देखें कि आपका एक संशोधन था। इस पर आप कल एक घंटे बोले और आज भी ५५ मिनट बोलते रहे। मैं ऐसा समझता हूं कि आप अपना संशोधन रखें और उस पर ही अपने विचार व्यक्त करें।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, इस सदन में संशोधन का सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ इस बात का है कि मैं रेलेवेंट बोल रहा हूं या इर्रेलेवेंट बोल रहा हूं। अगर इर्रेलेवेंट बोल रहा हूं तो आप को पूरा अधिकार है कि आप मुझे टोक दें, परन्तु अगर मैं रेलेवेन्ट बोल रहा हूं तो हमारी प्रक्रिया नियमावली में हमें अधिकार है कि चाहें तो १२ बजे रात तक बोल सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपना संशोधन प्रस्तुत करें, यह क्रम संख्या २ पर है।

*श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (३) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "राज्य सरकार" और "द्वारा" के बीच निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"तथा सतर्कता निदेशक"।

श्रीमन्, अगर इस खंड को पढ़ा जाय तो वह इस प्रकार है "(३) उक्त अधिष्ठान का उप-निरीक्षक अथवा उससे ऊंचे पद का कोई सदस्य राज्य सरकार द्वारा तदर्थ किये जाने वाले किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए, उपधारा (२) के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करने में उस क्षेत्र में जिसमें वह तत्समय हो, थाने के प्रभारी अधिकारी के किन्हीं भी अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और जब वह उपर्युक्त किन्हीं ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए ऐसे अधिकारों का इस प्रकार प्रयोग करे तो वह अपने थाने की सीमाओं के भीतर ऐसे अधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिए थाने का प्रभारी अधिकारी समझा जायगा।

श्रीमन्, इसमें २ चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि राज्य सरकार जिन उद्देश्यों के लिए आदेश देगी, उन्हीं के बारे में यह अधिकार है कि जब सतर्कता आयोग का कोई भी मेम्बर अन्वेषण करने के लिए जाता है तो जिन अपराधों के लिये राज्य सरकार आदेश देगी उनके लिये ही उसे अन्वेषण करते वक्त आफिसर इंचार्ज स्टेशन की शक्ति मिलेगी, जैसा कि सी० पी० सी० की धारा १५६ में दिया हुआ है कि कागनिजेबिल आफेन्सेज का अन्वेषण इंचार्ज पुलिस स्टेशन कर सकेगा और दूसरा कोई अधिकारी नहीं है जो इसे कर सके। इसके अलावा संथानम् कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके पृष्ठ १२ से १५ तक आप देख लें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

तो उसमें वर्गीकरण दिया गया है कि इस तरह के आफेन्सेज को इंवेस्टिगेट करने का अख्तियार इस सतर्कता आयोग को होना चाहिये । फिर गजटमें देने की क्या आवश्यकता है? अगर कोई भी चीज आप भूल गये और आपके अधिकारी ने किसी स्थान पर लाखों करोड़ों रुपये के गड़बड़ घोटाले का अन्वेषण किया तो उस वक्त वह क्या करेगा, क्या वह सरकार के आदेश के लिये इन्तजार करेगा ? इस तरह से आप इसके जरिये उसके क्षेत्र को सीमित करने जा रहे हैं । माननीय मंत्री ने बतलाया कि जो एंटी करप्शन ऐक्ट है उसका अभी हाल में संशोधन हुआ है, उसमें बहुत सी चीजें आ गयी हैं लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जब तक आई० पी० सी० को संशोधित नहीं किया जाता है तब तक वे बातें इसमें कवर नहीं हो सकती है चाहे आप एंटी करप्शन ऐक्ट से कुछ भी करें या कोई अन्य कानून बना दें । संथानम् कमेटी की रिपोर्ट के पृष्ठ ५५ से ५९ तक यह भी दिया गया है कि कौन से संशोधन उनमें करने अनिवार्य हैं । तो यह जो आप अपने हाथ में बागडोर इस तरह से अन्वेषण के संबंध में ले रहे हैं इसके जरिये से आप निरंकुश राज्य चलाना चाहते हैं। पार्टीबाजी की वजह से आप चाहते हैं कि यह गड़बड़ घुटाला बना रहे और कामराज योजना को लाद कर आप अपने दुश्मनों को खत्म करना चाहते हैं। इसी कारण मैं नहीं चाहता कि यह पावर आपके हाथ में हो और आपके लिये जरूरी होता है कि जो निदेशक जिसको आपने काम सौंपा है उसी के हाथ में बागडोर रहे, उसी को पावर रहे कि वह अपनी पावर से कर सके। जिस तरह से वह आदेश देगा अन्वेषण के उसी तरह से अन्वेषण होगा, इसके जरिये सारी चीजें कवर हो जायेंगी ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय कमलासिंह जी, मैं एक चीज आप से निवेदन करूंगा कि आपने जो अभी तर्क प्रस्तुत किया है उसमें कहा है कि राज्य सरकार के पास ही अधिकार नहीं रहना चाहिये लेकिन जो धारा है उसको देखें । उसमें इस प्रकार है कि "उक्त अधिष्ठान का उप निरीक्षक अथवा उससे ऊंचे पद का कोई सदस्य राज्य सरकार द्वारा तदर्थ किये जाने वाले किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुये" यह देख लें कि आपका जो संशोधन है उसमें और जो आप विचार व्यक्त कर रहे हैं कहां तक सामंजस्य है ?

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, विरोधाभास कहां पर है मैं समझ नहीं पा रहा हूं । उनका कहना यह है कि जिस तरह से श्रम कानून बने हुये हैं उनका मामला जब सरकार के पास आता है तो वह कहती है कि अगर उचित होगा तो एडजूडिकेशन के लिये भेजेगी, तो सरकार ने सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली है। लेकिन कमलासिंह जी का कहना यह है कि सारी सत्ता सरकार के हाथ में न रहे। निदेशक खुद अख्तियार रहे, जैसे वह ठीक समझे करे, उसको गृह मंत्री या गृह सचिव से पूछना न पड़े ।

श्री कमलासिंह यादव---

अधिष्ठाता महोदय, श्रीमन्, मुझे अफसोस है कि आपने उप निरीक्षक को जो समझा है यह सब इन्सपेक्टर के लिये है । अंग्रेजी में पढ़ दूं अगर इजाजत हो ।

श्री अधिष्ठाता---

आप अंग्रेजी का न पढ़ें क्योंकि हिन्दी से ही हमें गाइड होना है ।

श्री कमलासिंह यादव---

इसलिये मैं कह रहा था कि अगर आप पढ़ लेंगे तो क्लेरीफिकेशन हो जायगा। जैसे शिक्षा विभाग में निरीक्षक के माने हैं इन्सपेक्टर, उसी तरह से यहां पर उप निरीक्षक के माने सब-इन्सपेक्टर है इससे आप समझ लें ।

श्री अधिष्ठाता—

इसमें उक्त अधिष्ठान का उप निरीक्षक.....

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, आपसे तर्क करके हम क्या करेंगे, जो आप कहेंगे वही होगा।

श्री अधिष्ठाता—

जी नहीं, ऐसा नहीं है। यह तो सदन के ऊपर है।

श्री कमलासिंह यादव—

जी नहीं। श्रीमन्, अध्यक्ष का पद बहुत ऊंचा है। जो आप आदेश देंगे हमें शिरोधार्य करना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आदेश नहीं दे रहा हूं। आग्रह कर रहा हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

उप निरीक्षक का मतलब एस० आई० से है। मंत्री जी से पूछ लें, उनको समझ में न आये तो किसी और से पूछ लें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कमलासिंह जी, उक्त अधिष्ठान के उप निरीक्षक का सब इन्सपेक्टर, पुलिस से ताल्लुक नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, जो इंक्वायरी करने वाले अधिकारी हैं उनको पावर दी जा रही है। माननीय जियाराम डायरेक्टर हैं, उनको पुलिस निरीक्षक का पद नहीं दिया जा रहा है। उपनिरीक्षक का मतलब एस० आई० से ही है।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, ऐसा ही एक्साइज कानून में भी दिया है। जो इक्साइज का सिपाही होता है उसे भी आई० पी० सी० के कुछ अधिकार दिये गये हैं और जब वह किसी घर में तलाशी लेता है तो उसको ही अधिकार होता है। इसलिये मैं समझता हूं इसके द्वारा मंत्री जी भी इसी प्रकार का अधिकार मांग रहे हैं।

(व्यवधान)

उग्रसेन—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने तो सुझाव दिया है जिससे कि काम जल्द समाप्त हो।

श्री कमलासिंह यादव—

मैंने जो बात इस सदन में कही है वह इसलिये कही है कि नियमों के अन्दर जो अधिकार होगा, हमारे पूर्वी जिले में जैसे यह आदमी होगा तो इस आदमी को यह अधिकार दे रहे हैं कि वह गाजीपुर में जाकर अगर जांच करेगा तो वह उस थाने का इंचार्ज उस समय तक समझा जायगा जब तक कि वह वहां पर रहकर इसकी जांच करेगा। तो इसलिये मैं यह कह रहा हूं कि किसी वजह से यदि गलती हो जाय तो क्या होगा? इसलिये ऐसा कानून नहीं होना चाहिये। सतर्कता आयोग को अधिकार होगा कि उसको मालूम हो जाये कि किसी मामले का इन्वेस्टीगेशन होना बहुत जरूरी है तो वह स्वतः उसकी जांच स्वयं कर सके। संथानम् कमेटी के रिपोर्ट के अन्दर भी यही दिया हुआ है कि आयोग स्वयं जब चाहे बिना किसी आज्ञा के जांच और दूसरी अन्य कार्यवाही कर सकता है। तो इसलिये मैंने सिर्फ इसे रखा है कि हर बात में राज्य सरकार को अधिकार न दिया जाये। यह तो ठीक है कि आप पैसा

[श्री कमलासिंह यादव]

देते हैं रिपोर्ट भी अन्त में आप को प्राप्त होगी। लेकिन आपको उनको यह अधिकार देना चाहिये कि यदि उनको राज्य सरकार से आर्डर लेने का मौका न मिले तो वह स्वयं वह बिना आज्ञा के जांच आदि की सारी कार्यवाही करें। क्योंकि हो सकता है आयोग को किसी अपराध का पता चला और उसने राज्य सरकार की अनुमति लेने की कोशिश की तो उसे उसमें समय लगेगा और तब तक अपराध के संबंध में सारे सबूत गायब किये जा सकते हैं। सारे कागजात आदि बदले और गायब किये जा सकते हैं। इसलिये सारा मामला ही निकल जायेगा तो फिर जांच होने से फायदा ही क्या होगा ? यह नियम ठीक नहीं है जिसे आप सब पास कराना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं, दो दिनों बाद पता चलेगा कि यह क्या कानून है जो सदन पास कर रहा है। वह इस स्मगलिंग के केसेज को भी इसमें ट्रीट करेगा। इसने १९६२ में २८७ लाख रुपये के गल्ले का पता लगाया, १९६१ में २४६ लाख रुपये का पता लगाया और १९६० में १२२ लाख रुपये के गल्ले का पता लगाया। तो आप इसको जो इतने ब्राड पावर नहीं दे रहे हैं वह ठीक नहीं है। आवश्यकता और जांच की सफलता की दृष्टि से उसे बिना राज्य सरकार की आज्ञा के जांच करने का पूरा अधिकार होना चाहिये, हां बाद में राज्य सरकार की स्वीकृति ले ले यह तो समझ में आता है, लेकिन उसके बिना वह काम ही न करें यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

मेरी मंशा यह नहीं है कि जिस रूप में संशोधन पेश है आप उसे उसी रूप में स्वीकार कर लें। अधिष्ठाता महोदय, मंत्री महोदय से मेरा कहना यह है कि उसे चाहे जिस रूप में वह स्वीकार कर लें किन्तु वह मेरी भावना को समझ लें और उसे उसमें अवश्य रख दें। मेरी भावना के अनुकूल संशोधन चाहे जिस रूप में वह रख दें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कमलासिंह जी जो बात कह रहे हैं वह सही है लेकिन इस बात को इसलिये स्वीकार नहीं कर सकता कि राज्य सरकार को अधिकार है और आप ठीक कहते हैं....

(व्यवधान)

अगर वहां जायं, उनको वह ताकत दे दें जो कि इंचार्ज थाना को है। यह अभी पुलिस ऐक्ट में भी नहीं है। यह सरकारी ताकत है। डाइरेक्टर जो विजिलेंस के हैं उनका स्टेटस भी यही है जो करीब-करीब आई० जी० के हैं, वही पावर्स इनको देते हैं, और जो सरकार को ताकत है वह सरकार में निहित रहेगी। इसमें कोई विरोध नहीं है। मैं समझता हूं कि जब आवश्यक ऐसा होगा तो सरकार इस ताकत को मान सकती है। इन शब्दों के साथ यह जो संशोधन है उसे मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री कमलासिंह यादव--

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा--उसके बारे में मैं सिर्फ दो बात ही कह देना चाहता हूं। आज तो जियाराम जी हैं तो कल हो सकता है कि आप किसी जज को बना दें या अन्य किसी अधिकारी को बना दें। जहां तक सतर्कता आयोग जो सेंट्रल का है, उसमें....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (३) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "राज्य सरकार" और "द्वारा" के बीच निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"तथा सतर्कता निदेशक"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

३--राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे अपराधों अथवा अपराधों के ऐसे वर्गों को निर्दिष्ट कर सकती है जिनका अनुसंधान उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान द्वारा किया जाना हो ।

सतर्कता अधिष्ठान द्वारा अपराधों का अनुसंधान किया जाना।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ की प्रथम पंक्ति में शब्द "गजट" के स्थान पर "राजपत्र" रख दिया जाय ।

जहाँ तक "राजपत्र" का संबंध है "गजट" के नाम पर "राजपत्र" कर दिया जाय । जब अध्यादेश में भी राजपत्र दिया हुआ है यह मेंशन है इसके उद्देश्य में और ज्ञापन पत्र में भी दिया हुआ है और जब २६ जनवरी, १९६५ को यह आदेश हो चुका है कि राष्ट्रभाषा हमारी हिन्दी होगी (व्यवधान)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

अधिष्ठाता महोदय, थोड़ी सी दिक्कत यह हो जायगी कि अभी तक हिन्दी में यह जो निकल रहे हैं पत्र, उनका नाम . . . (व्यवधान)

श्री उग्रसेन--

व्यवस्था का प्रश्न है, मंत्री महोदय के कथन पर श्रीमन् । आप इस पर व्यवस्था दें कि जब आपने इनको संविधान का उद्धरण इनके सामने रख दिया, तो क्या इनका यह हक है कि संविधान को मानने में अपनी कठिनाइयों की सुविधा क लिये माननीय सदस्यों की आवश्यकता के लिये इन शब्दों के जो प्रयोग हिन्दी में किये गये हैं माननीय मंत्री को इस बात का अधिकार है कि वह संशोधन को स्वीकार करें या न करें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उग्रसेन जी मेरी बात को सुनकर मेरी बात से सहमत होंगे । असल में बात यह है कि हमारे यहां आज भी जो गजट निकलता है, हिन्दी में उसका नाम सरकारी गजट है । अगर हम कोई दूसरी चीज यहां पर कहते हैं तो उसका मतलब दूसरा हो सकता है । यह मतलब उसका नहीं होगा । आप यह भी देखें कि हमारी प्रक्रिया नियमावली विधान सभा की है और उसको हमारी विधान सभा ने पास किया है । उसमें यह लिखा हुआ है कि गजट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के हिन्दी गजट से है ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं समझता हूं कि "गजट" शब्द को अपने प्रयोग के लिये आपने हिन्दी शब्द मान लिया है ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जी हां, हमने माना है । अगर नहीं मानेंगे तो हमारी दिक्कत यह हो जायगी कि हमने जितने भी अभी तक विधेयक बनाये हैं उनमें सब जगह गजट का प्रयोग किया है और अगर आप यह चाहते हैं कि इ सको बदल दें और बदलकर वह शब्द रखें तो फिर दूसरा विधेयक लाना पड़ेगा और उसमें यह कहना पड़ेगा कि जहां-जहां गजट शब्द का इस्तेमाल हुआ है वहां यह शब्द रखा जाय ।

श्री कमलासिंह यादव—

जहां तक गजट का सवाल है माननीय मंत्री जी ने प्रक्रिया नियमावली की बात बतलाई। वह नियमावली, १९५८ में बनाई गई थी और आज १९६५ है। यह मालूम है कि संविधान के अनुसार हिन्दी का प्रयोग यहां पर होता है परन्तु उसकी धारा २१० में यह लिखा है कि २१० (१) भाग १७ में किसी बात के होते हुये भी किन्तु अनुच्छेद ३४८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये राज्य के विधान मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जायगा।

श्री अधिष्ठाता—

यह प्रश्न भाषा का नहीं है। यहां तो हिन्दी भाषा को हम मान चुके हैं। माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि गजट शब्द को हम हिन्दी में प्रयुक्त करते हैं और गजट का हिन्दीकरण हो चुका है।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरी बात भी सुन लें। हमें मालूम है कि १९५०, ५२ में यहां पर लैंग्वेज विधेयक पास हुआ था। उसमें साफ हिन्दी का जिक्र है। हिन्दी हमारी भाषा है। तो गजट के अलावा अगर दूसरा शब्द हमारे पास न हो तब तो यह बात हो सकती है, लेकिन जब हमारे पास समानान्तर दूसरा शब्द है और जिसका प्रयोग इसी विधेयक के उद्देश्य और कारणों में दिया है तो फिर कोई कारण नहीं है कि उस शब्द को न रखा जाय। इसमें "राजपत्रित अधिकारियों" शब्द का प्रयोग किया गया है। यह गजटेड अफसरों के लिये कहा गया है। संविधान के अन्दर भी सूचना पत्र का प्रयोग किया गया है जो उसी माने में है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जब आपके पास "गजट" शब्द का समानान्तर शब्द है और सूचना पत्र, जैसा श्रीमन् ने बताया संविधान में दिया हुआ है। मैंने भी राजपत्र लिखा है। जब कि हिन्दी भाषा में शब्द हैं तो जबरदस्ती अंग्रेजी भाषा के शब्द हमारे ऊपर आप लाद नहीं सकते। दूसरी चीज यह है कि हमें दूसरा विधेयक लाना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप यह चाहें कि गजट को परिवर्तन कर दें, राजपत्र या सूचना पत्र लिख दें। एक स्पष्टीकरण दिया गया है कि गजट का अर्थ है सूचना पत्र, तो दूसरे विधेयक के लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह सिर्फ बहाना है। ये दूसरे की आड़ में शिकार करना चाहते हैं। मैं अंग्रेजी का गुलाम नहीं बनना चाहता, हमारी सरकार चाहे अंग्रेजों की गुलाम बनी रहे। जब हमारी भाषा के अन्दर शब्द मिल सकते हैं तो हम दूसरी भाषा के शब्द क्यों अपनायें ? मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे राजपत्र शब्द के होते हुए गजट शब्द लाने की धृष्टता न करें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कमलासिंह जी, धृष्टता शब्द असंसदीय तो नहीं है परन्तु संसदीय शिष्टाचार के अन्तर्गत भी नहीं आता। कृपया उसे प्रयोग न करें।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, अगर यह शब्द असंसदीय है तो मैं इसे वापिस लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न भाषा का नहीं चल रहा है। आप इसे भी ध्यान में रखकर अपना वक्तव्य दें। प्रश्न है केवल पर्यायवाची शब्द का।

श्री कल्पनार्थसिंह—

श्रीमन्, मैं पहले इनकी पार्टी के नाम के विषय में ही पूछना चाहता हूं जो पट पर लिखा हुआ है कि वह किस भाषा में है ?

श्री कमलासिंह यादव---

वह तो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है ।

श्रीमन्, हमारे संविधान में हिन्दी को राजभाषा की मान्यता है और जबकि हमें अपनी भाषा में शब्द प्राप्त हैं तो हम वे शब्द अपना कर राजभाषा और संविधान दोनों की इज्जत नहीं रक्खेंगे ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री कमलासिंह यादव---

मैं इसका विरोध करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

हमारे नियम ११६ में यह है कि किसी प्रस्ताव के किये जाने के उपरान्त किसी समय भी कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेगा कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय । इसलिये . . . .

श्री कमलासिंह यादव---

इसके बाद भी पढ़ लें श्रीमन्, यह आपको अधिकार है कि आप यह देखेंगे कि. . .

श्री अधिष्ठाता---

जी हां, मैंने देख लिया है, इसीलिये अब प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खंड ३ की प्रथम पंक्ति में शब्द "गजट" के स्थान पर "राज पत्र" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ४

सतर्कता अधिष्ठान का अधीक्षण तथा प्रशासन

४---(१) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होगा ।

(२) उक्त अधिष्ठान का प्रशासन राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त ऐसे अधिकारी में निहित होगा जो सतर्कता निदेशक कहलायेगा और वह उक्त अधिष्ठान के सम्बन्ध में, राज्य के साधारण पुलिस दल के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा प्रयोक्तव्य ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार तदर्थ निर्दिष्ट करे ।

(३) इस अधिनियम में अन्यथा की गयी व्यवस्था के रहते हुए, पुलिस ऐक्ट, १८६१ और तद्धीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के उपबन्ध जैसे कि वे राज्य के सामान्य पुलिस दल के सम्बन्ध में लागू होते हों उक्त अधिष्ठान के सदस्यों के सम्बन्ध में ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन अथवा लोप के रूप में हों, लागू होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा उनमें इस अधिनियम के प्रयोजनों से संगत किये जायें ।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"४—(१) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान सरकार द्वारा निर्मित एक स्वतंत्र अधिष्ठान होगा तथा सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार कार्य करेगा और अपनी वार्षिक रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेगा ।"

श्री राधेश्याम शर्मा—

हमारा एक व्यवस्था का प्रश्न है । उस पर तो आप अपनी व्यवस्था दे चुके, उस सम्बन्ध में तो मैं क्या कहूं, परन्तु आगे यह याद रखें....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राधेश्याम जी, वह एक शाब्दिक संशोधन था और माननीय कमलासिंह जी ने काफी उस पर अपने विचार व्यक्त किये....

श्री राधेश्याम शर्मा—

उसको छोड़ दीजिये । कार्यमंत्रणा समिति में ५ बजे से ७ बजे तक का समय तय हुआ था । यह आपका जो नियम है जब सदन ११ बजे से ५ बजे तक बैठे, तब के लिये । इस समय जब यह विशेष रूप से सदन बैठ रहा है तब विवाद को इस तरह से खत्म करा देना उचित नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

नहीं, यह पूर्णतया औचित्यपूर्ण है ।

श्री रक्षपालसिंह—

तो श्रीमन्, मैं आधे मिनट में यह बात कहना चाहता हूं कि कल माननीय सदस्यों ने यहां पर अपनी भावनायें व्यक्त कीं । यह जो सतर्कता अधिष्ठान है, यह सरकार का एक हथकंडा है और यह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकेगा । इसको बिलकुल स्वतंत्र रूप से कायम करना चाहिये । मैंने जो संशोधन रखा है उसमें सब अधिकार सरकार को दिये हैं, उन्हीं के द्वारा निर्मित होगा, उन्हीं के बनाये गये नियमों के अन्तर्गत चलेगा, केवल सदन की इसकी जिम्मेदारी और हो जायगी, यह संशोधन मैंने रखा है और प्रार्थना है माननीय मंत्री जी से कि वह इसको स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । यह दोनों संशोधन एक ही नेचर के हैं, लिहाजा इन दोनों को एक साथ पेश करने का आदेश दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कमलासिंह जी, आप अपना भी पेश कर दीजिये ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, आपने क्या व्यवस्था दी ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

श्रीमन्, जब दो प्रस्ताव एक ही नेचर के हैं तो क्या उनको अलग-अलग रखने की आवश्यकता है ?

श्री अधिष्ठाता---

जी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव---

कोई व्यवस्था देने से पहले चूंकि यह संशोधन मुझसे संबंधित है, मेरी बात सुनकर उसके बाद आप फैसला दें ।

श्री अधिष्ठाता---

आपको अपने संशोधन पर बोलने का पूर्ण अधिकार है ।

श्री कमलासिंह यादव---

मेरा संशोधन उनके संशोधन से बिलकुल भिन्न है ।

श्री उग्रसेन---

जब बीच में माननीय कमलासिंह अपना भिन्न संशोधन पेश करेंगे तो माननीय रक्षपालसिंह के संशोधन का क्या होगा ?

श्री अधिष्ठाता---

दोनों संशोधन एक ही मंशा पूरी करते हैं, ऐसा मेरा मत है । लेकिन मैं माननीय कमलासिंह जी से जानना चाहता हूं कि उनका भिन्न कैसे है ।

श्री कमलासिंह यादव---

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (६) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय "और अपनी रिपोर्ट प्रत्येक सत्र में सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगा" ।

श्री अधिष्ठाता---

कमलासिंह जी, आप नियम १४१ देखें । संशोधनों का क्रम । संशोधनों पर विधेयक के खंडों के क्रम के अनुसार, जिनसे क्रमशः उनका सम्बन्ध हो, साधारणतया विचार किया जायगा और किसी ऐसे खंड के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव किया हुआ समझा जायगा "कि यह खंड विधेयक का अंश माना जाय" अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझें, किसी खंड के एक से संशोधनों को एक प्रश्न के रूप में रख सकेंगे, परन्तु यदि कोई सदस्य प्रार्थना करे कि कोई संशोधन अलग से रखा जाय तो अध्यक्ष उस संशोधन को अलग से रखेंगे, किन्तु समय और पुनरावृत्ति बचाने के अभिप्राय से परस्पर निर्भर संशोधनों के समूह पर केवल एक चर्चा की अनुमति दी जा सकेगी ।

मैंने दोनों संशोधनों को, आपके आग्रह पर, सदन के समक्ष प्रस्तुत करा दिया किन्तु चर्चा दोनों की एक साथ होगी ।

श्री उग्रसेन---

अधिष्ठाता महोदय, संशोधन पेश करने वाले महाशय चले गये हैं, उनके संशोधन का क्या होगा ?

श्री अधिष्ठाता---

वह सदन की संपत्ति है, वह सदन की आज्ञा से ही वापस हो सकता है ।

श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि इस खंड ४ के उपखंड (१) में दिया हुआ है इसी प्रकार से ऊपर की धारायें २ और ३ में भी यह दिया हुआ है कि निरीक्षण राज्य सरकार करेगी। यानी राज्य सरकार के अधीन यह सारा कार्य होगा। मेरा कहना यह है कि यह माननीय मंत्री जी अथवा सरकार की निजी प्रापर्टी नहीं है। सदन को अधिकार है कि किसी आयोग को कोई भी कार्य सौंपे। क्योंकि ऐसा भी मौका आ सकता है जबकि किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई इंक्वायरी हो अथवा मंत्री जी के किसी पेट आफिसर के खिलाफ कोई इंक्वायरी हो, उस वक्त हम कैसे इस बात को समझ पायेंगे कि माननीय मंत्री जी कामराज लागू करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं? हम तो यह चाहते हैं कि ईमानदारी से काम हो, पक्षपात न हो, विजिलेंस कमीशन के निदेशक पर कोई किसी प्रकार का दबाव न पड़ सके। इसलिये इसके बारे में मैंने सदन का अधिकार रखा है। लेकिन यहां सतर्कता आयोग को सरकार के अधीन रखा गया है। यह सरकार की च्वाइस पर है कि वह जिस अपराध का चाहे अनुसंधान कराये।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह तो अनुसंधान करने वाले फोर्स की बात है। जहां तक विजिलेंस कमीशन की बात है हमने उसको स्वतंत्र रखा है। लेकिन इस जांच करने वाले फोर्स को आप अधिकार दे देंगे तो ठीक न होगा क्योंकि पुलिस फोर्स कहीं भी स्वतंत्र नहीं बनाया जाता है। विजिलेंस कमीशन के लिये तो हमने यह रखा है कि वह अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा और सरकार उसको सदन में प्रस्तुत करेगी। जो जांच करने वाली बाडी है उसको यह अधिकार नहीं दिया जा सकता।

श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह नहीं कहता कि पुलिस उस रिपोर्ट को यहां रखे। जो भी रिपोर्ट सदन के सामने रखी जायगी वह तो सरकार के द्वारा ही रखी जायगी। माननीय मंत्री जी अगर यह आश्वासन देते हैं कि हर सदन में इसकी रिपोर्ट को रखा जायगा तब तो ठीक है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय रक्षपालसिंह जी और माननीय कमलासिंह जी, दोनों के संशोधनों को मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"४—(१) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान सरकार द्वारा निर्मित एक स्वतंत्र अधिष्ठान होगा, तथा सरकार द्वारा बनाये गये, नियमों के अनुसार कार्य करेगा और अपनी वार्षिक रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेगा।"

तथा खंड ४ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"और अपनी रिपोर्ट प्रत्येक सत्र में सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

निरसन तथा अपवाद

५—(१) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अध्यादेश, १९६५ निरस्त किया जाता है।

(२) इस निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन दिया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम ५ जनवरी, १९६५ को प्रारम्भ हुआ हो ।

श्री अधिष्ठाता—

खंड ५ में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५

विशेष पुलिस दल के रूप में उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के संघटन, अधीक्षण तथा प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, १९६५ कहलायेगा । संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५ पारित किया जाये ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं । श्रीमन्, यह बड़े दुख की बात है कि सरकारी पक्ष के लोग चाहे कोई गलत काम करें, चाहे कोई सही काम करें, संख्यासुर के बल पर उसे पास करा लेंगे लेकिन मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ तब मालूम होती है जब कि लोकतंत्रीय परम्परा के अनुसार जहां सरकारी पक्ष को विरोध पक्ष के विचारों को भी साथ लेकर चलना चाहिये, वहां इनमें विरोधी पक्ष के विचारों को सुनने की भी क्षमता नहीं है । इसमें एक घंटा या दो घंटे की बात नहीं है, यदि १२ बजे तक भी सदन की बैठक चले तो सिद्धान्ततः आपको सब की बात सुननी चाहिये । लेकिन इस तरह से जितना ही आप लोग रोकेंगे, उतना ही ज्यादा मैं कहूंगा, वरना रोकना बन्द कर दिया जाय ।

कल फर्स्ट रीडिंग के वक्त मैंने जो बात कही थी वह यही थी कि सतर्कता आयोग बना कर आप अधिकार देकर विशेष पुलिस बनाना चाहते हैं । आज भी मैं उस बात को दोहराता हूं कि पुलिस का अधिकार विशेष पुलिस को दिया जाय, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है यदि सतर्कता आयोग ईमानदारी से काम करे । इस संबंध में स्वीटजरलैंड का उदाहरण देते हुए मैंने बतलाया था कि सतर्कता आयोग की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है कि वह सही और निष्पक्ष

[श्री राधेश्याम शर्मा]

जांच करावे और सरकार का उस पर नियन्त्रण नहीं था कि उसका खर्चा वह वहन करे। इसी तरह से अगर सरकार इसका खर्चा वहन करे और निष्पक्ष हाईकोर्ट के जज या किन्हीं उच्च पदाधिकारियों को रखे तो वह सही बात होती, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय हरगोविन्दसिंह की पुलिस जो हिन्दुस्तान के सारे प्रदेशों की पुलिस से अधिक भ्रष्ट है, उसको यह अधिकार देना कहां तक सही होगा। अगर कोई डी० आई० जी० ईमानदार है तो इसलिये ही सारा काम ठीक हो जायगा? आखिर उसके नीचे के अधिकारी जो होंगे वे भी तो वहां रहेंगे ही, उन पर किसका नियन्त्रण होगा? माननीय हरगोविन्दसिंह की पुलिस का तो बंटाधार उसी दिन की अवधेश सिनहा ने कर दिया कि किस तरह की वह पुलिस है। सिद्धान्त की बात यह है कि अगर ईमानदारी से सरकार चाहती है कि सतर्कता आयोग बने तो इसके लिये आवश्यक है कि उसमें एक्जीक्यूटिव और कार्यपालिका से बिल्कुल अलग के लोग रखे जायं। सरकार की केवल इतनी जिम्मेदारी है कि वह उसका खर्च वहन करे और बाकी सब कार्यपालिका के बाहर हो। उसको सारे समाज के लोग सही समझेंगे और मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप का यह सतर्कता आयोग सही काम भी करेगा तब भी हमें शंका रहेगी और मन में यह आयेगा कि काम ईमानदारी से नहीं हो रहा है। फिर भी विरोधी पक्ष और जिस के खिलाफ न्याय होगा तो वह कहेगा कि मंत्री जी ने फोन करके सजा दिलाई है। यह कलंक सरकार अपने ऊपर से हटाये और साफ कर दे, उसको एक स्वतन्त्र संस्था बनाये और अगर वह उसको अपने नियंत्रण में रखना चाहती है तो सही नीयत होगी फिर भी लोग कहेंगे कि नीयत ठीक नहीं है। सतर्कता आयोग की मंशा का तो मैं समर्थन करता हूं, लेकिन जो स्वरूप उसका रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं। जैसा स्वरूप मैंने बताया वह होता तो अच्छा था।

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

श्री उग्रसेन खड़े हो रहे हैं, उनको बोलने दीजिये।

श्री उग्रसेन—

अधिष्ठाता महोदय, मैं तो एक मिनट से भी कम समय लूंगा। मैं केवल दो बातों की ओर सदन का और माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे साथी माननीय कमलासिंह जी, राधेश्याम जी और अन्य सदस्यों ने कोशिश की कि एक निष्पक्ष आयोग बने और वह सही काम तभी कर सकेगा जब वह स्वतन्त्र होगा और कार्यपालिका से उसका संबंध न होगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि उनके प्रस्ताव मान्य नहीं हुये, और राधेश्याम जी ने जो स्विटजरलेंड का हवाला दिया वहां के तरीके पर भी नहीं माना गया क्योंकि वहां पर सरकार केवल आयोग का खर्च देती है और उसका कोई प्रभाव उस पर नहीं रहता, इस तरह से वहां वह निष्पक्ष संस्था होती है। हमने शाब्दिक संशोधन दिया और आपने सूचना-पत्र निकाल कर बड़ी मदद की, लेकिन फिर भी गजट के संबंध में उलझ गये और 'राजपत्र' रखने को तैयार नहीं हुये। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह से लोगों को प्रभावित किया जायगा और इस तरह के आयोग से तो भ्रष्टाचार बजाय दूर होने के और बढ़ेगा और इससे जनता का कोई हित होने वाला नहीं है और फिर संशोधन लाने पर सरकार बाध्य होगी। हमारे सुझाव को ठुकराया है, लेकिन हम यह चेतावनी देना चाहते हैं कि इस में सरकार खुद फंस जायगी। सरकार अब भी इसको वापस ले ले वरना इससे कोई जनता का हित न होगा।

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री कमलासिंह यादव--

यह कैसे अभी से क्लोजर ला रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदन के किसी भी सदस्य को अधिकार है कि वह कभी भी क्लोजर मूव कर दें ।

प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ५१ मिनट पर, अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१८ फरवरी, १९६५

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १००६ पर)

प्रश्न संख्या १५ के उत्तर में उल्लिखित विवरण

दिनांक ११-१०-६४ को प्रातः ८-१० बजे श्री शंकराचार्य दुबे निवासी ग्राम फूल सूंघा। जिला नैनीताल ने थाना रुद्रपुर में एक लिखित रिपोर्ट दी जिसके अनुसार वादी जब श्री राधेलाल गुप्त से मिलने लगभग ७ १/२ बजे प्रातः उनके यहां पहुंचे तो उनकी लड़की आदि को रोते पाया। लड़की ने वादी को बताया कि उनके पिता १०-१०-६४ की शाम को फार्म से लौटकर कहीं बाहर घूमने गये थे और ९ बजे लगभग घर लौटे और खाना खाकर सो गये। प्रातः वे मरे हुए पाये गये। रिपोर्ट लिखे जाने के बाद पुलिस ने मामले में तुरन्त जांच शुरू कर दी। अब मामले में सी० आई० डी० द्वारा जांच हो रही है।

विधान सभा रुद्रपुर

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०११ पर)

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में आबादी का घनत्व तथा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रफल (विधान सभा के प्रथम सत्र १९६५ के दूसरे गुरुवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ३३ से सम्बन्धित)

जिला	*जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग मील कि० मी० व्यक्तियों की संख्या	बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रफल (लाख एकड़ में)					
		१९६२		१९६३		१९६४	
		कृषि क्षेत्र	कुल क्षेत्र	कृषि क्षेत्र	कुल क्षेत्र	कृषि क्षेत्र	कुल क्षेत्र
१—देवरिया	४३८	२.६५०	३,११७	१.६४६	१.८२४	१.३५४	२.१८७
२—आजमगढ़	४१९	०.५२३	०.५४८	०.३२२	०.३२८	५.६२५	५.६२५
३—जौनपुर	४२९	०.०६३	०.०६३	..	—बाढ़ नहीं आई—		
४—गाजीपुर	३९२	०.२४०	०.२५५	०.००८	०.०११	बाढ़ नहीं आई	
५—गोरखपुर	४०२	३.९५५	४.५५७	१.५७८	१.७३६	१.३८९	२.१०९
६—बस्ती	३५८	२.२६८	३.१३७	१.३३९	१.८२९	२.२०८	२.९८६
७—बहराइच	२१७	०.७७२	०.८७४	०.५०७	०.५४७	बाढ़ नहीं आई	
८—गोंडा	२७९	२.०८५	२.२४६	०.८५१	१.८३३	०.००४	०.१६१
९—फैजाबाद	३७५	०.५४५	०.७१८	०.३५७	०.५०६	बाढ़ नहीं आई	
१०—सुल्तानपुर	३१७	क	क	क	क	..	..
११—प्रतापगढ़	३४१	०.१३९	०.१४१	—बाढ़ नहीं आई—			
१२—बलिया	४१५	१.६१४	१.६१४	०.२६५	०.२६५	०.९०२	०.७०८
१३—वाराणसी	४४८	१.०३८	१.४५६	०.००३	०.०३९	—बाढ़ नहीं आई—	
१४—मिर्जापुर	१४६	०.०१३	०.०३४	बाढ़ नहीं आई			
१५—इलाहाबाद	३०७	०.१५८	०.२००	०.०४८	०.०७९	—बाढ़ नहीं आई—	

*१९६१ की जनगणना के अनुसार।

क—यह सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०१९ पर)

१—रियायती ब्याज की दर तथा सरल किश्तों पर औद्योगिक ऋण।

२—कारीगरों तथा शिल्पियों के प्रावैधिक कौशल स्तर को ऊंचा उठाने तथा उन्नत उत्पादन विधियों में ज्ञान कराने हेतु प्रशिक्षण सुविधा।

३—विदेशों से कच्चा माल तथा मशीनरी आयात करने हेतु प्रायोजनाओं के लिये प्राथमिकता तथा अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धि।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२० पर)

थाना सिकन्दराराव जिला अलीगढ़ में अन्तर्गत १९६३ व १९६४ में हुए कत्ल, चोरी व डकैती से सम्बन्धित सूचना

	१९६३			१९६४		
	रिपोर्ट हुए	चालान हुए व्यक्तियों की संख्या	चलाये गये मुकदमों की संख्या	रिपोर्ट हुए	चालान हुए व्यक्तियों की संख्या	चलाये गये मुकदमों की संख्या
	१	२	३	४	५	६	७
कत्ल	..	..	..	..	..	८	१८	५
चोरी	..	..	..	१३६	८५	३७	१८१	७८	३३
डकैती	..	..	..	४	३४	३	४	३१	३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२२ पर)

घटना का विवरण

दिनांक १२-१२-६४ को ग्राम अरैल, थाना नैनी के दो दलों के विरुद्ध एक दंगे का मुकदमा सेशन्स न्यायालय में सुनवाई के लिये नियत था, इन दलों में कुल २३ अभियुक्त थे जिनमें ७, भोला पासी, भोला अहीर आदि पुलिस की हिरासत में थे और शेष जमानत पर थे। जब ये ७ अभियुक्त पुलिस एसकोर्ट के साथ १० बजे कचहरी के हाते में स्थित एक होटल के पास पहुंचे तो जमानत पर छूटे हुए अभियुक्तों ने, जिनके पास देशी पिस्तौल व रिवाल्वर थे, इन्हें ललकारा और गोली चलाना आरंभ कर दिया। अभियुक्त भोला मल्लाह गोली लगने पर तुरन्त घटनास्थल पर मर गया। हेड कान्स्टेबुल रामदत्त पाठक, जो एसकोर्ट पार्टी का इंचार्ज था, ने एक अभियुक्त को देशी पिस्तौल सहित पकड़ लिया और उसकी पिस्तौल छीन ली। इसी समय किसी ने हेड कांस्टेबुल के पीछे से गोली मारी और वह भी मर गया।

विधान सभा सचिवालय उ०प्र०

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२३ पर)

क्रम-संख्या	शस्त्र का विवरण	नीलाम में खरीदने वाले व्यक्ति का नाम	नीलाम में शस्त्र कितने में खरीदा गया।
१	२	३	४
			रु०
१	३२ बोर पिस्तौल नम्बर ६२०४४२	श्री रणबीरसिंह, उप अधीक्षक पुलिस, बिजनौर ।	४५
२	१२ बोर एस० बी० बी० एल० गन नं० ६१९	,, ,,	२५
३	डी० बी० बी० एल० राइफल नं० ८५५	श्री डी० एस० खन्ना, स्टेनो जिलाधीश, बिजनौर ।	४५
४	एस० बी० बी० एल० गन नम्बर १०७५	श्री एच० एस० एस० लेडलरी, उप पुलिस अधीक्षक, बिजनौर ।	२५
५	एस० बी० बी० एल० गन नम्बर ६४८	श्री आर० एस० अस्थाना, परगनाधीश नगीना ।	२४

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १०९० पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६५

उ० प्र० अधिनियम संख्या ९, १९६१

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, १९६५ कहलायेगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ९, १९६१ की धारा ३ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ की धारा ३ की उपधारा (१) में—

(१) खंड (क) में शब्द "नये पैसे" के स्थान पर शब्द "पैसे" रख दिया जाय; और

(२) खंड (ख) में शब्द "प्रति क्विन्टल गन्ने परपच्चीस नये पैसे" के स्थान पर शब्द "प्रति क्विन्टल गन्ने पर पचास पैसे" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९६५ का निरसन

३—(१) उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ निरस्त किया जाता है।

(२) इस निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानो कि यह अधिनियम ७ जनवरी, १९६५ को प्रारम्भ हुआ हो।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उद्देश्य और कारण

गुड़, राब तथा खंडसारी के भाव ऊंचे होने के कारण गन्ने का उपयोग इन वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाने लगा था। अतएव मेरठ डिवीजन में गन्ने के सम्भरण की अत्यधिक कमी से शक्कर की मिलों के बन्द होने अथवा रुक-रुक कर काम करने के कारण गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। शक्कर के कारखानों के लिए, कारखाने के बाहर के नियन्त्रित मूल्य की रूपरेखा के भीतर गन्ने का अधिक मूल्य देना तब तक संभव नहीं था जब तक कि भारत सरकार द्वारा या तो शक्कर का मूल्य उसी अनुपात में न बढ़ाया जाता अथवा केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा फैक्टरियों को ऐसी ही सहायता के बराबर क्रमशः उत्पादन शुल्क और क्रय-कर में कोई छूट न दी जाती। शक्कर की मिलों में गन्ने के सम्भरण की बिगड़ती दशा को रोकने के उद्देश्य से प्रस्तावित उपायों में से एक उपाय यह भी था कि "रक्षित" क्षेत्रों में "इकाइयों" पर क्रय-कर की दर में, ०.२५ पैसे प्रति क्विन्टल से ०.५० पैसे प्रति क्विन्टल की वृद्धि की जाय।

२—तद्नुसार ७ जनवरी, १९६५ को उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ प्रख्यापित करना पड़ा। अब, उक्त अध्यादेश के अधीन गुड़, राब तथा खंडसारी की ऐसी इकाइयों द्वारा गन्ने के क्रय पर ०.५० पैसे प्रति क्विन्टल की दर से कर देय होगा।

३—तद्नुसार, उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

सुचेता कृपालानी,
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

विवरण-पत्र जिसमें मुख्य अधिनियम की धारा जिसका संशोधन करने का प्रस्ताव है, दी गई है

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१

(यू० पी० अधिनियम संख्या ९, १९६१)

कर आरोपित करना

३—(१) गन्ने के क्रय पर—

(क) फैक्ट्री, यदि वह फैक्ट्री के स्वामी द्वारा हो, तो प्रति क्विन्टल गन्ने पर सरसठ नये पैसे की दर से, और

(ख) यदि वह इकाई के स्वामी द्वारा हो तो प्रति क्विन्टल गन्ने पर पच्चीस नये पैसे की दर से,

ऐसी रीति से कर लगाया और वसूल किया जायेगा, जो नियत की जाय ।

विधान सभा सचिवालय उ० प्र०